बुधवार,
२१ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार २१ अप्रैल, १९५४

सभा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्प्रवास

***१९३९. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस वर्ष भारत की उत्प्रवास नीति में कोई परिवर्तन हुआ था ; और

(ख) क्या विशिष्टीकृत श्रेणियों के अकुशल मज़दूरों के लिए कोई सामान्य अथवा विशेष, अपवाद किए गये थे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा: (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । भारत में कुछ समय बिताकर मलाया वापस जाने के इच्छुक अकुशल मज़दूरों को भारतीय उत्प्रवास अधिनियम की धारा ३० (क) के अंतर्गत लगायी गयी रोक से छूट दे दी गयी है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या किसी देश को बड़े पैमाने पर प्रवर्जन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी नहीं, हमारे पास इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : बोर्नियो की सरकार ने एक योजना प्रस्तावित की थी, और भारत सरकार इस पर सहमत हो गयी थी, कि सन १९५२ में स्थायी निवास के लिए १०,००० भारतीय बोर्नियो में बसाये जाएं। सन १९५३ में यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था । क्या इसके कोई कारण ज्ञात हुए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : बोर्नियो की सरकार ने हमें सूचित किया कि भारतीयों के वहां आने की व्यवस्था इस समय वह नहीं कर पाएगी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या कुछ देशों ने अपने यहां भारतीयों को बसने देने की कोई संख्या निर्धारित की है और यदि हां, तो भारतीयों को बाहर जाकर बसने की अनुमति देने वाली यह कुल संख्या कितनी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : कुछ देशों ने संख्या निर्धारित की है, उदाहरणार्थ कनाडा ने १५० भारतीयों को प्रति वर्ष आकर बसने की अनुमति दी हैऔर यदि मुझे ठीक याद है, तो फिलीपीन्स ने ५०

व्यक्ति प्रति वर्ष की अनुमति दी है। यदि माननीय सदस्य विस्तृत उत्तर चाहते हैं तो मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

कुटीर उद्योग

*१९४१. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कुटीर उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें कि संघ सरकार की वित्तीय सहायता से किये जाने वाले विकास कार्य से लाभ हो रहा है?

(ख) क्या यह विकास योजना सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों के लिए किसी प्रकार से सहायक होगी और यदि हां, तो किस प्रकार ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ४९**]

(ख) जी हां, योजना अयोग द्वारा सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाऐं स्वीकृत की जाती हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य विद्यमान उद्योगों को पुनरुज्जीवित करना, टेकनीकल सहायता तथा प्रशिक्षण देना, सहकारी समितियों का उन्नयन करना, विक्रय की सुविधाऐं प्रदान करना आदि हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना के अंतर्गत कोई नए उद्योग लिए जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक सामुदायिक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि उनका काम नए उद्योगों की स्थापना की अपेक्षा विद्यमान उद्योगों को ही सुचारु रूप से व्यवस्थित करना है। उपयुक्त सुविधाऐं मिलने पर शायद नए उद्योग प्रारम्भ करने के विषय में भी सोचा जाए।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि चुनाओं के मामले में किन-किन बातों पर विचार किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सामुदायिक परियोजना प्रशासन, जो कि योजना आयोग के अंतर्गत कार्य करता है, यह बात तय करता है।

श्री दाभी : क्या मैं जान सकता हूं कि खादी का काम कितने सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में लिया जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी।

श्री पुन्नूस : विवरण में ४१ उद्योगों की सूची दी गयी है। क्या मैं जान सकता हूं कि त्रावनकोर-कोचीन में इन में से कितने उद्योगों को सहायता मिलती है और उस सहायता की राशि कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस सूची में गिनाए गए कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त, क्या मैं जान सकता हूं कि किन्हीं नए उद्योगों पर विचार किया जा रहा है जिन्हें कि सहायता दी जा सकती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : रोज़गार के लिए नवीन मार्गों को ढूंढ़ने का प्रश्न सदा सम्मुख रहता है। इस समय मैं यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि ये नए उद्योग कौन से हैं।

खादी के विकास पर छूट

***१९४२. श्री बी० के० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) खादी पर तीन आने प्रति रुपये की दर से जो छूट दी गई है उस पर सन् १९५२-५३ और १९५३-५४ में कुल कितनी-कितनी राशि दी गयी;

(ख) इन राशियों की राज्यवार मात्रा; और

(ग) खादी के विक्रय पर छूट देने की प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन पटल पर रक्खा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५०]**

(ग) छूट देने के परिणामस्वरूप खादी के उत्पादन तथा विक्रय की वृद्धि हुई है ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस छूट के देने से पूर्व के तथा उसके बाद के खादी के विक्रय के आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास केवल सन १९५२ और १९५३ के आंकडे हैं। सन् १९५२ में उत्पादन लगभग ७०,९६,००० था और सन् १९५३ में लगभग १,३५,६६,०००।

श्री बी० के० दास : क्या इस बारे में भी कोई आंकडे हैं कि कितना स्टाक जमा हो गया था और इस छूट के परिणामस्वरूप उसमें से कितना बिक गया ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी नहीं ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि अखिल भारतीय चर्खा संघ की तरह अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम्योद्योग बोर्ड ने भी कतकरों व बुनकरों के लिए किसी निर्धारित मजूरी दर पर जोर दिया है और क्या इस छूट की प्रणाली के परिणामस्वरूप इस मजूरी दर में वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस विवरण में मैं देखता हूं कि बारह राज्यों को १९५२-५३ में यह छूट नहीं दी गयी। क्या मैं इसके कारण ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

विस्थापितों के आवास तथा अपाहिज गृह

***१९४३. पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के आवासों तथा अपाहिज गृहों की जांच के लिए जो समिति नियुक्त हुई थी क्या उसने अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) क्या समिति द्वारा कोई अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० पी० जैन : शायद इस मास के अंत तक प्रतिवेदन आ जाए ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति द्वारा विशिष्ट रूप से किन-किन मामलों पर विचार किया जा रहा है ?

श्री ए० पी० जैन : आवासों तथा अपाहिज गृहों के कार्यकरण के सम्बन्ध में नीति, उनका भविष्य में संगठन, प्रशिक्षण का प्रबन्ध तथा उत्पादन सुविधाएं, आश्रितों की शिक्षा, भविष्य में दाखिले के नियम और विशेष कर निम्नोक्त बातें : आवासों तथा अपाहिज-गृहों का पुनर्संगठन जिससे कि उन्हें प्रशिक्षण व कार्य केन्द्रों में परिणत किया जा सके जहां कि समर्थ व्यक्ति, अंततोगत्वा आत्म-निर्भर होने के लिए, प्रशिक्षित किए जा सकें; इन संस्थाओं का प्रबन्ध किसके हाथ में हो तथा केन्द्रीय एवम् राज्य सरकारों का नियंत्रण व निरीक्षण किस सीमा तक रहे; किन किन धन्धों तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाए तथा कितने समय तक प्रशिक्षण दिया जाए और उसका स्तर क्या हो, इत्यादि ।

श्री गिडवानी : क्या मैं जान सकता हूं कि विधवाओं तथा अपाहिजों की भरती समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने तक के लिए बन्द कर दी गयी है ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं ।

डा० रामा राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इनमें से कितने आवासों में अनाथों की व्यवस्था है और वहां कितने अनाथों की देखभाल की जा रही है ?

श्री ए० पी० जैन : ऐसे कोई आवास नहीं है जो केवल अनाथों की देखभाल करते हों; वे सब मिले जुले हैं ।

इंजीनियरी उद्योग

*१९४४. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योगों की छोटी-छोटी इकाइयों को फिर से बसाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि है, तो उसके विवरण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५१]**

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच है कि ये उद्योग अपने अधिष्ठापित परि-सामर्थ्य से कम चल रहे हैं और यदि सच है तो क्यों ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का आधार "अधिष्ठापित परिसामर्थ्य" बड़ा अस्पष्ट है । कई असंगठित उद्योगों में अधिष्ठापित परिसामर्थ्य बदलता रहता है । संगठित उद्योगों में भी मैं देखता हूं कि अधिष्ठापित परिसामर्थ्य कुछ होता है और उत्पादन अधिक हो जाता है । ऐसे प्रश्न का मैं ठीक-ठीक उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार को संतोष है, कि विभिन्न विभाग उपलब्ध इंजीनियरी परिसामर्थ्य का लाभ उठा रहे हैं, जैसी कि इंजीनियरी समिति द्वारा हाल में भेजी गई रिपोर्ट में आशा की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह ऐसी बात है जिस पर निरन्तर जांच और समन्वय होता रहता है । वस्तुतः सरकार को संतोष नहीं है कि हम अपने इंजीनियरी परिसामर्थ्य का पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं । विद्यमान सयंत्रों को अधिक सक्षम बना सकना भी हमारे लिये संभव है। इस बात की जब-तब जांच होती रहती है। छोटे उद्योगों के बारे में मैं यह भी बताऊंगा कि हमें विविध देशों के विशेषज्ञों की टुकडी से सहायता मिली थी। अभी सरकार इस रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है, और थोड़े ही समय में मैं इस बारे में सरकारी नीति पर कुछ अधिक प्रकाश डाल सकूंगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि इंजीनियरी उद्योग के बेकार पड़े हुए परिसामर्थ्य की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी और यदि की गई थी, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट भेजी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इंजीनियरी उद्योग के अतिरिक्त परिसामर्थ्य की सर्वेक्षण करने वाली तथाकथित समिति मुझे परामर्श देने के लिए हैं । मैं उन से विशिष्ट बातों की जांच करने को कहता रहा हूं । यह ऐसे आयोग या समिति के रूप में नहीं है, जो प्रतिवेदन भेजे । पूरी समस्या पर प्रकाश डालने वाले किसी प्रतिवेदन के उपलब्ध होने की बात ही नहीं उठती ।

माता टीला बांध परियोजना

*१९४६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार १९५४-५५ के वित्तीय वर्ष में माता टीला-परियोजना के लिए एक करोड़ रुपयों से कुछ अधिक का ऋण देना चाहती है ; तथा

(ख) इस परियोजना से किन राज्यों को लाभ पहुंचेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी-सुधार करने वाले निर्माणों के लिए १९५४-५५ में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए २५० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है । इस आवंटन से जिन योजनाओं को अंतिम रूप दिया जायगा, वे अभी योजना आयोग के विचाराधीन हैं, पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में भेजी गई सूची में माता टीला बांध योजना भी शामिल है ।

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा विंध्य प्रदेश।

श्री विश्वनाथ राय : इस परियोजना से कितनी जमीन में सिंचाई होगी ?

श्री हाथी : ३,६०,००० एकड़ ।

श्री विश्वनाथ राय : इस परियोजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : १९५६ के अंत तक पहला प्रक्रम पूरा हो जायेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय कृपा करके बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिलों को इससे फायदा होगा ?

एक माननीय सदस्य : आगरा का होगा कि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री हाथी : मैं सभी जिलों के नाम नहीं बता सकता ।

श्री धुलेकर : क्या झांसी जिले में बनने वाली इस परियोजना से झांसी जिले को कुछ लाभ होगा या नहीं ?

श्री हाथी : मेरी समझ से होगा ।

श्री विश्वनाथ राय : यू० पी० की कितनी जमीन सींची जा सकेगी ?

श्री हाथी : २,८०,००० एकड़ यू० पी० में, ५०,००० एकड़ मध्य भारत में और ३०,००० एकड़ विंध्य प्रदेश । इसका योग ३,६०,००० एकड़ होता है ।

दक्षिणी संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड

*१९४७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिणी संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड हाल में पुनः संगठित किया गया था ?

(ख) यदि सच है तो बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं ?

(ग) सदस्यों का चुनाव कैसे किया गया था और वे कब तक चलेंगे ?

(घ) क्या यह केवल परामर्शदाता निकाय है और यदि है, तो वह किस प्रकार कार्य करता है ?

(ङ) क्या उनको कुछ धन दिया जाता है और यदि हां तो कितना ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड के दक्षिणी प्रमंडल के सदस्य आजकल निम्नांकित व्यक्ति हैं :—

१. श्री न्यायपति टी० एल० वेंकटराम अय्यर ।

२. श्री टी० वी० सुब्बाराव, उप-सभापति ।

३. श्री सेमान्गुडी आर० श्री निवास अय्यर ।

४. श्री चित्तूर सुब्राह्मण्यम् पिल्ले ।

५. श्री टी० चौदिया ।

६. श्री राजमाणिकम् पिल्ले ।

७. श्री चेम्बाई वैद्यनाथ भगवतार ।

८. श्री चिलकल्पुडी वेंकटेश्वर सर्मा ।

(ग) सदस्य मंत्रालय द्वारा उन लोगों में से चुने जाते हैं, जो संगीत में अपनी सफलता के कारण और उसके श्रेष्ठ विवेचक होने के कारण परीक्षण और पद निरूपण के कार्य को चलाने के लिये उपयुक्त माने जाते हैं । उन्हें एक वर्ष के लिये नियुक्त किया गया है । पर पुर्ननियुक्ति हो सकती है । उप-सभापति की पदावधि दो वर्ष की है ।

(घ) संगीत स्वर परीक्षण बोर्ड अखिल भारतीय रेडियो को शास्त्रीय संगीत तथा हलके संगीत के कलाकारों का परीक्षण करने में सहायता देता है । जिससे अभ्यर्थियों को उनके गुण और योग्यता के अनुसार मान्यता प्रदान की जा सके । बोर्ड का काम अखिल भारतीय रेडियो से सिफारिश करना ही है ।

(ङ) नहीं श्रीमान् । जब वे यात्रा पर जाते हैं और तो उनको यथानियम यात्रा-व्यय दिये जाते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : इस बोर्ड के लिए सदस्यों का चुनाव करने में क्या मौखिक संगीतज्ञों का और वाद्य संगीतज्ञों का कुछ ध्यान रखा जाता है ?

डा० केसकर : ध्यान रखा जाता है, जिससे बोर्ड संतुलित रहे । इस चुनाव में

कुछ निश्चित अनुपात रखना संभव नहीं है।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण के संगीतज्ञों ने इस बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के बारे में यह शिकायत की है कि वे मौखिक संगीत के ही लिए उपयुक्त हैं, वाद्य संगीत के लिए नहीं ?

डा० केसकर : ऐसा बोर्ड बनाना बहुत कठिन है जो सभी को संतुष्ट रख सके। वस्तुत: एक वर्ष की पदावधि रखने का एक कारण यह है कि हम प्रति वर्ष कुछ सदस्यों को निवृत्त कर देते हैं और नए विख्यात संगीतज्ञों को रख लेते हैं, जिससे शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या माननीय मंत्री को संतोष है कि इस बोर्ड में तामिल इसाई वाद के भी प्रतिनिधि हैं ?

डा० केसकर : मुझे पता नहीं कि तामिल ईसाई वाद के समर्थक कौन हैं ? मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में दे सकूंगा।

श्री आर० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन सदस्यों में कितने गाने के विशेषज्ञ हैं ?

डा० केसकर : यदि माननीय मित्र को कर्नाटक संगीत का ज्ञान होता, तो इस प्रश्न की आवश्यकता न पड़ती।

चाय

*१९४८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में बढ़िया चाय के उत्पादन की प्राक्कलित मात्रा और १९५४ में उत्पादन की क्या प्रत्याशाएं हैं,

(ख) १९५३ और १९५४ में बढ़िया चाय के निर्यात की मात्रा ; तथा

(ग) अन्तर्देशीय मांगों की पूर्ति के लिए आवश्यक बढ़िया चाय की मात्रा !

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

(क) १९५३ के ताजे प्राक्कलन
६०,८० लाख पौंड
१९५४ की प्रत्याशित फसल
६३,०० लाख पौंड

इन आंकडों से साधारणतः अच्छे स्तर वाली चाय का उत्पादन समझा जाना चाहिए।

(ख) १९५३-५४ ४३,७०,४८,९४३ पौंड

१९५४-५५ का अभ्यंश अभी निश्चित नहीं किया गया है। प्रमापी निर्यात के १०५ प्रतिशत के निर्यात-अभ्यंश की अनुमति दी जा रही है।

(ग) लगभग १७०० लाख पौंड।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : बढ़िया चाय का विद्यमान मूल्य १९५३ के तत्संवादी मूल्य की तुलना में कैसा है ?

श्री करमरकर : मेरे पास दामों के आंकड़े नहीं हैं। मैं पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह क्या यह सच है कि आसाम और मनीपुर के कुछ भागों में चाय का दाम असामान्य रूप से बढ़ रहा है और चाय बाजार में उपलब्ध नहीं है। और यदि सच है तो सरकार ने दामों की वृद्धि रोकने और अच्छी चाय वहां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : चाय के उपलब्ध न होने के बारे में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई, हाल में एक शिकायत मिली है कि दाम आवश्यकयता से अधिक चढ़े हुए,

हैं। जहां तक मुझे याद है, हम इस बात पर विचार कर रहे हैं।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या सरकार कहीं भी दामों की वृद्धि होने पर निर्यात-अभ्यंश कम करना चाहती है ?

श्री करमरकर : आसाम में चाय का दाम कम करने के लिए निर्यात में कमी करना आवश्यक नहीं है। दाम के बारे में कठिनाई यह है कि सब चाय कलकत्ता में ब्लैंड (तैयार) की जाती है और आसाम के खरीदारों को चाय के कलकत्ते जाने और तयार होकर वापस आसाम आने के यातायात-व्यय देने पड़ते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हम कुछ उपाय सोच रहे हैं।

लपेटने का तम्बाकू

*१९५०. **श्री रघुरामय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खुली सामान्य अनुज्ञप्ति में लपेटने के तम्बाकू को समाविष्ट करने का विचार है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस के कारण ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुरामय्या : क्या हम इस देश में इस प्रकार के तम्बाकू का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं।

श्री बर्मन : क्या सरकार पश्चिम बंगाल राज्य में दिनहाटा में लपेटने के तम्बाकू का उत्पादन केन्द्र खोल रही है ? इस योजना की कितनी प्रगति हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सोचता हूं कि यह बिषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में है। यदि उन से प्रश्न पूछा जाए तो इस का उत्तर मिल सकेगा।

टीन के डिब्बे

*१९५१. **श्री जी० एल० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में टिन के डिब्बे बनाने वाले कारखानों की संख्या ; तथा

(ख) देश में टिन के कितने डिब्बों की आवश्यकता होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस समय देश में लगभग १८८ कारखाने हैं जहां टिन के डिब्बों का निर्माण होता है।

(ख) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है। डिब्बे बनाने वाले कारखानों द्वारा उपयुक्त टिन की चादरों का प्राक्कलन लगभग ७०,००० टन प्रति वर्ष का है।

श्री जी० एल० चौधरी : कुटीर उद्योग द्वारा कितने डिब्बे बनाये जाते हैं।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : देश की आवश्यकताओं तथा टिन के डिब्बों का निर्माण करने वाले कारखानों की अल्प संख्या को देखते हुए, क्या सरकार देश की आवश्यकता को पूरी करने के लिए कोई योजनाबद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : एक डेढ साल के पहले यह हो सकता था। आज टिन की चादरों के वित्तरण तथा उत्पादन की जिम्मेवारी उठाना कुछ कठिन सा है ।

श्री साधन गुप्त : क्या इस उद्योग में कोई विदेशी पूंजी लगी हुई है और यदि है, तो उस के द्वारा कितने तथा कितने प्रतिशत डिब्बों का उत्पादन किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुल १८८ कारखाने हैं। इन कारखानों के पूंजी-ढांचे का विस्तृत विवरण मेरे पास नहीं है ।

श्री केलप्पन : क्या हम टिन के डिब्बों का आयात करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे निश्चित पता नहीं कि हम टिन की चादरों का आयात करते हैं या नहीं किन्तु यदि करते भी हों, तो वह नाममात्र ही होगा ।

श्री के० के० बसु : मेटल बक्स कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, का उत्पादन कितना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व-सूचना चाहिये ।

अमरीकी तम्बाकू

*१९५२. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में बनने वाली सिगरेटों में अमरीकी तम्बाकू मिश्रित करने की जो अनुमति दी जाती है उस मिश्रण की कोई प्रतिशत सीमा होती है ; तथा

(ख) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में भारत में आयातित तम्बाकू की मात्राएं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

पौंड

(ख) १९५२–५३—३,४०४,३१७
१९५३–५४— ७६१,६८५

श्री सी० आर० चौधरी : क्या सरकार भारत में बनने वाली सिगरेटों में अमरीकी तम्बाकू के मिश्रण की कोई सीमा निश्चित करने का विचार रखती है ?

श्री करमरकर : नहीं, ऐसी कोई सीमा निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः, इस काम के लिए जो तम्बाकू आयात किया जाता है वह हमारे देश के कुल उत्पादन का पांच प्रतिशत है ; बाकी ९५ प्रतिशत तम्बाकू हमारे देश में ही पैदा होता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या भारतीय तम्बाकू में अमरीकी तम्बाकू का मिश्रण उसका स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है ?

श्री करमरकर : हां, सिगरेट पीने वालों तथा बनाने वालों का यह मत है ।

मलाया के भारतीय

*१९५४. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मलाया के मंत्रिमंडल में एक भारतीय को नियुक्त किया गया है ; तथा

(ख) क्या मलाया राज्य की स्थायी प्रशासनीय सेना में भारतीयों को कोई प्रतिनिधित्व दिया जाता है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) जी हां।

(ख) मलाया संघ-राज्य के अधीन की स्थायी सेवाएं किसी जाति विभेद के बिना सारे संघीय नागरिकों के लिए समान रूप में खुली होती हैं। केवल मलायी असैनिक सेवा के लिए चार मलाइयों के पीछे एक गैर-मलायी आशियावासी (जिन में भारतीयों का भी समावेश होता है) लिया जाता है। केवल भारतीयों के लिए कोई विशेष संरक्षण नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : उपर्युक्त भारतीय मंत्री को कौन कौन से ओहदे सौंपे गये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरी राय में उन्हें संचार का ओहदा सौंपा गया था और अब भी वे उसे ही संभाले हुए हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या भारत सरकार को मलाया के भारतीयों से वहां की प्रशासनीय सेवा की भर्ती में विभेद किये जाने के बारे में कोई अभ्या-वेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं निश्चित नहीं कह सकता कि इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायत हमें मिली है अथवा नहीं। किन्तु हमने समाचार पत्रों में ऐसी शिकायतें करने वाले पत्र देखे हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या मलाया सरकार ने भारत सरकार से कहा है कि प्रशासनीय सेवाओं में भर्ती के बारे में भारतीयों के दावे अत्यंत तर्क विसंगत हैं और भारत सरकार को इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिये ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने उत्तर में कहा है, कोई विभेद नहीं किया जाता। जिस किसी को मलाया का नागरिकत्व प्राप्त है वह नियुक्त किया जा सकता है।

श्री एन० एल० जोशी : मलाया के मंत्रिमंडल में जो भारतीय नियुक्त हुआ है वह क्या उसको भारतीयता के आधार पर नियुक्त किया गया है अथवा उस के अपने गुणों पर ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस का उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल है।

अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना (निबटारा करने वाले पदाधिकारी)

*१९५५. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना की कार्यान्विति के लिए प्रादेशिक आयुक्त, निबटारा करने वाले पदाधिकारी तथा उनके सहायकों की नियुक्ति किस प्रकार की गई थी?

(ख) उनमें से कितने विस्थापित व्यक्ति हैं?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) प्रादेशिक निबटारा आयुक्त के स्थान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की स्थायी सेवाओं से अधिकारियों को स्थानांतरित करके भरे गए निबटारा करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्तियां अधिकतर भूतपूर्व दावा अधिकारियों से की गई केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पुनर्वास विभागों में जिन्हें काम का अनुभव था ऐसे भी कुछ लोग नियुक्त किये गए हैं। सहायक निबटारा पदाधिकारी भूतपूर्व दावा अधिकारियों तथा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले व्यक्तियों में से चुने गये।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

श्री गिडवानी : प्रादेशिक निबटारा आयुक्तों की नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्यों नहीं की गई ?

श्री ए० पी० जैन : जब स्थायी सरकारी नौकरों को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किया जाता है तब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होता।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि उन में कोई शेडयूल्ड कास्ट से भी थे ?

श्री ए० पी० जैन : मैं नहीं कह सकता कि उन में कोई शेडयूल्ड कास्ट के थे या नहीं।

सैनिक सहचारी

*१९५६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मास्को में भारतीय दूतावास में और नई दिल्ली में रुस के राजदूतावास में सैनिक सहचारी नियुक्त करने का निश्चय किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो इन की नियुक्त किस तिथि को की जायेगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां।

(ख) नियुक्तियां उस तिथि को होगी जिस तिथि को वे अधिकारी अपने अपने पद संभाल लेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : रुस के अलावा और भी किसी देश में अटैचीज ऐप्वाइन्ट होंगे और होंगे तो कहां कहां पर?

श्री अनिल के० चन्दा : अनेक परकीय राष्ट्रों में हमारे सैनिक सहचारी हैं।

श्री जोकीम आल्वा : सैनिक सहचारियों के विनिमय का यह सिलसिला कब आरंभ हुआ? क्या यह विनिमय स्वराज्य प्राप्ति के बाद जब इंगलिस्तान तथा संयुक्त राज्य अमरीका में सैनिक सहचारी नियुक्त किये गये थे, तब किया गया था या उससे भी पहले?

श्री अनिल के० चन्दा : स्वराज्य प्राप्ति के पहले विदेशों में हमारा कोई दूतावास नहीं था।

अमोनियम सल्फेट

*१९५८. **श्री तेलकीकर** : क्या **उत्पादन** मंत्री ३ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे कि देश में उर्वरक की बढ़ती हुई मांग के बावजूद जनवरी से जून, १९५३ तक की अवधि में सिन्दरी कारखाने में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): इस अवधि औसत मासिक उत्पादन २३,२२२ टन था, जबकि १९५२ के पिछले छः मासों में औसत मासिक उत्पादन १९०१७ टन था। जून १९५३ में गैस होल्डर के बिगड़ जाने के कारण कम उत्पादन हुआ।

श्री तेलकीकर : अब मासिक उत्पादन कितना है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं जानता कि आप किन मासों के उत्पादन के बारे में जानकारी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में वह वर्तमान उत्पादन जानना चाहते हैं।

श्री तेलकीकर : १९५३ का ।

श्री के० सी० रेड्डी : १९५३ के पहले छः मासों में उत्पादन इस प्रकार था ।

	(टनों में)
जनवरी	२४६३८
फरवरी	२६९८९
मार्च	२२५४९
अप्रैल	२२९५७
मई	२३९५४
जून	१८५४८

श्री तेलकीकर : क्या देश की मांगे पूरी करने के लिए कोई अतिरिक्त स्कंध हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : सिन्दरी में वर्तमान स्कंध लगभग ५०,००० टन है ।

श्री के० के० बसु : अमोनियम सल्फेट की प्रति टन उत्पादन लागत क्या है और सरकार क्या दाम लेती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : उत्पादन की लागत ठीक ठीक बताना बहुत कठिन है, क्योंकि इस में अन्तर होता रहता है । किन्तु सिन्दरी उर्वरक का विक्रय मूल्य सिन्दरी रेलवे स्टेशन तक २७५ रुपये प्रति टन है ।

श्री तेलकीकर : धान की जापानी ढंग की कृषि के फलस्वरुप उर्वरक की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

श्री के० सी० रेड्डी : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम

*१९५९. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम में १००० रुपये से अधिक प्रति मास वेतन पाने वाले पदाधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से कितने (१) विदेशी और कितने (२) सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी हैं; और

(ग) निगम इन पदाधिकारियों को किस प्रकार भरती करता है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). दामोदर घाटी निगम से जानकारी एकत्र की जा रही है, और उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रखी जाएगी ।

(ग) निगम के दो सदस्य, कर्मचारी-वर्ग निदेशक तथा सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष जिस प्रवर समिति के सदस्य हैं, उसी के सिफारिशों से पदाधिकारियों की भर्ती हुआ करती है, इस प्रवर समिति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों का समर्थन अध्यक्ष द्वारा भी हुआ करता है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन विशारदों को प्रायः ठेके पर नियुक्त किया जाता है ?

श्री हाथी : वे प्रायः दामोदर घाटी निगम के स्थायी कर्मचारी होते हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या इन में भारतीय पदाधिकारी शामिल नहीं ?

श्री हाथी : पहले दो सदस्य तो भारतीय हैं, कर्मचारी वर्ग का अध्यक्ष भी भारतीय है और विभागों के अध्यक्ष भी प्रायः भारतीय हैं। दामोदर घाटी निगम में अधिक विदेशी नहीं हैं ।

श्री वेलायुधन : क्या चीफ इंजीनियर की नियुक्ति में देर होने के कारण सरकार को हानि हुई है, और क्या इस सम्बन्ध में राऊ समिति द्वारा की गई सिफारिश पर दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने कोई कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय: मेरा विचार है कि कुछ समय पहले इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था। और उस समय यह बताया गया था कि उक्त रिपोर्ट अभी प्राक्कलन समिति के विचाराधीन है। अतः अभी इस प्रश्न के पूछे जाने का समय नहीं है।

श्री टी० एन० सिंह: यह जानकारी चूंकि बहुत कम पदाधिकारियों के सम्बन्ध में है, अतः इसे आसानी से एकत्र किया जाना चाहिए था। निगम को यह जानकारी प्राप्त करने में इतना अधिक समय क्यों लगा है ? क्या उन्होंने इस प्रश्न में पूछी गई जानकारी को समय पर देने से इन्कार किया है ?

श्री हाथी: दामोदर घाटी निगम से हमें कोई भी उत्तर नहीं मिला है। अतः स्वभाविक बात है कि चूंकि उन्हें विविध परियोजनाओं से जानकारी एकत्र करनी है, इस में कुछ अधिक समय लगा है। किन्तु मैं इस बात की छानबीन कर रहा हूं कि देर क्यों हुई है।

कच्चे लोहे और मैंगनीज का निर्यात

*१९६२. **श्री सारंगधर दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) (१) उडीसा के खान मालिकों और (२) उन लोगों को जिन की अपनी खानें नहीं हैं बलकि जो खान मालिकों से ही निर्यात की आवश्यकताओं को खरीदते हैं, कच्चे लोहे और मैंगनीज़ के निर्यात के लिए कितना कितना अभ्यंश आवंटित हुआ है;

(ख) क्या सरकार के पास खान मालिकों और उडीसा चैम्बर आफ कामर्स की ओर से इस बात की कोई शिकायत मिली है कि विदेशी क्रेताओं के ठेकों को पूरा करने के लिए उनके पास पर्याप्त अभ्यंश नहीं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर 'हां' में हो, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) प्रतिष्ठापित निर्यातकों और खान मालिकों को कलकत्ता पतन से अक्तूबर–दिसम्बर १९५३ और जनवरी, मार्च १९५४ की अवधि में निर्यात करने के लिए आवंटित कच्चे लोहे और मैंगनीज़ के निर्यात अभ्यंशों को जताने वाले चार विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५२] इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) कुछेक खान मालिकों ने अभ्यंश बढ़वाने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं, और कई कारण बताये हैं; किन्तु उड़ीसा चैम्बर आफ कामर्स से इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) उत्पादन के आधार पर ही मिल–मालिकों को अभ्यंश आवंटित होता है, अतः जिन कई एक लोगों ने अभ्यावेदन दिया है, उनके साथ और कोई व्यवहार नहीं किया जा सकता।

श्री कासलीवाल: क्या सरकार को ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच हुए उस व्यापार करार के सम्बन्ध में कोई जानकारी है, जिसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने सोवियत संघ से मैंगनीज खरीदना स्वीकार किया है और जिसके परिणामस्वरूप ग्रेट ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यात गिर गए हैं ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना चाहिए।

श्री मुनिस्वामी: क्या सामान लादने की सुविधाओं के अभाव के सम्बन्ध में

कोई अभ्यावेदन मिला है, और यदि मिला है तो क्या सरकार ने उस पर विचार किया था ?

श्री करमरकर : हां श्रीमान् गुंटूर-होसपेट क्षेत्र में प्रारम्भ से ही कुछ कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता था।

श्री सारंगधर दास : क्या मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है कि खानों में बहुत सा स्टाक पड़ा है जिसे डिब्बों के अभाव के कारण इधर-उधर लिया नहीं जा सकता है क्योंकि निर्यात अभ्यंशों के आवंटन के अनुसार डिब्बे दिये जाते हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वास्तव में स्थिति इस प्रकार है कि हम निर्यात को कम नहीं करना चाहते। डिब्बे मुहैया करने के सम्बन्ध में ही हमारी कठिनाई है, और इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने ठीक बात सोची और कही है हमारे पास इतन डिब्बे नहीं हैं कि हम इस सामान को गम्यस्थान तक पहुंचा सकें। इस प्रश्न का एक और पहलू भी है, यानी यदि हम उन लोगों को डिब्बे दें जिनका विदेशों में कोई भी सम्पर्क नहीं तो यह सामान पतनों पर पडा रहेगा और जगह घेर लेगा जिससे औरों का सामान नहीं भेजा जा सकेगा। हम पतन न्यासों के विभिन्न अध्यक्षों से निरन्तर रूप से बात चीत कर रहे हैं, ताकि अभाव होने पर इस कठिनाई को दूर किया जा सके, किन्तु इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि डिब्बों का अभाव है, इस समस्या को हल करना बहुत ही कठिन दीख रहा है।

आवास योजनायें

*१९६३. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों की आवास व्यवस्था के लिए १९५३-५४ में भारत सरकार ने कितनी राशि मंजूर की थी; और

(ख) क्या इन धनराशियों को वे ही सहकारी आवास सभायें व्यय करेंगी जो स्वयं विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बनाई गई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जन) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५३]

(ख) विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बनाई गई सहकारी आवास सभाओं को प्रत्येक प्रोत्साहन दिया जाता है। १९५३-५४ के लिए मंजूर राशि में से, ३५.७ लाख रुपये इस प्रकार की सभाओं को 'ऋण' के रूप में देने के लिए आवंटित किये गये थे।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जो सहयोग समितियां बनायेंगे उनको आप क्या क्या सुविधायें देंगे ?

श्री ए० पी० जैन : हम उनको जमीन के एक्वायर करने में मदद करते हैं और हम उनको मकान बनाने के लिए कर्जा देते हैं।

हथकरघा उद्योग

*१९६४. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अलग रखी गई निधि में भाग लेने

वाले राज्यों के नाम क्या हैं, और आज तक उन्हें कितनी राशि दी जा चुकी है; और

(ख) क्या किसी भी राज्य की ओर से आवंटन के वर्तमान आधार का विरोध हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५४]

(ख) आंध्र सरकार ने इस आवंटन में अधिक राशि का दावा किया है। पंजाब सरकार ने भी अतिरिक्त अनुदान की मांग की है।

श्री हेमराज : विविध राज्यों को किस आधार पर अनुदान दिये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अनुदान के आवंटन के सम्बन्ध में हम कई बातों को दृष्टि में रखते है, और हमारे निर्णय का एक मुख्य पहलू इस बात पर आधारित होता है कि किस विशेष राज्य ने हथकरघा अभिप्राय से कितना धागा खपा लिया।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : विवरण को देख कर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि कई राज्यों को अधिक धन मिला है, और कई को कम, जब कि उन राज्यों में हथकरघों की संख्या भी भिन्न भिन्न है। मद्रास राज्य को लगभग ९२ लाख रुपये मिले हैं जबकि हैदराबाद को केवल १३ लाख रुपये ही मिले हैं। इस प्रकार के वितरण के क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है कि माननीय सदस्य का इस प्रकार का विचार ठीक न हो।

श्री भागवत झा आजाद : क्या हथकरघा उद्योग अभ्यंश का ४० प्रतिशत, जो इसके लिए रक्षित किया गया है, उत्पादित कर सका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय हमारे सामने यही मापदण्ड है कि जो जितना धागा ले, वह उतना ही उत्पादन करेगा, और इस हिसाब से यदि देखा जाय तो हथकरघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ रहा है, और देश के भिन्न भागों से जो रिपोर्टें मिली हैं उन से पता चलता है कि अब पहले से अधिक अच्छी स्थिति है।

श्री सिंहासन सिंह : माननीय मंत्री ने उत्तर में बताया है कि राज्यों को दिये गये धागे की मात्रा के आधार पर ही निश्चय किया जाता है। मद्रास, आंध्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में चलने वाले हथ करघों की संख्या कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये, किन्तु साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रायः संख्या से सचाई का प्रतिपादन नहीं होता।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यही समझूं कि त्रावणकोर–कोचीन सरकार या सहकारी सभाओं से इस प्रकार के कोई भी अभ्यावेदन नहीं पहुंचे हैं कि धनराशि के आवंटन में करघों की संख्या और सम्बद्ध राज्य की अर्थनीति में हथकरघों की स्थिति पर विचार किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : त्रावणकोर कोचीन सरकार से मुझे इस सरकार का कोई भी अभ्यावेदन नहीं मिला है। और दूसरी ओर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान सरकार से पहले की सरकार की क्या विचित्र स्थिति थी हमें केन्द्रीय सरकार के रूप में हथकरघा

उद्योग को चलाने और सुव्यवस्थित करने का काम आरम्भ करना पड़ा था ताकि हमारे दिये हुये अनुदान का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : राज्यों में हथकरघों की संख्या आदि के आंकडे कब तैयार किये गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्वसूचना चाहिए । मेरे विचार में इस मामले पर राज्यों द्वारा ही समय समय पर ध्यान दिया जाता है । मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं है कि आंकड़े बनाने की उनकी यह प्रणाली प्रायः ठीक है किन्तु कुछ भी हो मैं हथकरघों की सख्या के सम्बन्ध में तब तक ठीक ठीक जानकारी नहीं दे सकता जब तक कानूनगो समिति की रिपोर्ट न मिले ।

स्थानीय कार्यक्रम

*१९६५. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस अभिप्राय के अभ्यावेदन भेजे गये हैं कि ३१ मार्च, १९५४ तक किसी कार्य के पूरा न हो सकने से राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न स्थानीय-कार्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में मंजूर की गई राशि को कालातीत न समझा जाय; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो अभ्यावेदन में लिखी बातें तथा उनके सम्बन्ध में किया गया फैसला क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख): हां, श्रीमान, किसी वित्तीय वर्ष में स्थानीय-कार्य कार्यक्रम के सम्बन्ध में मंजूर किये गये अनुदानों के अगले वर्ष में चालू रहने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है तथा औपचारिक आदेशों के बहुत शीघ्र जारी होने की आशा की जाती है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या पिछले एक वर्ष में प्राप्त हुए अनुभव के प्रकाश में इन अनुदानों के बंटवारे के सम्बन्ध में प्रक्रिया नियमों में सुधार करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री हाथी : इन पर विचार हो रहा है । इस सम्बन्ध में कुछ प्रस्थापनायें हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : इस वर्ष के छः करोड़ रुपये के आयव्ययक में से केन्द्रीय सरकार स्वंय बांटने के लिए कितनी राशि को रक्षित करना चाहती है ?

श्री हाथी : अभी इसका फैसला नहीं किया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार को विदित है कि इन बड़ी बड़ी राशियों के कालातीत हो जाने का कारण यह है कि सरकार इन स्थानीय कार्यों की सहायता के लिये समय पर अनुदान नहीं दे सकी है ?

श्री हाथी : वास्तविक कठिनाई यह थी कि इन कार्यों सम्बन्धी योजनाओं को पिछले वर्ष अर्थात् सन् १९५३ के अन्त में तैयार किया गया था, कुछ योजनायें तैयार नहीं थीं तथा आवंटन की मंजूरी का प्रश्न भी था । यह कुछेक प्रारम्भिक कठिनाइयां थीं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से ऐसे प्रान्त ह जहां पर लोकल वर्क्स प्रोग्राम नेशनल प्लान के अन्तर्गत पूर्ण नहीं किया गया,

तथा उस पर क्या सुझाव डिपार्टमेंट ने उन प्रान्तों को दिया है ?

श्री हाथी : यह सभी स्थानीय विकास के छोटे छोटे कार्य थे तथा राज्य सरकारों से रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। अतएव इसकी वास्तविक गतिविधि के सम्बन्ध में किसी निश्चित उत्तर का इस समय देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री एल० एन० मिश्र : इस वारे में किन किन राज्यों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है कि कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि कार्यों की किस्म को देखने से यह पता चलेगा कि वह कुएं खोद रहे हैं अथवा कुछ छोटी सड़कों को बना रहे हैं इसी प्रकार से अन्य कार्यों को कर रहे हैं। अतएव कोई वास्तविक लक्ष्य निश्चित नहीं किये गये हैं।

उत्प्रवास

*१९६६. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि आरक्षी महानिरीक्षक, कोलम्बो फ़रवरी, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में मद्रास आये थे ?

(ख) चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) यह यात्रा उस सामान्य प्रबन्ध के अन्तर्गत थी जिसके अनुसार भारत तथा लंका के आरक्षी अधिकारियों में समय समय पर सम्मेलन होते रहते हैं। वर्तमान यात्रा का सम्बन्ध मुख्यत: आरक्षी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से था। महानिरीक्षक ने मद्रास के उत्प्रवास नियंत्रक से भी विचार विमर्श किया था, परन्तु यह सम्मेलन एक सामयक प्रकार का था तथा इसमें कोई महत्वपूर्ण फैसले नहीं किये गये थे।

श्री मुनिस्वामी : क्या इस विचार विनिमय के बाद लंका को अवैध आप्रावास में कोई उल्लेखनीय कमी हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैंने कहा है, इस बिचार विनिमय का अवैध आप्रवास से कोई सम्बन्ध नहीं था, परन्तु कुछ दिनों से अवैध आप्रवास में काफ़ी कमी हुई है।

श्री मुनिस्वामी : क्या भारतीय व्यापारिक हितों के मार्ग में आने वाली कथित कठिनाइयों तथा असुविधाओं के सम्बन्ध में कोई विचार विनिमय हुआ था ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्पष्टत: आरक्षी अधिकारियों का इन मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कर्मचारी

*१९६७. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भीतरी पंक्ति क्षेत्र में काम करने वाले उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के कर्मचारियों के भीतरी पंक्ति भत्ते को ३० प्रतिशत से बढ़ा कर ३३ १/२ प्रतिशत कर दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भीतरी पंक्ति क्षेत्र में काम करने वाले आसाम राइफ़िल्स के कर्मचारियों के लिए इस वृद्धि की मंजूरी नहीं दी गई है

(ग) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार अभिकरण क्षेत्र की भीतरी पंक्ति में काम करने वाले आसाम राइफिल के कर्मचारियों से उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के क्षेत्र के कर्मचारियों जैसा व्यवहार करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

प्रधान मंत्री के सभा-सचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अनुसचिवीय तथा आसाम राइफिल्स के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को इन रियायतों के देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या सरकार को उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण की भीतरी पंक्ति क्षेत्र में काम करने वाले आसाम राइफिल्स के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है, तथा यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस मामले में क्या उपाय किये हैं ?

श्री जे० एन० हजारिका : हमें सेना अधिकारियों अथवा आसाम राइफिल्स के कर्मचारियों से उनके अपने सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है, परन्तु हमें अनुसचिवीय कर्मचारियों से ऐसा अभ्यावेदन मिला है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या सरकार का ध्यान कुछ समय पहले प्रकाशित हुई एक प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जो आसाम राइफिल्स तथा दूसरे कर्मचारियों के वेतनों में की गई कुछ प्रतिशत वृद्धि की असंगतियों के बारे में थी ?

श्री जे० एन० हजारिका : इस पर विचार हो रहा है ।

श्री अमजद अली : सामान्य आरक्षी के अतिरिक्त उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के भीतरी पंक्ति क्षेत्र में आसाम राइफिल्स की एक टुकड़ी के नियुक्त करने का क्या विशेष प्रयोजन है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): यह सामान्य प्रयोजन है जिसे सामान्यतः किया जाता है ।

लंका में भारतीय

*१९६८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि लंका में काम करने वाले ७० 'राष्ट्रहीन भारतीयों' को लंका राष्ट्रीयता का लिखित प्रमाण न देने की अवस्था में नौकरी से निकाल दिये जाने की धमकी दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि लंका के व्यापारी सार्थों ने भी लंका से बाहर के कर्मचारियों को इसी प्रकार की धमकी दी है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) **से** (ग). लंका सरकार ने 'लंका वासियों' की हाल में एक नई परिभाषा की है जो लोक सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में है । इस घोषणा के तुरन्त पश्चात जनवास्तु विभाग के एक छोटे अधिकारी ने परिभाषा का गलत निर्वचन किया तथा उस ने रतमलना विमान पत्तन के ७० अधिकारियों से नौकरियों पर रहने के लिए लंका की राष्ट्रीयता का लिखित प्रमाण मांगा । इस कार्यवाही से कुछ हलचल होने पर, लंका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने लंका के अधिकारियों

से सम्पर्क स्थापित किया जिन्हों ने उन्हें आश्वासन दिया कि नई परिभाषा को केवल भविष्य में की जाने वाली भर्ती पर लागू किया जायगा तथा पहले से सेवायुक्त व्यक्तियों पर नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या इस घटना के बाद कुछ और भारतीयों के 'राष्ट्रहीन' होने की घोषणायें की गई हैं, तथा यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस प्रश्न का सम्बन्ध तथाकथित 'राष्ट्रहीन' श्रेणी की सेवा नियुक्ति से है। परन्तु मुझे विश्वास नही है कि लंका से कुछ भारतीयों को निकाल दिया गया है सम्भवत: कोई भारतीय लंका से नहीं निकाले गये हैं।

श्री रघुरामय्या : क्या लंका सरकार की अस्थायी निवास के परमिटों तथा परिचय पत्रों का नवीकरण करने से इन्कार करने की नीति का यह प्रभाव होगा कि राष्ट्रहीन व्यक्तियों को निकाल बाहर किया जायेगा जिस से उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए प्रार्थनापत्र देने की प्रेरणा मिलेगी तथा वे लंका की नागरिकता को प्राप्त करने का विचार छोड़ देंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : यदि पृथक रूप से कोई प्रश्न किया जाय तो यह अधिकसुविधा जनक रहेगा क्योंकि इसके सम्बन्ध में पृथक रूप से कार्यवाही की जायगी।

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : इस मामले में लंका सरकार का क्या मत है ? क्या भारत सरकार ने इसे सुनिश्चित किया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : किस मामले के सम्बन्ध में ?

श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी : इसी मामले के सम्बन्ध में--इसी मामले विशेष के सम्बन्ध में।

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने कहा है उन्हों ने ऐसा आश्वासन दिया है कि इस का प्रभाव पहले से सेवायुक्त व्यक्तियों पर नहीं होगा।

श्री दामोदर मेनन : क्या लंका की राष्ट्रीयता के प्रमाण की शर्तें केवल भारतीय व्यापारिक सार्थों पर ही लागू होगी या दूसरी राष्ट्रीयता वाले सार्थों पर भी।

श्री अनिल के० चन्दा : यह अधिसूचना एक सामान्य प्रकार की है।

ब्रिटिश गायना से भारतीयों की वापसी

*१९७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश गायना सरकार ने ४०० भारतीयों को वापस भेजने के लिए एक जहाज प्राप्त करने का फैसला किया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या यह सच है कि ५००० भारतीय भारत लौटने का विचार कर रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा

उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान में उनको भेजने का सबब क्या है, वहां से क्यों ये लोग वापिस किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह कतई ठीक नहीं है कि वहां से वे लोग वापिस भेजे जा रहे हैं, अभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया कि जिसकी वजह ढूंढी जाय और बतलायी जाये ।

ब्रिटिश राजदूतावास

*१७२५. **श्री राधा रमण :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगस्त १९४७ से पूर्व कुछ ब्रिटिश राजदूतावासों एवं अन्य वाणिज्य दूतिक और कूटनैतिक नियुक्तियों से संबंधित व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाया करता था ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से मिशन थ ;

(ग) उस काल में इन मिशनों ने अपने अपने स्थानों पर जो सम्पत्तियां आदि खरीदी थीं, उन के सम्बन्ध में क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार से अधिकारों की मांग की है; तथा

(घ) यदि हां, तो यह मामला अब किस अवस्था पर है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) काबुल और काठमांडू स्थित ब्रिटिश राजदूतावासों तथा काशगर स्थित ब्रिटिश महावाणिज्य दूत का सारा खर्च भारत सरकार करती था । ईरान में कूट-नैतिक एवं वाणिज्यदूतिक प्रतिनिधित्वों पर होने वाला व्यय (१) पौण्ड २३,८९४-११-९ तक भारत सरकार द्वारा और (२) पौण्ड २१,७८१-१५-११ तक ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाता था । इससे अधिक होने वाले व्यय दोनों सरकारों में आपस में बराबर बट जाते थे । वैदेशिक कार्यालय द्वारा देय आधी राशि में से ब्रिटिश राजदूतावास, जिद्दा, के व्यय के लिये भारत के वार्षिक अंशदान और ईरान में संस्थापनों के लिये ब्रिटिश सरकार को दिये जाने वाले भारत के स्थायी अंशदान के हेतु क्रमशः पौण्ड ७९० और पौण्ड ४८७-१०-० काट लिये जाते थे ।

(ग) जी हां ।

(घ) काशगर स्थित भूतपूर्व ब्रिटिश महावाणिज्य दौत्य की सम्पत्ति ब्रिटिश सरकार ने भारत और पाकिस्तान सरकारों के प्रतिनिधियों को दे दी थी । काठमांडू स्थित ब्रिटिश राजदूतावास की इमारतें अभी हाल ही में हमें दी गई हैं । अन्य स्थानों पर सम्पत्ति के हस्तान्तरण के संबंध में वार्ता चल रही है ।

श्री राधा रमण : ब्रिटिश सरकार के साथ इस प्रश्न पर वार्ता सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : स्पष्ट है कि शक्ति हस्तान्तरण के बाद ।

श्री राधा रमण : इस मामले में अनुमानत: कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ?

श्री अनिल के० चन्दा : बहुत बड़ी राशि है । काबुल की सम्पत्ति लगभग २५ लाख रुपये की होगी । इसी प्रकार ईरान तथा अन्य स्थानों की सम्पत्तियां भी कई लाख की होंगी ।

मलाया में भारतीय नजरबन्द

***१७४३. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि मलाया में लागू आयात विनियमन अधिनियम के अधीन नज़रबन्द किये गये सभी भारतीयों को अब मुक्त कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने मलाया में पुनर्वासित कर दिये गये हैं और कितने भारत को प्रत्यावर्तित कर दिये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री श्री (अनिल के० चन्दा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार लगभग ९० भारतीय अभी तक मलाया में नज़रबन्द हैं। सिंगापुर में कोई भी भारतीय नज़रबन्द नहीं है ।

(ख) जून, १९४८, में आपात के आरंभ होने के समय से, मलाया और सिंगापुर से ८३० भारतीय नज़रबन्द भारत को प्रत्यावर्तित किये गये हैं। कोई ६०० स्थानीय तौर से छोड़ दिये गये हैं । इन आदमियों के मलाया में पुनर्वास संबंधी किसी योजना का भारत सरकार को पता नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : जो अन्य ९० भारतीय जेल में बन्द है, क्या उनको छुड़ाने के लिये भारत सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जब कभी भी किसी भारतीय राष्ट्रजन के हित में हमारे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता पड़ी है, वहां स्थित हमारे प्रतिनिधि ने सभी समुचित कार्यवाहियां की हैं ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि उन नज़रबन्दों में से कितने मद्रास राज्य के हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे मालूम नहीं है ।

श्री अच्युतन : क्या भारतीयों के प्रत्यावर्तित किये जाने से पूर्व, उनको वहां के न्यायालय में अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने का कोई अवसर दिया गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस संबंध में वहां एक पेचीदा वैधानिक प्रक्रिया है । ऐसी नज़रबन्दी के संबंध में वहां तीन नियम लागू होते हैं । इन में से दो नियमों के संबंध में कानूनी सहायता संभव है ।

हैदराबाद में विस्थापित व्यक्ति

***१९५७. श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद राज्य को वहां के विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और उनके पुनर्वास की योजनाओं के लिये १९५४–५५ में किसी अनुदान का आवंटन किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो कितना ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १९४८ की पुलिस कार्यवाही के फलस्वरूप जिन व्यक्तियों को हानि पहुंची थी, उनके पुनर्वास के लिये धन दिया गया है ।

(ख) आय व्ययक में ४·२९ लाख रुपये की एक व्यवस्था की गई है ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या मैं उन बाहरी विस्थापित व्यक्तियों की संख्या जिन्हें हैदराबाद राज्य में पुनर्वासित किया गया है जान सकता हूं ?

श्री ए० पी० जैन: कुछ सौ परिवार अपनी इच्छा से हैदराबाद राज्य में गये हैं। मैं उनकी ठीक ठीक संख्या नहीं बता सकता हूं; मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वे कुछ सौ हैं।

श्री एच० जी० वैष्णव: क्या इस संबंध में हैदराबाद राज्य के ऊपर कोई उत्तरदायित्व डाला गया है?

श्री ए० पी० जैन: जी नहीं; मेरा मतलब है कि कोई आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं डाला गया है।

रूई का समाहार तथा आयात

***१९४०. श्री सिंहासन सिंह (श्री एस० एन० दास की ओर से):** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रूई के समाहार और आयात का चालू मौसम का कार्यक्रम तय हो गया है?

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम क्या है?

(ग) इस संबंध में रुई सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें और सुझाव क्या है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). रुई सलाहकार बोर्ड ने सुझाव दिया है कि १९५३-५४ के रूई के मौसम में देश की विदेशी रुई की आवश्यकतायें लगभग ६ लाख गांठें होंगी। देश की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये विदेशी रूई के आयात की अनुमति दी जा रही है।

श्री एन० एल० जोशी: क्या इस देश में पैदा होने वाली लम्बे रेशे और छोटे रेशे वाली रुई को अलग अलग करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: वे अलग अलग कर दी जाती है क्योंकि खरीदने वालों की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं। वे अपनी आवश्यकता और इच्छा के अनुसार उसे खरीदते हैं।

सरदार ए० एस० सहगल: जो रूई सलाहकार बोर्ड बनाया गया है उसमें रूई पैदा करने वाले जिलों या राज्यों से कितने व्यक्ति चुने गये हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं पूर्वसूचना चाहता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

***१९४५. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या श्री श्रीप्रकाश के सभापतित्व में १९५१ में नियुक्त की गई समिति ने पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के आसाम में पुनर्वासित करने के कार्य को दिखाने वाला कोई प्रतिवेदन दिया है; तथा

(ख) यदि हां तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जायेगी?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). जी हां ; विस्थापित व्यक्तियों को असाम में पुनर्वासित करने की समस्या पर समिति के सभापति और अन्य सदस्यों के विचार मंत्रालय को अक्तूबर १९५१ में प्राप्त हो गये थे । ये विचार पुनर्वास की योजनायें बनाने के काम में पुनर्वास मंत्रालय की सहायता करने के लिये विभागीय उपयोग के लिये थे और उनको प्रकाशित करने का विचार नहीं है ।

चाय श्रमिक कल्याण

***१९४९. श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में केन्द्रीय चाय बोर्ड द्वारा श्रमिक कल्याण के लिये आय-व्ययक में कितने अनुदान की व्यवस्था की गई थी ?

(ख) उसमें से वस्तुतः कितना दिया गया है, और किस राज्य सरकार को ?

(ग) वे अन्य राज्य सरकारें कौनसी हैं, जिन्हें १९५३-५४ के लिये कोई अनुदान नहीं दिये गये हैं ?

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १,००,००० रुपये ।

(ख) १५,००० रुपये उत्तर प्रदेश को दिये जा चुके हैं । बिहार का आवेदन पत्र चाय बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ग) आसाम, मैसूर, त्रिपुरा त्रावनकोर-कोचीन, पश्चिम बंगाल, पंजाब तथा मद्रास ।

(घ) कुछ राज्यों ने १९५३–५४ के लिये योजनायें नहीं भेजी थीं । शेष राज्य अनुदान पाने के अधिकारी नहीं थे या तो इसलिये क्योंकि उन्होंने १९५१-५२ या १९५२-५३ में दी गई राशि का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया था अथवा क्योंकि उन्होंने आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया था ।

"अफ्रीका में जाग्रति"

***१९५३. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि " **अफ्रीका में जागृति** " नामक पुस्तक की कितनी प्रतियां इंगलैण्ड तथा राष्ट्र-मण्डल के अन्य भागों में वितरण के लिये भेजी गई थी ?

(ख) क्या यह सच है कि यह पुस्तक वापस ले ली गई है और इसकी सारी उपलब्ध प्रतियां नष्ट कर दी गई है ;

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) लगभग एक हजार प्रतियां ।

(ख) विदेशों में स्थित जिन भारतीय मिशनों को इसकी प्रतियां भेजी गई थी उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस पुस्तिका का जो कि एक भारतीय समाचार पत्र में एक ब्रिटिश पत्रकार द्वारा अफ्रीका पर लिखे गये क्रमशः प्रकाशित होने वाले लेखों का एक रीप्रिन्ट है, अग्रेतर वितरण न करें । यह पुस्तक मुख्य रूप भारत के लिये है, और जो प्रतियां वितरित नहीं हुई हैं, उन्हें भारत में वितरण के लिये वापस मंगाया जा रहा है । कोई प्रति नष्ट नहीं की गई है ।

भारत सरकार में अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति के कर्मचारी

*१९६०. **श्री गणपति राव** : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय के सचिवालय में तथा उस से संम्बन्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों में से कितने अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों के हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : लगभग १६५० ।

राउरकेला में इसपात संयन्त्र

*१९६१. **पंडित लिंगराज मिश्र** : (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जर्मनी के सर्वश्री क्रुप्स तथा डेमाग अथवा भारत या विदेश की किसी अन्य इस्पात संस्था के साथ राउरकेला में इस्पात संयंत्र के आरंभ होने से पूर्व इंजीनियरों और अन्य प्रविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई प्रबन्ध किया गया है ?

(ख) क्या ऐसे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिय कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) २१ दिसम्बर, १९५३ को जर्मन संयुक्त संस्था सर्वश्री क्रुप्स तथा डेमाग के साथ हस्ताक्षरित प्रविधिक सलाहकार करार (जिसकी प्रतियां सदन पटल पर २४ दिसम्बर, १९५३ को रख दी गई थीं) के पैरा १८ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि पर्याप्त संख्या में भारतीयों को जिनकी संख्या संयुक्त संस्था और भारत सरकार के बीच आपस में तय की जायगी जर्मन कारखानों में प्रशिक्षण दिया जायगा यह भी विचार है कि जब किसी माल भेजनें वाले से मशीन आदि भेजने को कहा जायेगा, तो उसे अपने कारखानों में कुछ भारतीयों को प्रशिक्षित करना होगा ।

(ख) इस मामले में जर्मन संयुक्त संस्था के परामर्श से निकट भविष्य में प्रशिक्षण के लिये कार्यवाही की जारही है, परन्तु कोई निश्चित कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । इस प्रश्न को, मई के आरंभ में हिन्दुस्तान इस्पात के बोर्ड की बैठक में इस पर विचार हो जाने के बाद, अंतिम रुप देने का विचार है ।

भारत लंका करार

*१९६९. **श्री गणपति राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या लंका सरकार ने भारत लंका करार को लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस के सदस्य कौन कौन हैं और यह कब से काम प्रारम्भ करेंगे ; तथा

(ग) क्या इस समिति में हमारी सरकार का भी कोई प्रतिनिधि है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) सर आलीवर गुनतिलक, वित्त मंत्री, श्री आर० जी० सेनानायके, वाणिज्य मंत्री, श्री विक्रमनायके, न्याय मंत्री, डा० कालील, श्रम मंत्री तथा श्री गुना सेन डी सोयजा, सचिव । उक्त व्यक्तियों वाली उपसमिति ने अपना काम आरंभ कर दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

कपड़ा धोने का सोडा

४१७. { श्री ए० के० गोपालन
श्री वी० पी० नायर :

(क) क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चालू वर्ष में कपड़ा धोने के सोडा का आयात किया गया है?

(ख) आयातित वस्तु का तटांगत मूल्य क्या था ?

(ग) आज कल इस वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है ?

(घ) १९४८-४९ में इस वस्तु की कितनी मात्रायें आयात की गई थीं !

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). १४ फरवरी, १९५४ को माल संभरण तथा मूल्य अधिनियम, १९५०, के व्यपगत होने के साथ ही कपड़ा धोने के सोडा के मूल्य पर नियन्त्रण समाप्त होगया इस से पूर्व कपड़ा धोने के सोडा की भिन्न भिन्न किस्मों के किसी आयातक अथवा उत्पादक द्वारा लिया जा सकने वाला अधिकतम मूल्य रु० १९-८ आ० से लेकर रु० ३०-११-० तक था ।

(घ) ३२,७१,३४५ हेडरवेट ।

ब्लैंक फिक्से

४१८. { श्री ए० के० गोपालन :
श्री वी० पी० नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारतीय उद्योग में ब्लैंक फिक्से के महत्वपूर्ण उपयोग क्या है ; तथा

105 PSD.

(ख) चालू वर्ष के लिये इस पदार्थ की अनुमानित आवश्यकता कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ब्लैंक फिक्से टिटेनियम डाई-ऑक्साइड के साथ उपयोग के लिये एक आवश्यक वितानक है । यह रंग रोगन और इनेमेल ठप्पे, मुद्रण स्याही, रबड़ तथा कपड़ों के निर्माण में भी काम में आता है ।

(ख) जनवरी-जून, १९५४ के लिये लगभग ५०० टन ।

रबड़

४१९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में आयातित रबड़ के माल या विशेष प्रकार के रबड़ के माल का मूल्य कितना है ;

(ख) १९४७ से पूर्व वार्षिक आयात कितना था ; तथा

(ग) १९४७ से प्रति वर्ष कच्ची रबड़ और रबड़ के माल के निर्यात की मात्रा और उसका मूल्य क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ४,५२७,००० रुपये ।

(ख) ७९८,००० रुपये १९४५ में और २,१५७,००० रुपये १९४६ में ।

(ग) एक-विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५५]

बिस्कुट (आयात)

४२०. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) १९५३ में भारत में कितने पौंड विदेशी बिस्कुटों का आयात

किया गया था और १९५४ में कितनी मात्रा के आयात किये जाने की आशा है ; तथा

(ख) ऐसे आयात का कुल मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ५६]

चावल और तेल मिलों के लिये आयात अनुज्ञप्तियां

४२१. श्री सिंहासन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के प्रतिवेदन के अपनाये जाने के बाद चावल और तेल मिलों के आयात करने और उनको लगाने के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : चावल और तेल मिलों के आयात के लिये कोई अनुज्ञप्ति नहीं दी गई है । ऐसी मिलों में काम आने वाली कुछ प्रकार की मशीनों का आयात भी अब वर्जित कर दिया गया है ।

चावल और तेल मिलों को लगाने के लिये दी गई अनुज्ञप्तियों की संख्या के संबंध में राज्य सरकारों से जानकारी मंगाई जा रही है, और ज्यों ही वह प्राप्त हो जायेगी सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

बम्बई की कपड़ा मिलें

४२२. श्री सारंगधर दास : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बम्बई राज्य में रूई को काम में लाने वाली कपड़ा मिलों, सूत की मिलों तथा अन्य कपड़ा फैक्टरियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) ३१ मार्च १९५४ या उससे पूर्व तक, जिसके आंकड़े उपलब्ध हों, पूर्णतः या अंशतः कितनी मिलें बन्द हो गई हैं ;

(ग) ये मिलें किन कारणों से बन्द कर दी गई हैं ; तथा

(घ) बन्द होने से पूर्व कुल कितने कर्मचारी काम पर लगे हुए थे और अब कुल कितने कर्मचारी बेकार हो गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १८० सूती कपड़ा मिलें ।

(ख) ४ पूर्णतः और १६ अंशतः ।

(ग) आर्थिक कठिनाईयों और अनार्थिक संचालन के कारण ।

(घ) लगभग १४,४४६ कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ।

निर्यात व्यापार

४२३. श्री जेठालाल जोशी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी और फरवरी, १९५४ में पाकिस्तान, बर्मा, अफगानिस्तान तथा ईरान के साथ भारत के स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य कितना था; तथा

(ख) गत वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में वह कैसा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). पाकिस्तान, बर्मा, अफ़ग़ानिस्तान तथा ईरान के साथ स्थल मार्ग से होने वाले जनवरी और फरवरी, १९५३ तथा १९५४ के तत्स्थानी महीनों के हमारे आयात और निर्यात को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ५७]

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२१ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र--	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९-३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३-३४४५
अनुदानों की मांगें--	
मांग संख्या २६-वित्त मंत्रालय	३४४६-३४८७
मांग संख्या २७-सीमा शुल्क	३४४६-३४८७
मांग संख्या २८-संघ उत्पादन शुल्क	३४४६-३४८७
मांग संख्या २९-निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३०-अफीम	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३१-स्टाम्प्स	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३२-अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३३-लेखा-परीक्षा	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३४-मुद्रा	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३५-टकसाल	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३६-प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३७-वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३८-वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६-३४८७
मांग संख्या ३९-राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६-३४८७
मांग संख्या ४०-संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६-३४८७
मांग संख्या ४१-असाधारण भुगतान	३४४६-३४८७
मांग संख्या ४२-विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६-३४८७
मांग संख्या ११५-भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६-३४८७

146 L S D

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६–मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६–३
मांग संख्या ११७–टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६–३४
मांग संख्या ११८–निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११९–छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या १२०–वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या १२१–केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ७०–विधि मंत्रालय	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७१–चाय-व्यवस्था	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७२–प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७३–भारतीय भूपरिमाप	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७४–वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७५–प्राणकीय परिमाप	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७६–भूतत्वीय परिमाप	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७७–खानें	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७८–वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७–३४८८
मांग संख्या ७९–प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७–३४८८
मांग संख्या ८०–संसद् कार्य विभाग	३४८७–३४८८
मांग संख्या १०७–संसद्	३४८७–३४८८
मांग संख्या १०८–संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७–३४८८
मांग संख्या १०९–उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७–३४८८
मांग संख्या १३१–प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७–३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८–३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९–३४९०
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय में संकल्प—असमाप्त	३४९०–३५३८

सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९–३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२–३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३–३६१६

	पृष्ठ भाग
मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण	३६१७–३६१८
संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन	३६१७
वित्त विधेयक—असमाप्त	३६१८–३६८८
बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४	
राज्य परिषद् से सन्देश—	
शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया	३६८९
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य	३६९०
"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज	३६९०
वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत	३६९०–३७६२
बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४	
याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन	३७६३
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें	३७६३–३७६४
वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३७६४–३८६८
शुक्रवार, २३ अप्रैल, १९५४	
सदन का कार्य	३८६९–३८७०
सरकारी विधेयकों का क्रम	३८७०–३८७२
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित	३८७२–३८८४
स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित	३८८४–३९०४
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	३९०४
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९०५–३९२०
खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित	३९२०–३९३०
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश — ३९४७-३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य — ३९४८-३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक--संशोधित रूप में पारित — ३९५६-३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक--संशोधित रूप में पारित — ३९७३-४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक—पारित — ४०४०-४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त — ४०४२-४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र— — ४०४५-४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुर्नवितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण — ४०४६-४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक--पारित — ४०५४-४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना --

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी — ४०५२-४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित — ४०६९-४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक-- पारित — ४१०५-४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पारित — ४१०९-४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश — ४११९

याचिका-समिति--द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन — ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त — ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें — ४१२०-४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित — ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित करने के लिये प्रस्ताव— असमाप्त — ४१२२-४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक— परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया — ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ... ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ... ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ... ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ... ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त ... ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ... ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ... ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ... ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ... ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ... ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ... ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ... ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ... ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ... ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ... ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ... ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३६१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३६१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १६ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०६

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४६६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १६५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १६५३ ४४६७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४६७–४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

बुधवार, २१, अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-०५ म० पू०

राज्य-परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि यह विधेयक राज्य परिषद् द्वारा १६ अप्रैल, १९५४ की बैठक में पारित किये गये हैं :

१. शिलांग (राइफिल रेंज तथा उम्‌लांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक, १९५४ ।

२. हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १९५४ ।

मैं उक्त दोनों विधेयकों को राज्य परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखता हूं ।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेन्डरों सम्बन्धी वक्तव्य

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मैं सदन पटल पर उन मामलों के विवरण की जिनमें ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त होने वाले काल में भारत भंडार विभाग, लंदन, द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये हैं, एक प्रति रखता हूं [**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १**] ।

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : मैं सदन पटल पर "भारत में फ्रेंच बस्तियां" शीर्षक दस्तावेज की जिसमें भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुए महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार का पाठ दिया गया है, एक प्रति रखता हूं, [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एस–१२४/५४**]

वित्त विधेयक—क्रमशः

अध्यक्ष महोदय : अब सदन माननीय वित्त मंत्री द्वारा १६ अप्रैल को प्रस्तुत वित्त विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा । मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री को अपना उत्तर देने में एक घंटे का समय लगेगा ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : अतः सवा बारह बजे मैं माननीय वित्त मंत्री से उत्तर देने के लिये कहूंगा । पिछले दिन श्री जेठालाल जोशी अपना भाषण दे रहे थे । अब वह अपना भाषण समाप्त करेंगे ।

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : मैं अपने कल के भाषण में यह कह रहा था कि उद्योग की कुछ मदों में औद्योगिक सामर्थ्य और उत्पादन के बीच भारी खाई है। सामर्थ्य में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, परन्तु उत्पादन अपेक्षाकृत बहुत ही कम है — कहीं कहीं तो नगण्य सा है । ऐसी दशा में पता नहीं एक ऐसा उद्योग, जो केवल एक प्रतिशत या उससे भी कम वस्तु का उत्पादन करता है, किस प्रकार लाभकारी रूप में चल सकता है ।

भाग 'ख' में के राज्यों के सम्बन्ध में मैंने राज्य मंत्रालय का पूरा प्रतिवेदन पढ़ा है । उससे पता चलता है कि ऐसे राज्यों में कहीं पर भी गत सात वर्षों में कोई नया उद्योग नहीं खोला गया है, और न ही किसी चालू उद्योग का विस्तार किया गया है। इस प्रकार पूंजी व्यर्थ पड़ी हुई है और लोगों को उससे लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। यह अनुचित है । मेरा सुझाव है कि सभी उद्योगों में समुचित योजना बनाई जानी चाहिये । उत्पादन की अत्यावश्यक और गैर अत्यावश्यक वस्तुओं को एक दूसरे से अलग कर दिया जाना चाहिये। अत्यावश्यक वस्तुओं को निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में विभाजित किया जाना चाहिये । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि उसमें भाग 'ख' में के राज्यों में कुछ उपयुक्त उद्योग खोले जाने चाहियें ।

अब मैं कांडला बन्दरगाह की चर्चा करूंगा । जहां तक मुझे ज्ञात है, इस बन्दरगाह के विकास का निश्चय लगभग चार वर्ष पूर्व किया गया था । परन्तु तब से अब तक इस दिशा में कोई भी प्रगति नहीं हुई है । यह कार्य बहुत तेज़ी से किया जाना चाहिये ।

गत युद्ध में, १९३९–४० में इस देश में कुछ ऐसे उद्योग थे जो अब बन्द हो गये हैं। फलस्वरूप हमें असैनिक उपभोग और सैनिक प्रयोजनों के लिये बहुत सी चीजें विदेशों से खरीदनी पड़ती हैं । यह बात ठीक नहीं है । उक्त उद्योगों को फिर से आरम्भ किया जाना चाहिये । और उन्हीं से हमें अपनी सारी आवश्यकतायें पूरा करनी चाहियें ।

१९४७ के बाद से दियासलाई उद्योग की दशा बहुत खराब हो गई है । पिछले पांच वर्षों में एक बड़ी कम्पनी बन गई है जिसने सभी छोटे छोटे कारखानों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है । यह बिल्कुल मत्स्य न्याय वाली बात है वैसी ही बात है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है । मैं तो समझता हूं कि इस उद्योग को एक छोटे पैमाने का ही उद्योग रहना चाहिये तभी हजारों लोगों की बेकारी दूर हो सकती है ।

वित्त विधेयक में एक प्रस्ताव साबुन पर कर लगाने का है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि अखाद्य तेलों से तैयार किये गये साबुन को इस प्रकार के कर से विमुक्त कर दिया जाना चाहिये । इसका परिणाम यह होगा कि खाद्य तेल मानवीय उपभोग के लिये बच जायेंगे । इस दृष्टिकोण से मूंगफली के बीज और तेल, कोपरा और कोपरा के तेल के निर्यात पर यथासम्भव, प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये । इससे लोगों को बहुत सुविधा हो जायेगी ।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : इस समय चर्चा का विषय साधन तथा उपाय है । आगामी वर्ष १९५४–५५ के सम्बन्ध में व्यय का अनुमान २९४० करोड़ रूपये है

जिसमें से २५० करोड़ रुपया अधिक नोट छाप कर जमा किया जायगा।

हमने धन के एकत्र करने के सम्बन्ध में करारोपण जांच आयोग की स्थापना कर रखी है। मैं वित्त मंत्री के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि हम इस आयोग को स्वयं कोई सुझाव नहीं दे सकते हैं। परन्तु सम्भव है कि आयोग हमें सदैव धनी व्यक्तियों को कर से मुक्त रखने तथा निर्धनों पर कर लगाने का ही परामर्श दे। मैंने वित्त मंत्री से सुना है कि कर का ७० प्रतिशत भाग धनी लोगों से ही एकत्र किया जाता है। मेरा कहना यह है कि कर-राशि की बांट में हमें बचत के अन्तर पर ध्यान देना चाहिये। भले ही ग़रीब से आप बहुत कम कर ले पाते हैं, परन्तु उस पर थोड़ा सा भार डालने से भी उसके पिस जाने की सम्भावना है। नोट छाप कर २५० करोड़ रुपये एकत्र करने की जो व्यवस्था की गई है, उसका भार भी ग़रीब पर पड़ेगा। धनी लोग इस समय धन लगाने में संकोच कर रहे हैं। साथ ही सरकारी तथा ग़ैर सरकारी क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए हमें धन की नितान्त आवश्यकता है।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जो पहले भी कई बार दिया जा चुका है। हमें विभिन्न असरकारी समवायों द्वारा दिये जा रहे लाभांश की अधिकतम सीमा निश्चित कर देनी चाहिये तथा उन्हें शेष बच रहे लाभ की राशि को पूंजी संग्रह के लिए अपने ही धंधों में लगा लेने के लिए कहना चाहिये। सरकारी क्षेत्र में विकास करने का अब समय आ पहुंचा है कि इम्पीरियल बैंक तथा जीवन बीमा समवायों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। आखिर हम इन धनी लोगों के ऋणी तो नहीं हो चुके हैं। हमने विकास के एक महान् कार्यक्रम को आरम्भ किया है जिसके लिए हमें साधनों तथा उपायों को अवश्य ढूंढना होगा। सदैव तो हम नोट छाप कर निर्वाह नहीं कर सकेंगे। माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस वर्ष वह कुल राशि के ५० प्रतिशत भाग को ही उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर व्यय करें। शेष के ५० प्रतिशत भाग को तत्काल परिणाम देने वाली सिंचाई की छोटी छोटी परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिये। इसके लिए यदि आप कुछ बड़ी परियोजनाओं को उठा भी रखें तो कोई हानि नहीं होगी।

जहां तक ग़रीब पर भार का सम्बन्ध है, कुछ समय के लिए ग़रीब तथा धनी दोनों को यह भार सहन करना होगा। मेरा सुझाव है कि इस भार को अधिक जनसंख्या पर बांट दिया जाय जिससे अधिक राजस्व भी प्राप्त हो सके।

हमने हाल में विश्व के सबसे अधिक सशक्त साम्राज्य को हराया है—ऐसे साम्राज्य को जिसने जर्मनी जैसे वैज्ञानिक बल वाले देश से दो विश्व युद्ध लड़े तथा उसे परास्त किया। राष्ट्रपिता के अहिंसा मार्ग की यह अद्भुत विजय है। स्वतन्त्रता प्राप्ति पर देश का विभाजन हुआ। हैदराबाद, जूनागढ़ तथा काश्मीर की समस्यायें हमारे सामने आईं। स्वर्गीय सरदार पटेल के प्रयत्नों से हम ५६५ देशी रियासतों का भारत संघ से एकीकरण करने में सफल हो गये।। यह सारा कार्य बिना किसी रक्तपात के किया गया। यह हमारी विचित्र तथा महान् सफलता है। लोग रूस का उदाहरण देते हैं। परन्तु रूस किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं था। मैं साम्यवादियों के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु वे हमारी राष्ट्रीय ध्वजा का सम्मान नहीं करते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि हमारी सफलतायें रूस से किसी प्रकार कम नहीं हैं। हमने सामन्तवाद को समाप्त करके अहिंसात्मक विधान लागू किया है। इस बीच देश के विभाजन से विस्थापित

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

हुए एक करोड़ व्यक्तियों के आने जाने के काम को सम्भाला है तथा कई लाख को बाद में बसाया है। जहां तक शान्ति तथा विधि का सम्बन्ध है, कुछ लोग इसका समर्थन अवश्य करते हैं, परन्तु उनके कार्य बिल्कुल दूसरी प्रकार के हैं। हम ऐसी स्थिति को सदैव सहन नहीं करेंगे। १९४८ में केवल मद्रास में ही नहीं, देश के सभी भागों में रेल सफ़र खतरनाक समझा जाता था। उन दिनों जापान की डायेट के विरोधी दल के नेता मुझ से मिलने आये। उन्होंने मुझ से नलगोंडा के बारे में सवाल किया। उन्होंने मुझे बताया कि मास्को रेडियो से प्रतिदिन यह प्रचार कया जाता है कि भारत के साम्यवादी नलगोंडा से सारे देश को साम्यवादी बनाने का कार्य आरम्भ करेंगे।

मेरे पीछे बैठे हुए सदस्य अन्तर्बाधा डाल रहे हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे संवैधानिक उपायों को अपनायें। वे वैदेशिक क्षेत्र में हमारी नीति से सहमत हैं। आज देश की स्वतन्त्रता को अन्दर से ही ख़तरा है। आज भी देश में हिन्दू महासभा तथा मुस्लिम लीग जैसे दलों का कुछ प्रभाव शेष है। ऐसे दलों पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। इनके कार्य धर्म तथा संस्कृति तक सीमित रहने चाहियें तथा इन्हें राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिये।

गोआ, ड्यू, डामन आदि विदेशी बस्तियों में इस समय बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमें छुटकारा पाना चाहिये। उत्तर में ऐसे प्रबन्ध होने चाहियें जिससे नैपाल की सीमा भारत की सीमा समझी जाय। इसमें दोनों देशों का हित है।

कृपया आप मुझे दो मिनट और दें।

एक माननीय सदस्य : आप उन्हें कुछ समय और दे दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि संसद् अधिकारियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष का कर्त्तव्य और भी कठिन हो जाता है। किसी सभापति को नियमों का दूसरों की अपेक्षा और भी कड़ाई से पालन करना चाहिये। बात यह नहीं है कि नियम दूसरों के लिए ही बने हैं। प्रश्न समय के बढ़ाने का भी नहीं है; यह प्रश्न आदर्श-स्थापना का है। यदि मैं संसद् अधिकारियों के सम्बन्ध में अधिक कड़ी कार्यवाही करूं तो मुझे विश्वास है कि सदन इस बात की सराहना करेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, मेरे पूर्ववक्ता ने मुझे लाल झंडे के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहने के लिए विवश कर दिया है। मैं समझती हूं कि हमारे लिए इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने का अब समय आ पहुंचा है। मैं यह उत्तर भी पूर्ववक्ता के नेता के स्वयं उन्हीं के शब्दों में देना चाहती हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दिनांक २० अप्रैल, १९२९ के बुलेटिन में आप ये शब्द पायेंगे।

> "लाल झंडा १०० से भी अधिक वर्षों से सारे संसार के मज़दूरों का झंडा चल आता है। यह मज़दूरों के संग्राम, बलिदान तथा सारे विश्व में मज़दूरों की एकता का निरूपण करता है। अतएव यह हमारे सम्मान का पात्र है तथा किसी भी मज़दूर संघ को इसे अपने समारोहों के अवसर पर फहराने का अधिकार है।"

फिर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दिनांक जुलाई ३१, १९३७ के बुलेटिन में कहा गया है :

> "लाल झंडे का मज़दूरों से, विशेषत: औद्योगिक मज़दूरों से चिरकाल का सम्बन्ध चला

चला आता है । यह किसी देश विशेष का झंडा नहीं है ।" (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ! संसदीय कार्य को करने में सहनशीलता की बहुत आवश्यकता रहती है । इन उद्धरणों का खण्डन करने वाले व्यक्तियों को भी बोलने का अवसर मिलेगा । माननीय सदस्या यदि इसे कुछ नम्रतापूर्ण उपस्थित करें तो प्रभाव अधिक अच्छा रहेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ और बातों को मैं श्री केलप्पन पर छोड़ती हूं । यह सच नहीं है कि हम राष्ट्रीय ध्वजा को नहीं फहराते हैं । हमने इसे कई अवसरों पर फहराया है । परन्तु राष्ट्रीय ध्वजा ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्रत्येक अवसर पर फहराया जाय ।

मैं चाहती हूं कि हम पर ऐसा दोष लगाने वाले व्यक्ति सहिष्णुता से काम लें । वे हमारे उत्तर पर विचार करें तथा भविष्य में ऐसे दोषारोपण का घृणापूर्वक तिरस्कार करें ।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री की कुछ बातों का उत्तर दूंगी । वित्त मंत्री न यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि धनी लोगों पर कर का भार अधिक है । उनका यह कहना ठीक नहीं है तथा मैं समझती हूं कि १$\frac{1}{2}$ लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों की संख्या सम्बन्धी आंकड़ा भी ठीक नहीं है । यदि आप कृषि सम्बन्धी कर-देय सम्पत्ति को इसमें शामिल कर लें तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बढ़ जायेगी । क्या उन्होंने इन को शामिल कर लिया है ?

श्री सी० डी० देशमुख: मेरा सम्बन्ध तो आय-कर देने वाले व्यक्तियों की संख्या देने तक ही है

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : डेढ़ लाख की आय वालों में और भी बहुत सी श्रेणियां आती हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख: मेरे पास आय-कर देने वालों के ही आंकड़े हैं । कृषि या दूसरे साधनों से आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इसी कारण तो मेरा यह कहना है कि ये आंकड़े भ्रमोत्पादक हैं । १९५१–५२ में इन लोगों की संख्या ११२० बनती है तथा इसी वर्ष में इनकी आय ३,०५,००० रुपये के लगभग है और, १९५३–५४ में यह ३,३१,००० रुपये है । इसका अर्थ यह है कि इसमें १०$\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । आप इसकी तुलना प्रति व्यक्ति आय से करें । इसमें कोई वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है । यदि आप इसकी तुलना १९३१–३२ के आंकड़ों से करें तथा इसमें मूल्यों में हुई वृद्धि को विचाराधीन रखें तो आप पर यह बात सिद्ध हो जायगी । वस्तुत: प्रति व्यक्ति आय को औसत से निर्धारित किया जाता है परन्तु नफ़ा थोड़े से उद्योगों तक ही सीमित रहता है । अतएव वास्तविक तुलना करने में बहुत सावधान रहना चाहिये, अन्यथा हम बहुत ग़लत निष्कर्षों पर पहुंचेंगे ।

अब मैं विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं । मैं आपको एक ही विशेष व्यवसाय का उदाहरण देकर यह दिखाना चाहती हूं कि किस प्रकार से ब्रिटिश व्यवसाय इतना अधिक नफ़ा कमा रहे हैं । मेरा संकेत कलकत्ता विद्युत् प्रदाय कम्पनी से है । विद्युत् प्रदाय अधिनियम द्वारा नफे को उचित ही पांच प्रतिशत तक सीमित किया गया है । १९५० में इस समवाय की पूंजी ६,१६२,००० पौंड थी तथा १९५० के अन्त में यह १७,७५०,००० पौंड थी । इसका अर्थ है कि पूंजी को नफ़े से ही तीन गुना कर दिया गया है

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

साथ ही हम देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसे परिदत्त पूंजी विस्तार कार्यक्रम के निमित्त १९४९–५२ के नफ़े को, जिसकी राशि ९,६११,००० पौंड बनती है, काम में लाने की अनुमति दे दी है।

सरकार ने उन्हें उस राशि को पूंजी विस्तार कार्यक्रम के लिये प्रयोग करने की आज्ञा दे दी है, जबकि वस्तुतः उसका कुछ अंश उपभोक्ताओं को छूट के रूप में मिलना चाहिये जिस समवाय की आर्थिक स्थिति अच्छी हो उसे उस धन के जो कि वस्तुतः उपभोक्ताओं को छूट के रूप में मिलना चाहिये प्रयोग की आज्ञा देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार ब्रिटिश समवाय बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं और इस धन से नये उद्योग खोले जा सकते हैं। अतः मैं भी यह कहूंगी कि उन के लाभ की कम से कम कोई उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये।

अब मैं इस प्रश्न को लूंगी कि विदेशी पूंजी का प्रयोग कैसे किया जाता है। हमें यह बताया गया था कि विदेशी पूंजी का प्रयोग अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं के लिये उनके प्राथमिकता के क्रम के अनुसार किया जाता है। मैं इसके अनेकों उदाहरण दे सकती हूं कि किस प्रकार विदेशी पूंजी का प्रयोग हल्के और उपभोग की वस्तुओं के उद्योगों के लिये किया जाता है। जारीकृत पूंजी नियंत्रण अधिनियम और विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मंजूर पूंजी के आंकड़ों से यह पता लगता है कि १९५२ तक—मुझे इसकी अवधि का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है—१८.५४ करोड़ रुपये की नई पूंजी में से, जिसके लगाये जाने की आज्ञा दी गई थी, २४ प्रतिशत व्यापारिक कार्यों तथा अनौद्योगिक समवायों में लगाई गई थी। शेष १३·५ करोड़ रुपये में से दो करोड़ रुपये सिगरेट का काग़ज़ तैयार करने के लिये, २·९५ करोड़ रुपये सीने का धागा बनाने के लिये, दो करोड़ रुपये टाइपराइटरों के लिये तथा इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के बनाने के लिये लगाये जायेंगे।

अब मैं जानकारों के प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ कहूंगी। श्री बसु पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार स्टैंडर्ड वैकुम ऑयल कम्पनी के साथ जो समझौता किया गया है उसके अनुसार वह भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिये बाधित नहीं है। वस्तुतः इस समझौते के कारण लोगों को चिन्ता हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ गुप्त खण्ड रखे गये हैं जिनका सरकार और कम्पनी के कुछ उच्चतम अधिकारियों को छोड़ कर और किसी को ज्ञान नहीं है। हम इस कम्पनी को बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं, किन्तु फिर भी हमें जानकारी नहीं मिलेंगी।

उदाहरण के लिये मुझे प्रायः इस बात पर आश्चर्य होता है कि इस देश में चालीस वर्ष से भी अधिक समय से इस्पात उद्योग चल रहा है, किन्तु फिर भी हम एक इस्पात संयन्त्र लगाने के लिये विदेशों से भीख क्यों मांग रहे हैं। मैं एक उदाहरण और देती हूं। इस्पात की चादरें तथा सलाखें बनाने की नई मोर्गन मिल मार्च १९५३ तक चालू होनी थी, किन्तु न जाने क्यों अभी तक वह चालू नहीं हो सकी है। मोर्गन मिल को उत्पादन सामर्थ्य दो पुरानी मिलों के बराबर ही ८,००० टन से ९,००० टन तक है। किन्तु पुरानी मिलों में जहां १६०० कर्मचारी कार्य करते थे वहां मोर्गन मिल में केवल ५०० कर्मचारी कार्य करेंगे। इनमें से ७० प्रतिशत यूरोपियन और आंग्ल-भारतीय होंगे। केवल एक भारतीय श्री दास इस मिल के प्रबन्धक होंगे। सब बड़े-बड़े अधिकारी यूरो-

पियन होंगे और उन्हें सब खर्चों के अतिरिक्त ३,००० रुपये से ६,००० रुपये तक का वेतन मिलेगा। मुझे तो आशा नहीं है कि कई वर्ष तक भी हमारे भारतीयों को इस विषय की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

इसी कारण हम यह अनुभव करते हैं कि विदेशी पूंजी को इतनी रियायतें दिये जाने पर भी हमारे अपने व्यक्ति उनकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उन्हें सारे लाभ देने पर भी हमें ठोकरें ही मिलती हैं।

अब मैं अपने भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगी। हमारे भारतीय उद्योगपति यही कहते रहते हैं कि "हमारे पास धन नहीं है।" किन्तु कर अपवंचन का रहस्योद्घाटन करने वाले दस्तावेज़ से हमें क्या पता लगता है? ५ मार्च, १९५४ के 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' में प्रकाशित १९४० तथा १९५१ के बीच के औद्योगिक लाभों के देशनांक सम्बन्धी आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि यदि १९३९ को आधार माना जाये तो १९५१ में पटसन, रुई और चीनी के लाभों में क्रमशः ५०० प्रतिशत से अधिक ५५० प्रतिशत और ४२० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे पता लग जाता है कि उन्हें लाभ हुआ या नहीं।

उनकी दूसरी युक्ति यह है कि "जब तक आप मजूरी का स्तर न घटा दें, हम चीजें सस्ती नहीं कर सकते हैं।" इसके साथ अभिनवीकरण का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है। यह बात नहीं है कि उत्पादन बढ़ने और यंत्रों के स्वचालित होने से मूल्य तुरन्त कम हो जायेंगे, इसका यह कारण भी नहीं है कि मजूरी अधिक देने के कारण मूल्य अधिक हैं। हमने यह देखा है कि कपड़े का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उसका मूल्य भी बढ़ गया है और कपड़ा उद्योग वालों को लागत मूल्य की कुल १७ प्रतिशत मजूरी देनी पड़ती है। अतः हम यह कैसे समझें कि अभिनवीकरण के साथ मूल्य घट जायेंगे?

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कपड़े का मूल्य कम नहीं होगा तब तक इसकी खपत नहीं बढ़ सकती है। हमें निर्यातों पर अधिकाधिक निर्भर करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि विश्व का बाज़ार संकुचित होता जा रहा है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही संकटकाल होता है। सैकड़ों लोग नंगे हैं और उन्हें कपड़े की आवश्यकता भी है, किन्तु जब तक मूल्य न घटे तब तक वे इसे खरीद नहीं सकते हैं। इस कारण अभिनवीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सिद्धान्ततः इसके विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु हमारा यह कहना है कि इस धन का नये उद्योग खोलने के लिये प्रयोग किया जाये। सम्भव है कि इस प्रकार हम पुरानी मशीनों से ही कार्य करते हुए धन का किसी अच्छे क्षेत्र में विनियोग कर सकें जिससे हमारे लोगों में वस्तुओं के उपभोग की मात्रा में वृद्धि हो सके।

अन्त में मैं बीड़ी उद्योग के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहती हूं। इसमें अभिनवीकरण का प्रश्न है। बंगाल में बीड़ियों का पहले ही उत्पादन आधिक्य है। पाकिस्तान के बन जाने से हमारे पास पर्याप्त बाजार भी नहीं रहा है। बंगाल में वे दो व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाली छोटी मशीनों का प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इस से बारह तक व्यक्तियों का काम करेगी और इससे केवल कलकत्ते में ही बीस हजार मज़दूर बेकार हो जायेंगे। अतः सब कुछ समझ बूझ कर ही अभिनवीकरण करना चाहिये। यदि हम वस्तुतः मूल्य घटाना चाहते हैं, तो सबसे अधिक आवश्यकता अभिनवीकरण की नहीं है, अपितु हमें लाभ कम करना चाहिये और लागत के सारे ढांचे पर विचार करना चाहिये।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

केवल इसी आधार पर हम वैज्ञानिक प्रगति कर सकेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री कक्कन (मदुरई–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान, मैं तामिलनाद का रहने वाला हूं और सबसे पहले हिन्दी के विषय में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। तामिलनाद के लोग हृदय से हिन्दी का स्वागत करते हैं। कल श्री वीरस्वामी ने सदन में कहा था कि तामिलनाद के लोग हिन्दी के वि द्ध हैं।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित–अनु-सूचित जातियां) : केवल माननीय सदस्य ही हिन्दी का समर्थन कर रहे हैं। तामिलनाद तो हिन्दी के विरुद्ध है।

श्री कक्कन : माननीय सदस्य केवल अपने आपको ही तामिल समझते हैं, किन्तु सच्चा तामिल मैं हूं वह नहीं। उन्होंने सदन में कहा था कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि तामिल एक सुन्दर भाषा है, किन्तु उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री के चिदम्बरम् के भाषण का उल्लेख नहीं किया। द्रविड़ काजगम के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री ने कहा था कि "मुझे आश्चर्य है कि इस संस्था के नेताओं को अभी तक पागल-खाने क्यों नहीं भेज दिया गया, क्योंकि इन के भाषण मूर्खतापूर्ण तथा देश के लिये अत्यन्त हानिकारक हैं। ये भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।" श्रीमान् केवल इसी प्रकार के लोग हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। तामिलनाद में शत प्रतिशत लोग हिन्दी का समर्थन कर रहे हैं।

श्री **वीरस्वामी** : केवल एक प्रतिशत।

श्री कक्कन : केवल ब्राह्मणों से घृणा करने वाले कुछ लोग ही हिन्दी का विरोध कर रहे हैं। वे यह समझते हैं कि हिन्दी तामिल लोगों की संस्कृति और सभ्यता के लिये खतर-नाक है। किन्तु मैं यह कहता हूं कि हिन्दी का विरोध करने वाले लोग ही वस्तुतः तामिल संस्कृति तथा सभ्यता का नाश कर रहे हैं हिन्दी नहीं।

अब मैं वास्तविक विषय पर आता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को बेकारी की समस्या को दूर करने और विशेष रूप से औद्योगिक श्रमिकों तथा शिक्षित वर्ग में बेकारी को बढ़ने से रोकने के हेतु आवश्यक पग उठाने के लिये बधाई देता हूं।

परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अधिक सुविधायें नहीं दी गई हैं। विशेष रूप से मद्रास राज्य में तीन या चार मास तक लोगों के पास कोई काम नहीं होता है और उन्हें कष्ट होता है। मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि वे मद्रास सरकार को अधिक सहायता दें और उसे कम से कम जून से अगस्त तक के मासों में ग्राम ग्राम में छोटे मोटे सिंचाई के कार्य करने को कहें। कुओं तथा तालाबों को गहरा करने का काम किया जा सकता है। एक प्रकार से सरकार ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी ला दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में चावल मिलें बन जाने के कारण लोगों के पास कोई काम नहीं रहा है। यदि कम से कम छोटे पंचायत क्षेत्रों में मिलें बन्द कर दी जायें, तो ग्रामीण लोगों को जीविकोपार्जन के लिये कुछ काम मिल जायेगा। सरकार ने सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में लोगों को काम देने के लिये आवश्यक कार्य-वाही की है। किन्तु वहां भी लोगों को कष्ट हो रहा है। मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे राज्य सरकारों से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या को दूर करने के लिये पहले ही काम के प्राक्कलन तैयार करने और समय पर मंजूरी देने को कहें।

सरकार तामिलनाद के हाथकरघा बुनकरों की सहायता के लिये अधिक धन व्यय

कर रही है। किन्तु यदि हम वस्तुतः बुनकरों की सहायता करना चाहते हैं तो हमें मास्टर बुनकरों को हटा देना चाहिये। हमें प्रत्येक केन्द्र में सहकारी समितियां बनानी चाहियें, उन्हें नियमित रूप से सूत देना चाहिये और हथकरघे के कपड़े के लिये बाज़ार ढूंढना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से इस पर विचार करने की प्रार्थना करता हूं।

ग्राम पंचायतें ही देश के आर्थिक विकास का वास्तविक साधन हैं। अधिकांश ग्रामों में मल इत्यादि का अच्छी प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है। सरकार ने केवल नगरीय क्षेत्रों, नगरपालिकाओं तथा बड़ी बड़ी पंचायतों में ही प्राकृतिक खाद बनाने का कार्य आरम्भ किया है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे राज्य सरकारों से कहें कि वे ग्राम पंचायतों को खाद बनाने का कार्य आरम्भ करने का अनुदेश दें। हम उर्वरकों पर बहुत सा धन व्यय कर रहे हैं। यदि हम थोड़ा साधन इस कार्य पर व्यय करें तो हमें ग्राम पंचायतों से अधिक धन मिल सकता है।

इस के बाद मैं हरिजनोद्धार के प्रश्न को लेता हूं। जब तक हमारे हरिजन भाई पीड़ित और पददलित रहेंगे तब तक हम अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यदि हम वस्तुतः हरिजनों की सहायता करना चाहते हैं और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, तो हमें हरिजनोद्धार के लिये अधिक धन देना चाहिये। हमें उन्हें अधिकाधिक संख्या में सेना, पुलिस सेवा आदि में भर्ती होने के लिये कहना चाहिये अतः मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वे राज्य सरकारों तथा रक्षा मंत्रालय को यह अनुदेश दें कि और अधिक हरिजनों को सेना तथा पुलिस में भर्ती किया जाये।

मैं जानता हूं कि कांग्रेसी सरकार हरिजनों को दिये गये अपने वचनों को पूरा कर रही है, किन्तु सरकार को हरिजनोद्धार के लिये और अधिक धन देना चाहिये।

आजकल पुलिस के पदाधिकारी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं मैं उसे भुला नहीं सकता हूं। किन्तु कुछ पुलिस सब-इंसपैक्टर ग्रामों में से अस्पृश्यता को दूर करने में अपने कर्तव्य का पूरी तरह पालन नहीं कर रहे हैं। अतः माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह पुलिस के अधिकारियों तथा अन्य सभी पदाधिकारियों को देश से अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कहें।

श्रीमान, जैसा कि आपको विदित है आज भी हरिजन संसद् सदस्यों को काशी विश्वनाथ के मन्दिर के दर्शन करने नहीं दिये जाते हैं। कुछ संकुचित मनोवृत्ति के हिन्दू हिन्दू धर्म को खतरे में डाल रहे हैं। मेरे विचार में वे वास्तविक हिन्दू नहीं हैं। मेरी माननीय मंत्री तथा सरकार से यह प्रार्थना है कि हरिजनों की सहायता करने के लिये अस्पृश्यता अपराध विधेयक को इसी सत्र में पारित कर दिया जाये और हरिजन संसद् सदस्यों को काशी विश्वनाथ के मन्दिर में जाकर पूजा करने दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम् (बेल्लारी) : वर्तमान वित्त विधेयक में देश को कर व्यवस्था में कोई अधिक परिवर्तन नहीं किया गया है। गत तीन या चार वर्षों से वित्त मंत्री पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में लगे हुए हैं।

मैं आप की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि देश के सभी दलों तथा लोगों को पंचवर्षीय योजना को ही सफल बनाने में सारी शक्ति लगा देनी चाहिये। हमें लोगों का यह सहयोग उनकी स्वेच्छा से प्राप्त करना होगा।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने पंचवर्षीय योजना की कड़ी आलोचना की है। एक माननीय सदस्य ने इसे एक धोखा-धड़ी बताया है। दूसरे ने कहा कि यह सुविचारित नहीं है,

[श्री टी० सुब्रह्मण्यम्]

हम ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि । परन्तु यह देश के भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग करके खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने, औद्योगिक प्रगति करने तथा जीवन के मानदण्ड को ऊंचा उठाने के लिये एक एकीकृत योजना है । मैं इस बात को मानता हूं कि खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये । किन्तु मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें अपनी बड़ी बड़ी बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं को धीरे धीरे पूरा करना चाहिये, क्योंकि दक्षिण भारत में प्रायः ऐसा होता है कि लगातार चार या पांच वर्ष तक वर्षा नहीं होती है और उस अवस्था में छोटी छोटी योजनायें निष्फल हो जाती हैं । इसके साथ ही हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है । अतः हमें अपनी बहुप्रयोजनीय योजनाओं को पूरा करने में शीघ्रता करनी चाहिये ।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि १८८० में एक बड़े इंजीनियर सर आर्थर कौटन ने यह कहा था कि भारत की सब नदियों को सिंचाई तथा नौवहन की नहरों से मिलाया जा सकता है । अब हम सिंचाई की समस्या को हल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसी से हमारी खाद्य समस्या हल होगी । इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देता हूं कि जिन क्षेत्रों में बहुप्रयोजनीय परियोजनायें आरम्भ की गई हैं वहां विकास बोर्ड बनाये जाने चाहियें । देहातों में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये, क्योंकि वहां लोगों को भूमि को सिंचाई ोग्य बनाने तथा अन्य कार्यों के लिये न की बहुत आवश्यकता है । ८५ लाख एक अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करने और ११ ला‍ किलोवाट विद्यु शक्ति उत्पन्न करने का लक्ष्य न विकास बोर्डों के द्वारा ही पूरा हो सकता है । राज्यों द्वारा तथा सहका ी संस्थाओं द्वारा सहायता अवश्य मिलती है, किन्तु केन्‍ को भी वित्तीय सहायता देनी चाहिये । सहकारी सं ाओं और राज ों ने अल्पकालीन ऋण दिये हैं और १९५५-५६ में तिवर्ष १०० करोड़ रुप े के ऋण दिये जाया करेंगे । दीर्घकालीन ऋणों के लिये सरकार को चोटी के बैंक न राज्यों में भी खोलन चाहियें ।

देहाती क्षेत्रों के विकास के निमित्त इन क्षेत्रों में उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, कुटीर उद्योगों को विद्युत् शक्ति दी जानी चाहिये तथा केन्द्र को इन उद्योगों के लिये अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिये, ताकि इन क्षेत्रों की जल शक्ति, खनिज तथा अन्य संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया जा सके । मैं अनुभव करता हूं कि इन ग्राम-उद्योगों के अभिनवीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है ।

बड़े उद्योगों का अभिनवीकरण होना चाहिये । अभिनवीकरण जनकल्याणकारी होना चाहिये । यदि अभिनवीकरण जनकल्याण के विपरीत जाता है, तो इसका कोई लाभ नहीं है ।

दिल्ली की ग्राम उद्योग प्रदर्शिनी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया है, और लोग दिल्ली तथा पंजाब में दियासलाई बनाने के उद्योग स्थापित करने का विचार कर रहे हैं । सरकार को इसी प्रकार इन उद्योगों की ओर अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये, तथा विभागीय प्राविधिकताओं को इनके विकास में बाधक नहीं बनने देना चाहिये ।

एकम्बरम चर्खा बहुत उत्तम चर्खा है, इसको प्रोत्साहित तथा लोकप्रिय बनाना

चाहिये और यथासम्भव इसे बिजली द्वारा चलाये जाने का भी प्रबन्ध होना चाहिये ।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री मुहम्मद अली ने कल कहा है कि काश्मीर की समस्या जब तक हल नहीं होती है भारत और पाकिस्तान में मैत्री नहीं हो सकती है । उन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि अब अमरीका से सैनिक सहायता मिलने के कारण यह समस्या सफलतापूर्वक सुलझ जायेगी । यह बहुत अच्छा है कि हमने शस्त्रास्त्र बढ़ाने की ओर अपनी सारी शक्ति नहीं लगा दी है पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने और राष्ट्रीय एकता बनाये रखने में ही देश का कल्याण है । मैं सुझाव रखता हूं कि संसद् का आगामी शरद् कालीन सत्र दक्षिण भारत में होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता की जड़ें उत्तर और दक्षिण भारत में जम जानी चाहियें । रेलवे, संचार तथा डाक तार विभाग की कुशल सेवा के द्वारा दक्षिण भारत में संसद् का सत्र सफल हो सकता है । इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय निकायों की बैठकें भी कुछ समय के लिये दक्षिण भारत में अवश्य होनी चाहियें । स्वतंत्रता और एकता जो हमने प्राप्त की हैं, वे स्थिरता से दक्षिण भारत में स्थापित हो जानी चाहियें, इसलिये मैं इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : जनता के जीवन स्तर को उठाने में सरकार की वित्तीय नीति अवश्य सहायक हो सकती है । सरकार की करारोपण नीति का उद्देश्य यह है कि (१) धन की असमानता कम हो, (२) काम करने और धन बचाने की प्रेरणा मिले, (३) मुद्रास्फीति को रोका जाये, तथा (४) भुगतान संतुलन और अर्थ व्यवस्था को अनुकूल रखा जाये ।

यदि हम जीवन स्तर के उठान के लिये सरकार की करारोपण नीति पर अवलम्बित रहेंगे, तो निश्चय ही हम ग़लत मार्ग पर चल रहे हैं । हमें तो देश की राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय सम्पत्ति को बढ़ाना चाहिये । आपने अपने भाषण में कहा है कि करारोपण में वृद्धि होने के कारण समाज के एक विशिष्ट समुदाय को लाभ पहुंचता है, जबकि समस्त समाज के लिये यह हानिकारक है । जब तक देश की आय और देश का धन नहीं बढ़ता है, धन की असमानता कम नहीं हो सकती है । इसलिये हमारी अर्थव्यवस्था का यह निदेशक तत्व होना चाहिये कि देश का धन अवश्य बढ़ाया जाये ।

संविधान के निदेशक तत्वों में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप धन का केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये, बल्कि देश का धन समान रूप से बंटना चाहिये । जब तक धन की असमानता वर्तमान है, हमें देश के राष्ट्रीय धन को बढ़ाते जाना चाहिये । किन्तु इतने प्रयत्न करने पर भी इस में वृद्धि नहीं हुई है । ईस्टर्न इकोनोमिस्ट में लिखा हुआ था कि इंगलिस्तान में भी राष्ट्रीय धन में वृद्धि नहीं हो रही है । हम राष्ट्रीय धन को बढ़ाना तो चाहते हैं किन्तु बढ़ा नहीं पाते हैं । जब हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है तो हमें चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को काम करने के लिये मौक़ा मिले और यदि उनको कोई कठिनाई आती है, तो हमें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि वह ठीक ढंग से काम कर सके ।

ग़ैर सरकारी क्षेत्रों में कृषि, छोटे उद्योग और व्यापार आदि सम्मिलित हैं । इस के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र किसी बड़े पैमाने पर देश में कारोबार की व्यवस्था करने में सक्षम है ।

[श्री तुलसीदास]

छोटे उद्योगों में जो माल तैयार होता है, वह अधिक महंगा होता है, इसलिये बड़ी मात्रा में नहीं बिक सकता है।

मैं इस बात को भली भांति अनुभव करता हूं कि छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास होना चाहिये। किन्तु कठिनाई यह है लोगों के पास इतनी महंगी वस्तुएं ख़रीदने के लिये दाम नहीं होते हैं। इंगलिस्तान में छोटे उद्योग बड़ी मात्रा में चीज़ें तैयार करते हैं और वह सस्ती होने के कारण बिक भी जाती हैं। इसी प्रकार हमारे देश में भी यदि लोगों के पास ख़रीदने की शक्ति है, तो इन वस्तुओं की मांग की कमी के कारण इन उद्योगों को हानि नहीं होगी।

कई बार सुना जाता है कि सरकार की नीति भाव गिराने की है और कई बार यह सुनते हैं कि इसकी नीति भाव स्थिर रखने की है। अविकसित देश में पहले पहल भाव बढ़ते हैं, फिर कहीं जाकर स्थिर होते हैं अथवा गिरने लगते हैं। जब तक राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय धन नहीं बढ़ता, हमें घाट की अर्थव्यवस्था को जारी रखना पड़ेगा। इसके लिये उत्पादन और उनके संसाधनों को बढ़ाना चाहिये।

एक साम्यवादी सदस्य ने कहा है कि उद्योगपति अपनी पूंजी को उद्योगों में नहीं लगाते हैं। किन्तु वर्तमान समवायों की पूंजी के आंकड़ों का दिग्दर्शन करने से पता चलता है कि यह बात गलत है। वास्तव में जनता अपने धन को उद्योगों में लगाने से झिझकती है। मुझे यह पता नहीं कि लोगों को पर्याप्त बचत होती है या नहीं।

देश की उन्नति और विकास अथवा पूंजी की वृद्धि लोगों की सहायता पर अवलम्बित है हमें प्रयत्न करना चाहिये कि घरेलू बचत का ठीक ढंग से उपयोग होना चाहिये। वास्तव में सरकार ने इतने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिये हैं और कम आय पर भी कर लगा दिये हैं कि अब लोग अधिक धन बचा ही नहीं सकते हैं। मैं इस बात को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं नौकरी समस्या के विषय में कहना चाहता हूं। केवल रेलवे के द्वारा परिवहन की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। इसके साथ सड़क परिवहन की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिये। पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये तथा कृषि और औद्योगिक उत्पादन को इधर उधर ले जाने के लिये सड़क परिवहन की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक सड़क परिवहन का पूर्ण विकास नहीं होता, पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक विकास की योजनायें पूर्णतया सफल नहीं हो सकेंगी। सड़क परिवहन के द्वारा पर्याप्त लोगों को काम धंधा भी मिल सकता है। किन्तु सरकार ने मोटर गाड़ियों के उपयोग पर बहुत भारी कर लगा रखा है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात पर सहृदयता से विचार करें। मैं केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से भी अपील करता हूं कि वे सड़क परिवहन को प्रोत्साहन और उचित सहायता देकर उसका विकास करें। लाइसेंस देने के मामले में भी उदारता से काम लिया जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण की नीति से इस उद्योग के विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिये माननीय मंत्री को सड़क परिवहन के महत्वपूर्ण मामले पर ख़ूब ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री के० के० देसाई (हालर) : विरोधी पक्ष की ओर से एक सदस्य ने बोलते हुए कहा है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि "लाल झंडा तो श्रमिकों का है।" किन्तु हंसिया तथा

हथौड़े के चिह्न वाला झंडा तो निश्चय ही विदेशी झंडा है । साम्यवादी दल का यह कर्तव्य है वह इस बात को सिद्ध करें कि उनका दल अथवा वे, हमारे अपने संविधान तथा देश के प्रति वफ़ादार हैं । मेरे विचार से तो यह सब कुछ रूस सरकार तथा उसके झंडे का ही प्रतिबिम्ब है । हमें इस बात से कोई झगड़ा नहीं है कि रूस तथा चीन या अन्य कोई देश अपनी आर्थिक अथवा सामाजिक व्यवस्था का किस प्रकार विकास करता है । किन्तु इस बात का विरोध हम निश्चय ही करेंगे कि कोई देश .हमारे व्यक्तियों द्वारा अपने देश की प्रणाली आदि का प्रचार हमारे यहां करे । मैं तो यही कहूंगा कि इनका यह झंडा और कुछ नहीं अपितु निश्चय ही रूस का झंडा है । साम्यवादी दल के व्यक्ति जो कुछ बातचीत यहां करते हैं उससे देश उनके बहकावे में नहीं आ सकता है ।

बचत के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं उनसे वित्तीय नियंत्रण का आभास मिलता है और जिसका प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करेगा । उनसे इस बात का भी ज्ञान होता है कि विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों ने आय व्यय का जो प्राक्कलन दिया था आय व्ययक प्रस्तुत करते समय उसकी उचित जांच नहीं हो सकी थी, और मैं समझता हूं कि उस जांच का कोई भी विरोध नहीं करेगा । वित्त मंत्रालय का समय एवं उसकी शक्ति का व्यय ऐसी चीज़ों की जांच करने में व्यय होना चाहिये ।

श्री तुलसीदास ने कहा है कि करारोपण की प्रणाली उन व्यक्तियों के विरुद्ध है जो औद्योगिक प्रगति करने वाले समझे जाते हैं । राष्ट्रीय आय समिति से जो आंकड़े मिले हैं उनसे दूसरी ही बात का पता चलता है । इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि करारोपण का भार निश्चय ही निर्धनों पर बढ़ गया है ।

बिक्री कर भी सभी राज्यों में बढ़ गया है । हो सकता है कि कुछ समय के लिए कोई विशेष नीति रही हो अर्थात् प्रत्यक्ष करदाताओं का भार कम हो जाय ताकि पूंजी बढ़े और और व्यक्तियों को जीविका मिलने लगे । देखें इस नीति का क्या परिणाम निकलता है । हमने यह देखा है कि इन लोगों को जो अतिरिक्त धन दिया गया है उससे कोई अधिक व्यक्तियों को काम नहीं मिला है । जो कुछ हो सकता था वह हमने कर दिया है । किन्तु हम देखते हैं कि इसका परिणाम संतोषजनक नहीं रहा है । अतः भविष्य के लिए हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । छोटे उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों तथा कृषि की ओर केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्षतः ध्यान दे । निस्संदेह कृषि क्षेत्र के उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया गया है और उसमें हमें आशातीत सफलता भी मिली है । कृषि तथा बड़े बड़े उद्योगों के अतिरिक्त हमें सच्चे दिल से ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी दूर हो और अधिक व्यक्तियों को काम मिले, और यदि ऐसा हो गया तो मुझे विश्वास है कि हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जायगी ।

मेरे विचार में किसी भी अविकसित देश में और विशेषतः भारत सरीखे देश में पूंजी बढ़ाने का ढंग उस देश में उपलब्ध श्रम का सदुपयोग करना है । हमारे देश में वास्तविक पूंजी श्रम ही है । हमें अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को अपने ही ढंग से विकसित करना है ।

केवल ५५० करोड़ रुपया एकत्रित करने के लिए हमारे देश की सभी बैंकिंग संस्थाएं, इंश्योरेंस कम्पनियां, पदाधिकारी आदि लगे हुए हैं, प्रश्न उठता है क्या इन सभी ने ग्रामीण धन को बढ़ाने के लिए कभी इतना कठोर प्रयत्न किया है ? मेरा निवेदन यह है कि ग्रामों में ऋण अधिक मात्रा में दिया जाना चाहिये,

[श्री के० के० देसाई]

यदि अधिक नहीं तो कम से कम ऋण सम्बन्धी उतनी ही सुविधायें दी जानी चाहियें जितनी कि बड़े बड़े उद्योगों को दी जाती हैं।

यह कहा गया है कि जब तक करों में कोई कमी नहीं होती तब तक न तो पूंजी ही बढ़ सकेगी और न औद्योगिक विकास ही हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि जिनके पास धन है वे अपना धन उपभोक्ता वस्तु उत्पादन उद्योगों में लगायें क्योंकि उनमें लाभ शीघ्र ही मिल जाता है। मूल उद्योगों का विकास, हम चाहें अथवा न चाहें, सार्वजनिक क्षेत्रों में ही होगा। अतः पूंजीपति उन वस्तुओं के नाम हमें दें ताकि हम उन पर विचार करें और संभावित सुधारों के सम्बन्ध में उन्हें बता सकें।

श्री तुलसीदास ने कहा है कि ग़ैर सरकारी उद्योगों में पूंजी निर्गम करके काफ़ी पूंजी लगा दी है। यदि निर्गमित पूंजी को आप देखें तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ कम्पनियों ने पिछले ५ या ६ वर्षों में अपने लाभ को लाभांश के रूप में बांट दिया है जोकि स्वयं निर्गम पूंजी है। अतः इस प्रकार शोध्य ऋणपत्रों अथवा शोध्य लाभांशों से सरकार कभी भी कोई कर नहीं ले सकेगी। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय वित्त मंत्री इस सिलसिले में जहां तक आवश्यक हो संशोधन प्रस्तुत करके इन शोध्य ऋण पत्रों एवं शोध्य लाभांशों पर भी कर लें।

श्री तुलसीदास ने कहा है कि यदि ग़ैरसरकारी उद्योगों को परिवहन की सुविधा मिल गई तो इससे बहुत से लोगों को जीविका मिल जायगी। यह बात तो राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी हो सकती है। मैं समझता हूं कि परिवहन का राष्ट्रीयकरण सम्पूर्ण देश में होना चाहिये। रेल तथा वायु सेवा का तो राष्ट्रीयकरण हो गया है, सड़क परिवहन का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। अतः ग़ैर सरकारी उद्योगों को कोई और अधिक सुविधा देने के अतिरिक्त आर्थिक उन्नति के लिए राष्ट्र को स्वयं निश्चय करना चाहिये। बेकारी को दूर करना तथा कम व्यक्तियों को जो काम मिलता है उसमें उन्नति करके अधिक व्यक्तियों को काम दिलाना चाहिये। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख कर और सामान्य व्यक्ति पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो मैं समझता हूं कि पूंजी अवश्य ही बाहर निकलेगी। इतना कह कर मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित- अनुसूचित जातियां) : शिक्षा के विषय में और विशेषतः मैट्रिक के बाद की शिक्षा के विषय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को वित्त-मंत्री ने जो सुविधायें दी हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। हमारी समस्याओं को राष्ट्रीय महत्व की समस्या समझ कर अन्य मंत्रालय भी हमारी ओर ध्याम देंगे ऐसी मेरी इच्छा है। मैं मानता हूं कि कुछ मंत्रालय कुछ न कुछ कर रहे हैं। रेलवे तथा परिवहन मंत्रालय ने कुछ किया है और करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु अन्य मंत्रालयों ने हमारे लिये कुछ भी नहीं किया है। अतः वहां की जनता को इस बात का आश्वासन देने के लिये कि उनकी राष्ट्रीय सरकार उनके लिए कुछ न कुछ कर रही है कम से कम इतना तो होना चाहिये कि मंत्रालयों के प्रतिवेदन समय पर ही प्रकाशित हो जाया करें। माननीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस वर्तमान आयव्ययक सत्र में अपने मंत्रालय का विशद विवरण देंगे तथा साथ ही एक दिन इस पर चर्चा भी होगी; किन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है और न कुछ आशा ही है। किन्तु फिर

भी मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में वह एक दिन का अवसर देंगे और मंत्रालय का विस्तृत विवरण एवं आंकड़े देने का प्रयत्न करेंगे ।

हमारा रक्षित बैंक आखिर रक्षित बैंक ही है । यह न केवल, बोरा व्यापारियों, बीज तथा सोना चांदी के व्यापारियों या बड़े बड़े उद्योगपतियों का बैंक है अपितु यह बैंक श्रमिक जनता तथा किसानों के गहरे खून और पसीने की क़माई है । अतः अब सम्पूर्ण दृष्टिकोण में ही परिवर्तन हो जाना चाहिये । रक्षित बैंक तथा वित्त मंत्री को अब यह सोचना चाहिये कि अब आगे से न केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों तथा बड़े बड़े व्यक्तियों की यह सहायता करेगा क्योंकि वे प्रतिभू दे सकते हैं, अपितु निर्धन श्रमिकों की भी सहायता करेगा और तभी यह बैंक मानव जाति के और भारत के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है ।

देश के औद्योगिक उत्पादन के बारे में हम सोचते हैं कि ग़ैर सरकारी व्यक्तियों के हाथ में जब तक पूंजी नहीं रहती तब तक औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकती है । हमारे विचार चाहे कुछ हों किन्तु उदाहरण के लिए हमें रूस को लेना होगा; वहां ग़ैर सरकारी पूंजी नहीं है किन्तु आज रूस संसार के समृद्ध एवं विकसित और प्रतिष्ठित देशों की समानता में खड़ा है । केवल उत्पादन के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु अन्य बातों के बारे में भी वह संसार के बड़े से बड़े औद्योगिक देश जैसे अमरीका की समानता कर रहा है । अतः हम को गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा कि क्या हम पूंजी बनाने के लिये मुट्ठी भर पूंजीपतियों पर निर्भर रहेंगे या सरकार कोई ऐसा ढंग निकाल सकती है जिस से हम सोवियेत अर्थप्रणाली के ख़तरों से तथा पूंजीपतियों के चंगुल से दोनों से अपनी रक्षा कर सकें । हमारे देश की निन्नानवे प्रतिशत जनता निरक्षरता, दुख दैन्य तथा निर्धनता का जीवन बिता रही है । हमारा छै सात वर्षों का अनुभव बताता है कि हमें अपने पूंजीपतियों से यह आशा नहीं करनी चाहिये कि इस को दूर करने के लिये वे कुछ भी कर सकेंगे । अतः शिक्षा तथा आर्थिक सुधार दो मुख्य बातें हैं । सामुदायिक परियोजनाओं पर हम ने बहुत अधिक भरोसा किया है । यह परियोजनायें योजना के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं । इस के लिये हमें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो न केवल बुद्धि की दृष्टि से सब से उत्तम हों अपितु ऐसे हों जो इस काम में अपना जी जान लगा देने वाले हों । ऐसे लोग देहातों में मिल सकते हैं जो उसी वातावरण में जन्मे हैं तथा उसी वातावरण में जिन का लालन पालन हुआ है, जो जनता को जानते हैं, जनता के साथ रह सकते हैं तथा जनता के ही समान अनुभव कर सकते हैं । पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये मुझे घाटे की अर्थयोजना का सहारा लेने में कोई भी संकोच नहीं है । १९३९ में सर डैनियल हैमिल्टन से मेरी कुछ बात हुई थी । हमारे देश का सहकारी आन्दोलन उन के तरीक़ों को अपना सकता है ।

हमारी योजना को सफल बनाने के लिये वित्त मंत्री ने घाटे की अर्थ व्यवस्था का जो साहसपूर्ण क़दम उठाया है उस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं । इस के कारण यदि हमें कष्ट भी हों तो भी हम सहन करने को तय्यार हैं । योजना को सफल बनाना ही हमारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिये ।

श्री एन० आर० नायडु (राजमूण्ड्री): घाटे की अर्थ व्यवस्था जनता के अल्प वेतनभोगी समुदाय पर अनुचित रूप से प्रहार करती है । घाटे की अर्थ व्यवस्था के द्वारा हम लगभग २५० करोड़ रुपये की व्यवस्था कर रहे हैं । नये करों से हमें केवल लगभग ११ करोड़ की आशा है । फिर भी इतने छोटे से भाग के लिये हम नये कर लगा रहे हैं । जब से आय-

[श्री एन० आर० नायडू]

व्ययक रखा गया है कितने ही माननीय सदस्यों ने कितने ही विषयों पर अनेकानेक बातें कहीं हैं परन्तु सरकारी बेंचों को सुशोभित करने वालों ने नीति तथा प्रक्रिया के विश्लेषण करने के प्रयत्नों को पसन्द नहीं किया है तथा मैदान उत्तेजना फैलाने वालों के हाथ रहा है। शिक्षा मंत्रालय की नीतियों के सम्बन्ध में श्री आचार्य कृपालानी कुछ विशेष बातें कह रहे थे परन्तु उन की सारी बातें उर्दू हिन्दी के अशोभनीय तथा ज़ोर शोर के झगड़े के नीचे दब गईं। क्यों ? इसलिये कि चर्चा में इस प्रकार विषयान्तर कर देने में माननीय मंत्रियों को बड़ी सुविधा होती है।

शास्त्रीय संगीत की चर्चा होने पर वैयक्तिक कटोक्तियों का आदान प्रदान होने लगा और यह किसी ने नहीं सोचा कि हमारे शास्त्रीय संगीत में एक प्रकार की धार्मिक झलक है तथा हो सकता है कि अन्य धर्मों वाले इसे पसन्द न करें।

इस बात के कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं कि आकाशवाणी जैसे अभिकरणों को कांग्रेस दल का एक साधन मात्र बना दिया गया है। पंडित नेहरू का पी० ई० एन० के चिदाम्बरम् सम्मेलन का भाषण श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के अन्य भाषण तथा उन की साधारण सी बातें इन सब को समाचारों में मिला कर आठ दस मिनट का समय दिया गया जब कि इन में न तो कोई सूचना महत्व-पूर्ण थी और न किसी नीति की घोषणा ही की गई थी। भूदान में यदि बलवन्त राय मेहता को पंजाब में कुछ एकड़ भूमि मिल जाती है तो वह तो आकाशवाणी का समाचार बन जाता है परन्तु जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति उस के लिये चाहे जो करे या कहें उस का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है। जब अभी से शासक दल आकाशवाणी का इस प्रकार प्रयोग कर रहा है तो आगामी सामान्य निर्वाचन तक आकाशवाणी का क्या हाल होगा यह तो आश्चर्य का विषय है।

हम अकसर सुनते हैं कि कैबिनेट में आये दिन झगड़ा हुआ करता है जिसका अर्थ है कि न तो कोई एक मुख्य उद्देश्य है और न किसी एक स्वीकृत नीति को कार्यान्वित करने के लिये सभी संयुक्त रूप से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ऐसी दशा में वैयक्तिक आकांक्षाओं तथा गुट्टबाज़ी को ही प्रोत्साहन मिलता है।

आंध्र राज्य के प्रति केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय का व्यवहार बड़ा ही क्षोभनीय रहा है।

कितने ही केन्द्रों में, जहां पहले से शक्ति-शाली शार्टवेव (लघु तरंग) केन्द्र थे अभी हाल में कुछ शक्तिशाली मीडियम वेव (मध्यम तरंग) केन्द्र स्थापित किये गये हैं। परन्तु एक भी ऐसा शक्तिशाली मीडियम वेव यंत्र विजयवाड़ा में स्थापित नहीं किया गया है जहां से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम ५० मील से आगे कभी नहीं सुनाई देता है।

कुर्ग, सौराष्ट्र, कोचीन तथा अन्य राज्यों में निर्यात व्यापार नियंत्रक कार्यालय हैं परन्तु विशाखापटनम् में ऐसा एक भी कार्यालय नहीं है हालांकि इस बन्दरगाह से होने वाले व्यापार को देखते हुए यहां पर ऐसे एक कार्यालय का होना नितान्त आवश्यक है। हाल में भारत सरकार ने मूंगफली की मिंगी के निर्यात की आज्ञा दी है। आंध्र मूंगफली का सब से बड़ा उत्पादक है फिर भी आंध्र के एक भी व्यापारी को निर्यात परमिट नहीं दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से हर जगह राष्ट्रीय प्रयोगशालायें खोली जा रही हैं परन्तु हमारे राज्य में एक भी प्रयोगशाला खोल का विचार तक नहीं किया गया है।

पुनर्वर्गीकरण के कारण आंध्र की रेलें तीन टुकड़ों में बंट गई हैं---केन्द्रीय, पूर्वी तथा दक्षिणी रेलें--- जिस के कारण आंध्र के रेलवे कर्मचारियों की वरिष्ठता नष्ट हो गई है। जहां तक परिवहन का प्रश्न है हमारे यहां गोदावरी तथा कृष्णा नाम की दो प्रत्येक ऋतु में बहने वाली तथा बड़ी बड़ी नदियां हैं जो आंध्र देश में हो कर बहती हैं। मद्रास तथा कलकत्ते को मिलाने वाली ग्रैण्ड ट्रंक रोड को इन नदियों को पार कर के जाना पड़ता है, फिर भी दोनों नदियों पर कोई पुल नहीं हैं और हम को नाव का पुल पार कर के जाना पड़ता है। पांच वर्ष पूर्व अलामूर (पूर्व गोदावरी ज़िला) में नदी पर एक सड़क का पुल बनाने का प्रस्ताव था। उस समय के राजस्व मंत्री द्वारा आधार-शिला भी रख दी गई थी परन्तु अभी तक पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। उखाड़ी जाने वाली रेलवे लाइनों में से एक रेलवे लाइन काकिनाड तथा कोटीपल्ली के बीच थी जो गोदावरी के केन्द्रीय डेल्टा में रहने वाली सात लाख जनता के लिये देश के भीतरी भाग में जाने का एक मात्र साधन था। अभी तक इस लाइन को खोलने का कोई उपाय नहीं किया गया है हालांकि कितने ही अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं।

यही हाल सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय का है। हमारे यहां के १५,७८० ग्रामों में से केवल २५१ ग्रामों में बिजली की व्यवस्था हो पाई है यम्स धारा जैसी छोटी छोटी परियोजनायें हैं जिन की जांच हुए कितना ही समय बीत चुका है परन्तु उन को कार्यान्वित करने का अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है।

सभी मंत्रालयों में आंध्र के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है।

कितनी ही बार हम ने प्रधान मंत्री को प्रान्तीयता की निन्दा करते सुना है। परन्तु सब से अधिक प्रान्तीयता तो कैबिनेट में ही फली हुई है। प्रधान मंत्री के मंत्रालय को आप देखें तो आप पायेंगे कि वे उत्तर प्रदेश तथा काश्मीर के ही लोगों को रखने में अधिक उत्सुक रहते हैं। कृष्णमाचारी के मंत्रालय में आप जायें तो आप देखेंगे कि वे केवल तामिलभाषियों को ही रखना चाहते हैं। मौलाना आज़ाद केवल राष्ट्रीय मुसलमानों को ही रखना चाहते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों को प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुसार बांट दिया जाये।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, चारों ओर हमारे देश में एक प्रकार का असन्तोष वर्तमान स्थिति से दिखाई देता है। हमारी गवर्नमेंट जनता को सुख पहुंचाने के लिये बहुत सी दिशाओं में यत्न करती है, परन्तु फिर भी यह सच है कि चारों ओर एक प्रकार का असन्तोष है, हृदयों में पीड़ा है। जो आशायें हमारी स्वतन्त्र गवर्नमेंट से की जाती थीं, वह पूरी नहीं हो रही हैं। सम्भव है वह आशायें अधिक रही हों, परन्तु यह सच है कि आज वह पूरी नहीं हो रही हैं। मुझ को इस असन्तोष में मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि जनता जो बहुत वर्षों से दबी हुई थी, उस ने अपने स्वरूप का दर्शन नहीं किया था, बहुत वर्षों के दबाव में उस ने अपनी आत्मा को खो सा दिया था, उस को आशा थी कि स्वतन्त्रता के आते ही हमें उस आत्मा का दर्शन होगा, हमारे देश की आत्मा पर जो खोल चढ़े हुए थे वह हटेंगे और हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा। आज हम जो भी यत्न कर रहे हैं, उस में इस का हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम जनता को उस के आत्मा का स्वरूप दिखा सकें। वह आज़ वास्तव में नहीं हो रहा है। हम कहीं भी काम करें उचित यह है कि हम जनता की इस भावना को ध्यान में रखें।

[श्री टंडन]

गांवों के अन्दर जनता है। गांवों के अन्दर बेकारी है। उस को दूर करने का रास्ता ऐसा होना चाहिये जो जनता के स्वरूप के अनकूल हो। हम काम तो करते हैं परन्तु स रीति से करते हैं कि हम जनता से बहुत दूर रहते हैं। गांवों की स्थिति में इधर पिछले चार व ों में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है, नये गांव का स्वरूप हमें देखना चाहिये। हम गांवों को ठीक करना चाहते हैं, औषधियां देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर हमा ी निगाह है, परन्तु इन सब कामों में भी हमारी अपनी आत्मा का स्वरूप न ीं है। आ ुर्वेद की बात होती है, तो हमारी मंत्रि ी जी की ओर से उस की खिल्ली उड़ायी जाता है। उन को अधिक विश्वास है कि इन बाहरी औषधियों पर, आयुर्वेद पर नहीं। आज हम बहुत सी बातों में इस का ध्यान नहीं रखते कि हम जनता के पास जा रहे है या जनता से दूर हट रहे हैं।

बेकारी बढ़ी हुई है। हम बहुत बड़ी बड़ी योजनायें सोच रहे हैं, परन्तु जनता को उस के गांव में क्या चाहिये इस से हम अभी हटे हुए हैं। मेरा निवेदन है, थोड़े से समय में मैं अन्दर तो घुस नहीं सकता इस बेकारी के प्रश्न के भीतर, परन्तु मोटी रीति से मेरा यह कहना है कि हमारे शासन को यह नीति माननी चाहिये कि बेकारी को दूर करने का एक ही रास्ता है संसार भर में, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रायल रोड, कोई मुख्य मार्ग दूसरा नहीं है, सिवा इस के कि देश इन वस्तुओं का परित्याग करे जो दूसरे देशों से आती हैं, उन वस्तुओं का काम में लाये जो वह बनाता है, और जो अपनी आवश्यकतायें हैं उन को इस तरह से सीमित करे कि वह उन्हीं वस्तुओं के भीतर रहे। यही एक मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। आज हम देखते हैं कि बाहर से कितनी वस्तुएं आती हैं, हम दूसरे देशों को रोज़गार देते हैं। मैं मिसाल क्या दूं? एक एक चीज़ को देखिये। मोटर कार एक मद है। अरबों रुपया हमारा बाहर जाता है। यह बात सच है कि हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपने रहन सहन को बदलना पड़ेगा, अगर हम बेकारी दूर करना चाहते हैं तो हमें देहातों में हर चीज़ बनवानी होगी और अपनी आदत को बदल कर हमें उन चीज़ों का उपयोग करना होगा। आज इस की ज़रूरत है। मुझे को याद है कि अंगरेजी ढंग में बात करते हुए मैं ने कभी कहा था कि "केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करो जिनका तुम उत्पादन करते हो तथा जिन वस्तुओं का तुम उपयोग करते हो उन का उत्पादन करो।"

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

यदि हम इस मंत्र को सीख लें तो हमारी बेकारी दूर हो जायेगी।

मैं उन भाई से, जिन्हों ने कल कहा था कि हमें घरों की समस्या को हल करना चाहिये और १०० करोड़ रुपया घरों के लिये देना चाहिये, सहमत हूं। आज कितने दरिद्र हैं, हमारे देश में चारों तरफ़ गरीब भरे पड़े हैं जिन के पास घर नहीं हैं। मैं ने पहले भी कभी निवेदन किया था कि हर एक कुटुम्ब को आधा एकड़ भूमि देनी चाहिये, आधा एकड़ भूमि के साथ उन लोगों को, जिन के पास पैसा नहीं है, घर बनाने के लिये हमें सहायता देनी है। मैं बिल्कुल इस से सहमत हूं कि इस प्रश्न को हमें उठाना चाहिये। गांव गांव में हर कुटुम्ब के लिये घर बनाने की हमें चिंता करनी है। वहां के लोग अपना परिश्रम लगावें और गवर्नमेंन्ट इस में उन को सहायता दे।

स्वास्थ्य विभाग के विषय में भी मेरा यह निवेदन है कि हमारे देहात यदि अच्छे और स्वस्थ रीति से बनें तो यह जो बहुत सी

औषधियां हैं, जिन्हें हम अप्राकृतिक रीति से चला रहे हैं, उन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा इन औषधियों में अधिक विश्वास नहीं है। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि हमारा इस प्रकार का रहन सहन ही होना चाहिये कि हमें बहुत औषधियों की आवश्यकता न पड़े।

स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में आखिर यह चेचक के टीके का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता। हम बहुत सी चीज़ों में अंगरेज़ों की नक्ल करते हैं, लेकिन क्या आप को मालूम है कि इंग्लैंड में १८५३ में जबरदस्ती चेचक का टीका लगाना शुरू हुआ, इस के विरुद्ध वहां पर बहुत वर्षों तक आन्दोलन रहा है। लोगों ने देखा कि टीके के कारण रोग बहुत बढ़ रहे हैं और अन्त में उस आन्दोलन के सामने इंग्लैंड को झुकना पड़ा। सन् १८९८ में वहां पर ज़बरदस्ती चेचक का टीका लगाना बन्द कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अब वहां का स्वास्थ्य सुधरा है और उस के सुधरने का मुख्य कारण यह है कि चेचक का टीका लगाना बन्द हो गया है। हम यहां पर आज भी ज़बरदस्ती लोगों को वैक्सिनेट करते हैं और चेचक के टीके लगाते हैं। इंग्लैंड में वैक्सिनेशन एच्छिक (आप्शनल) है, कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है और बहुत से लोग हैं जो टीका नहीं लगाते हैं। आखिर क्यों? हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी यहां नहीं हैं। मैं ने पहले भी एक बार कहा था कि इन सरकारी बैंचों को ख़ाली नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं तो आप से पूछता हूं कि क्या यह सच है कि वहां पर वैक्सिनेशन आप्शनल है? मेरा निवेदन यह है कि इंग्लैंड में वैक्सिनेशन अर्थात् चेचक का टीका लगाना लाज़िमी नहीं है और वहां की बहुत काफ़ी जनता टीका नहीं लगाती है। आप इस का उत्तर दें।

श्री सी० डी० देशमुख : सम्भव है कि यह सच हो, लेकिन मेरा कहना यह है कि इंगलैण्ड से अब चेचक रोग का लोप हो चुका है। अब तो उन को केवल यह चिन्ता है कि इंगलैण्ड में कोई ऐसा व्यक्ति न आने पावे जिस के पास टीका लगवाने का प्रमाण पत्र न हो।

श्री टंडन : लेकिन साथ ही मैं तो यह कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने अपने मुल्क के लिये यह नहीं अच्छा समझा। अजीब बात है जो आप कह रहे हैं कि वह दूसरों से कहें कि वे वैक्सिनेशन करा कर आयें, लेकिन अपने मुल्क में उन्हों ने विधि के बल से टीका लगाने का क्रम उड़ा दिया। इस से साफ़ ज़ाहिर होता है कि वह वैक्सिनेशन को कोई अमृत नहीं मानते, उस को वह विष समझते हैं, उसे बुरा समझते हैं। जो बुरी चीज़ है उसे आप के लिये छोड़ दिया, आप ले लीजिये अगर आप को सन्तोष हो। लेकिन यह साफ़ बात है कि उन्हों ने अपने देश से इस को उड़ा दिया। उन्हों ने समझा कि इस में स्वास्थ्य का नुक़सान है और इसलिये उड़ा दिया। मेरे पास एक राय है जिस को मैं सामने रखता हूं। मेरे सामने एक काग़ज़ है जिस में प्रोफेसर ए० आर० वैलेस का मत है कि "क़ानून के ज़ोर से टीका लगाने के लिये विवश करने वाली विधियों का निरसन किसी भी दल की विचारधारा अथवा राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा कहीं अधिक तात्कालिक तथा गूढ़ महत्व का विषय है।"

यह प्रोफेसर ए० आर० वैलेस, ओ० एम०, एल० एल० डी०, डी० सी० एल०, एफ० आर० एस० का कथन है। वहां पर इस प्रकार का नियम चल रहा है। मेरा निवेदन है कि हमारे मुल्क में क्यों न यह चीज़ की जाय कि जिस को लगाना हो वही लगाये। आप कम से कम यह अवसर तो दीजिये कि जिस को इस

[श्री टंडन]

पर विश्वास न हो, वह न लगाये । आप उसको तंग तो न करें ।

मैं देखता हूं कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने एक नई स्कीम चलाई है सरकारी नौकरों के लिये । मेरे पास कुछ सरकारी नौकर आये और उन्होंने कहा कि यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है । इस स्कीम में कह दिया गया है कि सरकारी नौकरों को ज़बरदस्ती रुपया देना पड़ेगा । कहा गया है कि तुम्हारी तनख्वाह से हम रुपया काटेंगे और तुम्हारे इलाज की हम चिंता करेंगे । बहुत से सरकारी नौकर हैं जो ऐलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते हैं, उन्हों ने पूछा कि इलाज़ हमारे मन के माफिक होगा या ऐलोपैथिक होगा । जो सरकारी नौकर मेरे पास आये उन्होंने मुझे बताया कि उन लोगों को ऐलोपैथिक इलाज के लिये रुपया देना पड़ेगा । यह क्यों ? आप ने योजना बनाई है । अपनी योजना के सम्बन्ध में हैल्थ मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है उस के सातवें पन्ने पर सेन्ट्रल ऐक्टिविटीज़ के नीचे लिखा है कि "इस के लिये सरकारी नौकरों को एकवर्गीकृत क्रम के अनुसार मासिक अंशदान देना पड़ेगा ।" हर एक सरकारी नौकर की तनख़्वाह, जो कि दिल्ली में है, काट ली जायगी । बहुत से लोग हैं जो ऐलोपैथिक इलाज़ नहीं कराना चाहते हैं । आप क्यों ज़बरदस्ती करते हैं । मेरा सुझाव है कि आप आप्शन दें । जो आप की योजना से लाभ उठाना चाहता है उस की तनख़्वाह काटें जो लाभ नहीं उठाना चाहता है उस की तनख़्वाह न काटें ।

इस के बाद मैं कुछ शब्द शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं । मैं चन्द मिनट में ही कह सकूंगा । शिक्षा मंत्री ने उस रोज़ अपना असर डाने के लिए बहुत कुछ कहा । लेकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने न्याय से काम नहीं लिया । जो बातें मैंने नहीं कही थीं वह उन्होंने अपनी तरफ़ से मेरे मुंह में रख दीं । उन्होंने बिलकुल ग़लत बयानी से काम लिया । मैंने उम्र भर अलग हिन्दु मुसलमान के हित की चर्चा नहीं की । मेरे सामने केवल संस्कृति का सवाल रहता है । लेकिन यह हिन्दू है, यह मुसलमान है, लानत है उस पर जो इस तरह सोचता हो । मेरे लिए सब इंसान बराबर हैं । मैंने अपना हमेशा यह उसूल रखा है :

न हिन्दुअम न मुसलमां न काफिरम न यहूदे

मौलाना साहद ने अपना जिक्र करते हुए कहा कि उन की जिन्दगी के पन्ने खुले हुए हैं । यहां पर बहुत लोग हैं जिन की ज़िन्दगी के पन्ने खुले हुए हैं--कुछ मानी में। न मालूम उन लोगों ने स्वतंत्रता के लिये कितनी कितनी सज़ायें पायी हैं, कितनी कितनी तकलीफें उठायी हैं, मगर उन का ज़िक्र वे नहीं करते । जो लोग करनी करते हैं वे :

'कहि न जनावहिं आप'

अपनी बात अपने मुंह से नहीं कहते ।

'सनाये ख़ेश रा गुफ्तन, न ज़ेवद मर्दरा साहब'

अपनी कारीगरी को अपने मुंह से बयान करना बहुत अच्छी बात नहीं होती है । यहां बहुत लोग हैं जो बड़े कारीगर हैं, जिन्हों ने कष्ट सहे हैं ।

लेकिन मसला तो यह था कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है । उन्होंने मदद दी एक इंस्टीट्यूशन को । इस की कुछ चर्चा मैंने यहां पर की थी । यह एक इंस्टीट्यूशन है जिस ने एक शब्द कोष बनाया है । मेरा यही कहना था कि अगर आप हिन्दी का काम कराना चाहते हैं तो इस को उन लोगों से कराइए जो इस काम को जानते हैं । मेरे सामने इसी इंस्टीट्यूशन की लिखी हुई एक किताब है । यह है वर्धा की हिन्दुस्तानी प्रचार सभा ।

जब मैं ने इस का जिक्र किया तो मैं ने यह नहीं कहा था कि आप इस को क्यों देते हैं। मैं ने कहा था कि जहां एक तरफ आप इस को मदद देते हैं वहां वर्धा में एक और संस्था है, राष्ट्र भाषा प्रचार सभा जोकि बहुत पुरानी संस्था है, उस को आप नहीं देते हैं। उस का आप ने एक बवंडर बनाया और कहा कि इस के चेयरमैन फलां हैं और यह गांधी जी के नाम में चलती है और इसलिये उस को रुपया देने की बात कही और फ़रमाया कि गो कि इस का नाम हिन्दुस्तानी प्रचार सभा है लेकिन यह काम हिन्दी का करती है। यह उन्हों ने ग़लत बयानी की। उन की बात को काटा है किसने? यह चीज़ अख़बार में आयी है। आप देखें कि श्री प्यारे लाल जी ने उन की स्पीच वग़ैरह की तो तारीफ़ की है और जो उन्हों ने "पुर फ़रैब" लफ्ज़ का इस्तैमाल किया उस की भी तारीफ़ की है। लेकिन उन्हों ने कहा कि यह बात ग़लत है कि वह हिन्दी का काम करती है। यह बात मौलाना ने बिल्कुल ग़लत कही। यह प्यारे लाल साहब का बयान रखा है।

अब आप उन लफ्जों को देखिये जो इस संस्था ने बनाये हैं। 'बुलेटिन' के लिए उन्होंने बनाया है 'बतौती'। 'कैबिनेट' के लिए उन्हों ने लिखा है 'खोली'। 'प्रीमियर' के लिए उन्हों ने 'पहलुआ' लफ्ज़ बनाया है। यह किताब मेरे सामने है। आप इसे देखें। 'सेंटर' के लिए उन्हों ने लफ्ज़ रखा है 'बिचबिन्दी'। तो यह क्या लफ्ज़ हैं। जहां हम कहेंगे 'केन्द्र' वहां वह कहेंगे 'बिचबिन्दी'। हम कहते हैं 'केन्द्रीय मंत्रि मंडल'। आप जानते हैं कि 'केबिनेट' के लिए 'मंत्रिमंडल' शब्द प्रचलित है। लेकिन वह उस के लिए कहेंगे 'बिचबिन्दी खोली'। और लफ्ज़ सुनिये, 'सेंट्रलाइज़ेशन' का तर्जुमा है 'बिचियाना'। इस तरह के लफ्ज़ों को कौन समझेगा? उन्हों ने 'कंसालीडेशन' का तर्जुमा किया है 'ठोसियाना'। आप देखें कि वह किस तरह के शब्द बना रहे हैं। 'मिनिस्टर' के लिए देश भर में 'मंत्री' शब्द प्रचलित है, लेकिन उन को पसन्द है 'वज़ीर'। 'वज़ीर' लफ्ज़ भी लोग समझते हैं। लेकिन 'मंत्री' जो कि एक प्रचलित शब्द है वह उन को पसन्द नहीं है। बस इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं। कथन मेरा यह है कि वह संस्कृत से घबराते हैं। हमारे संविधान में कहा गया है कि संस्कृत के आधार पर शब्द बनाये जायें जिसमें सब प्रान्तों में समझे जा सकें। पर यह संस्कृत से घबराते हैं, और आप ने देखा कि किस तरह के लफ्ज़ वह बनाते हैं।

एक बात शिक्षा मंत्री ने इंटरनेशनल साइंटिफिक टर्म्स के बारे में कही। उन्हों ने कहा था कि सब जगह इंटरनेशनल टर्म्स काम में आते हैं। मैं कहता हूं कि उस की सीमायें हैं। मेरे सामने कुछ देशों के खत हैं। एक भाई ने इन पत्रों को मंगाया है। एक पत्र थाइलैंड एम्बैसी का है। उस में लिखा है कि "टेकनिकल तथा वैज्ञानिक शब्द जो हमारे यहां काम में आते हैं वह या तो 'थाई' भाषा के हैं या संस्कृत तथा पाली भाषा की सहायता से बने हैं तथा वे टेकनिकल तथा वैज्ञानिक अध्ययन के लिये पर्याप्त पाये गये हैं।

दूसरा पत्र फिनिश लिगेशन का है। उस में लिखा है "फिनलैण्ड का रवैय्या नये शब्द तथा टर्म्स गढ़ने का है जो आधार रूप से फिनिश हों तथा जिन पर कोई विदेशी प्रभाव न हो"

सभापति महोदय : अभी दो आदमियों को और बोलना है इस के पहले कि मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए कहूं।

श्री टंडन : मैं आप की आज्ञा का दास हूं। अगर आप कहें तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : अगर आप कोई नया मज़मून शुरू करेंगे तो उस में देरी होगी।

[सभापति महोदय]

आप इस मज़मून को ख़त्म कर दीजिये, नया मज़मून शुरू न कीजिये ।

श्री टंडन : शिक्षा विभाग के बारे में मैं कह रहा था । इसी तरह से ईरान को लीजिये । ईरान एम्बैसी ने जवाब दिया है, "लगभग ३० वर्ष पूर्व वैज्ञानिक तथा टेकनिकल टर्म्स के राष्ट्रीयकरण का कार्य आरम्भ हुआ था । अब हालांकि हम इस सम्बन्ध में स्वावलम्बी हो चुके हैं फिर भी हम किसी हद तक विदेशी भाषाओं पर निर्भर हैं ।"

मेरा कहना यह है कि जो हम लोग उस रोज़ कह रहे थे कि शब्दों के गढ़ने में आप देश का ध्यान रखें यह बात ग़लत नहीं है ।

एक बात मैं ने उस रोज़ और कही थी जिस का शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था । मैं ने कहा था कि संविधान में कुछ शब्द जो स्वीकार हो चुके हैं उन के भी हटाने का प्रयत्न दिखायी पड़ता है । उन्हों ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है । उन्हों ने जो कमेटी बनायी है उस के बारे में उन्हों ने कहा था कि उस को अख़्तियार है कि कोई शब्द बनाये या न बनाये । उस कमेटी ने जो शब्द बनाये हैं उन में से कुछ मेरे सामने हैं । मैं दो तीन शब्द यहां पर देना चाहता हूं जिन को आप देखें । जो हिन्दी का संविधान बना है और जिस पर श्री राजेन्द्र बाबू के और हम लोगों के हस्ताक्षर हैं उस में "कमीशन" के लिए 'आयोग' शब्द आया है लेकिन जो कोष शिक्षा विभाग ने बनवा कर भेजा है उस में "कमीशन" के लिए "कमीशन" शब्द ही रखा है । तो वह इस तरह से संविधान में आये हुए कुछ शब्दों को बदलना चाहते हैं । "कम्पन्सेशन" के लिए जो संविधान का अनुवाद हुआ है उस में "प्रतिकर" शब्द आया है । इस संविधान के अनुवाद पर बहुत रुपया खर्च किया गया है । लेकिन अब हमारे सामने जो टैकनिकल टर्म्स आये हैं उन में "कम्पेन्सेशन" के लिए "मुआवज़ा" शब्द आया है । "मुआवज़ा" कोई ऐसा शब्द नहीं है जो कि इधर न समझा जाय, लेकिन जो दक्षिण के भाई हैं वह सब नहीं समझेंगे । सवाल यह है कि संविधान के लफ्ज़ों को इस तरह से बदलना क्या मुनासिब है जब वह मंजूर हो चुके थे ?

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया पश्चिम) :—अनुचित है ।

श्री टंडन : इसी तरह आप देखें कि "ग्रान्ट" के लिये लफ्ज़ 'अनुदान' आया है । संविधान ने उस लफ्ज़ पर अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन यहां पर लफ्ज़ 'इमदाद' उस के लिये रखा है । अनुदान हटा कर लफ्ज़ इमदाद रखा है । 'ग्रान्ट इन एड' के लिये यहां पर 'इमदाद' है, जब कि हमारे संविधान में 'सहायक अनुदान' है । 'ला' के लिये देखें । संविधान में जो लफ्ज़ मंज़ूर हुआ है वह 'विधि' है, लेकिन यहां पर 'ला' के लिये 'कानून' लफ्ज़ बनाया जा रहा है । 'सिविल ला' के लिये 'दीवानी क़ानून' रखा गया है ।

श्री अलगू राय शास्त्री : बड़ा ज़ुल्म हो रहा है ।

श्री टंडन : जो बात मैं ने कही थी वह सही थी, उन्हों ने उस का रूप रंग बदला है ।

शिबली ऐकेडेमी को ग्रान्ट देने की बात मैं ने इसलिये छेड़ी क्योंकि उस में कल्चर की बात लायी गयी थी और इसलिये मैं न उस के बारे में निवेदन किया था । चूंकि कल्चर का बड़ा भारी सवाल है, इसलिये मैं आप की इजाज़त से कुछ लफ्ज़ उस के बाबत कहना चाहता हूं । मैं ने उम्मीद की थी कि उस के सम्बन्ध में कोई फ़र्क नहीं होगा लेकिन मुझे थोड़ा अफ़सोस हुआ जब मैं ने 'इस्लामी तमद्दुन' और 'हिन्दू तमद्दुन की' बात सुनी । मैं तो समझता हूं कि 'इस्लामी तमद्दुन' और

'हिन्दू तमद्दुन' कोई चीज़ नहीं है। मुझे यह सुन कर अफ़सोस हुआ जब मौलाना हिफ़ज़ुर्रहमान यहां पर खड़े हुए और उन्हों ने फ़रमाया कि यहां पर 'इस्लामी तमद्दुन' भी रहेगा और 'हिन्दू तमद्दुन' भी रहेगा, और उस का एक मजमुआ बनेगा। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अगर मजमुआ बनेगा तो दोनों कहां रहेंगे? और क्या मज़हब की राह पर आप तमद्दुन बनायेंगे? शिया तमद्दुन, सुन्नी तमद्दुन, वैष्णव तमद्दुन, जैन तमद्दुन, आखिर कितने तमद्दुन आप रखेंगे? तमद्दुन का धर्म से सम्बन्ध नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि धर्म अलग है और तमद्दुन अलग है। तमद्दुन का सम्बन्ध ज़मीन से होता है। हम ईरानी तमद्दुन समझ सकते हैं, अरबी तमद्दुन समझ सकते हैं, उसी तरह मैं भारतीय संस्कृति और भारतीय तमद्दुन समझता हूं और उसी की चर्चा करता हूं, लेकिन कोई अगर इस्लामी तमद्दुन और हिन्दू तमद्दुन की बात कहता है तो वह ग़लत है और उसी ग़लती की वजह से हम देखते हैं कि यह सब टंटा खड़ा हुआ, यह पाकिस्तान ही इस बिना पर बना। बहुत जगह पर जिन्ना साहब और उन के अनुयायियों की स्पीचें दिखला सकता हूं जिस में उन्हों ने यह कहा है कि मुस्लिम तमद्दुन अलग है और हिन्दू तमद्दुन अलग है और इसलिये हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हमारा मुल्क अलग होना चाहिये। यही तमद्दुन की मुख्य जड़ थी जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान की स्थापना हुई और इसी के साथ उन्हों ने उर्दू भाषा के प्रश्न को भी समेट लिया। मेरा निवेदन यह है कि धर्मों के ऊपर तमद्दुन नहीं होगा। हमारी संस्कृति हमारी भूमि से निकलेगी, उस में मज़हब का भेद नहीं होगा। चीन में भी मुसलमान हैं, तो क्या उन का रहन सहन, पहराव और लिखना पढ़ना चीनियों से भिन्न है? वे बिल्कुल दूसरे चीनियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे देश में जितने मुसलमान भाई बसते हैं, वे सब हमारे भाई हैं, छाती से छाती मिला कर इस देश में रहें, मगर अगर वह अलग मज़हब और तमद्दुन की बिना पर यहां रहना चाहें तो झगड़ा होगा और लड़ाई होगी और उस का नतीजा क्या होगा। एक दूसरी नीति और एक दूसरे तरह की चीज़ आयेंगी जैसा कि हम ने एक नमूना जिन्ना साहब की शख़्सियत में देखा। आज हमें उस की ज़रूरत नहीं है। मज़हब पर तमद्दुन नहीं होगा, हमारा रास्ता मेल जोल का होगा और इसीलिये हमें एक ही तमद्दुन और एक भारतीय संस्कृति पर क़ायम रहना है। हमारी उस भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते हुए हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि उस के कुछ अलग अलग रंग हैं। हमारी ज़मीन में कुछ अलग अलग रंग हैं। तामिल प्रदेश में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, और विन्ध्य प्रदेश में दूसरा रंग है और जिस के लिये उन्हों ने वेराइटेड लफ्ज़ कहा था, परन्तु मूल में हमारी संस्कृति एक है और वह भारतीय संस्कृति है चाहे उस में मुसलमान हों चाहे हिन्दू हों। शिक्षा मंत्री ने उर्दू के सम्बन्ध में भी एक अजीब बात कही। उन्हों ने कहा कि हमारे देश में साढ़े चार करोड़ मुसलमान बसते हैं तो क्या उन के नाम के ऊपर अगर हम ने उर्दू के लिये कुछ दे दिया तो कुछ ग़लती की। मैं नहीं समझा कि साढ़े चार करोड़ से उर्दू का क्या ताल्लुक़ है। उर्दू तो बहुत थोड़े जानने वाले हैं। हम कोई उर्दू के दुश्मन नहीं हैं मगर उन्हों ने बात कुछ पलट कर के कहा। उर्दू को आप मदद दीजिये, मैं उस का विरोध नहीं करता। मैं ने तो यह कहा था कि ग्रान्ट देते समय कुछ अनुपात होना चाहिये। आप को यह देखना होगा कि आप लोग हिन्दी का काम जिस से ले रहे हैं। मैं ने कहा था कि हिन्दी का काम आप को कराना है तो मुख्य कर के हिन्दी की संस्थाओं के ज़रिये से काम करवाइये। मैं ने जामिया मिलिया, जो उर्दू को चलाने वाली

[श्री टंडन]

संस्था है, उस के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, इसी तरह अलीगढ़ युनिवर्सिटी काम करती है, मैं ने उस के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, मेरी मंशा कोई उर्दू के ऊपर एतराज़ करने की नहीं थी। मैं ने तो यह दिखाया था कि कल्चर के नाम पर आप ने किस को दिया। आप अंजुमने तरक्क़ी उर्दू को कल्चर के नाम पर मदद दिया करें, तो मेरे नज़दीक़ वह चीज़ ठीक नहीं है और आप ऐसा कर के बहुत ग़लत काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने बहुत से ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किये, मैं लौट कर उनको नहीं कहना चाहता। मेरे दिमाग़ में वे इस समय हैं भी नहीं लेकिन मुझे इस समय एक बात याद आ रही है और वह यह है कि गांधी जी के बारे में मैं ने पढ़ा था कि जब नागपुर में गांधी जी ने हिन्दी का पक्ष लिया था तो उर्दू तहरीक़ को चलाने वाले मौलाना अब्दुल हक़ साहब, जो अंजुमन तरक्क़ी उर्दू का काम करने वाले थे, उन्हों ने गांधी जी के बारे में उस समय कहा था कि, 'उन के चेहरे से रया का नक़ाब उतर गया', रया के अर्थ हैं फ़रेब। यह लफ्ज़ मौलाना साहब ने मेरे लिये इस्तेमाल किया था। जो चीज़ अब्दुल हक़ साहब ने महात्मा गांधी जैसी बड़ी शख़्सियत के लिये कही, आज वही चीज़ मौलाना साहब ने मेरे जैसे छोटे आदमी के लिये कहना मुनासिब समझा। तंगदिली की बात कह देना बड़ा असान है। यह तंगदिली किसकी है, यह समझने की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप आज फ़ारसी लिपि को क्यों पकड़े हुए हैं। फ़ारसी की लिपि इस देश की नहीं है। आप उस को पकड़े क्यों हैं। क्या यह तंगदिल्ली नहीं है? हमारे देश में जो नागरी लिपि चल रही है जिसके लिये मेरा निवेदन है कि वह हमारी संस्कृति और तमद्दुन का जुज़ है और उसी को फैलाना चाहिये और ग्रहण करना चाहिये। क्या यह कहना तंगदिली है? मैं यह कहता हूं कि आप फ़ारसी लिपि को जो पकड़े रखना चाहते हैं यह तंगदिली नहीं तो क्या है? क्या यह फ़राख़दिली है? मैं इस पर क्या कहूं, अधिक नहीं कहना चाहता। उन्होंने उस रोज बहुत ग़लत बयानी से काम लिया। मैं तो हिन्दू, मुसलमान को एक करना चाहता हूं, एक संस्कृति उन की हो, एक तमद्दुन में वे रहें और इस लिये मेरा बार बार यह निवेदन है कि देश के सब लोगों को एक लिपि नागरी लिपि में बांधना उचित है। वह क्या कोई आप के मज़हब के खिलाफ़ जाता है? चीन में जो मुसलमान हैं वह चीनी लिपि में अपना सब काम काज करते हैं, और कुरान शरीफ़ का भी अध्ययन वह चीनी भाषा में ही करते हैं, अरबी लिपि में वह अपना काम नहीं चलाते। मैं चाहता हूं कि हम सब मिल कर इस सवाल को हल करें।

इस मिनिस्ट्री की तरफ़ से सचमुच उन लोगों के ज़रिये से काम कराने की कोशिश होनी चाहिये जो हिन्दी जानते हों। कल एक भाई ने थोड़ी सी उस सम्बन्ध में चर्चा की थी। हमारे शिक्षा मंत्री जी किन से काम लेते हैं? मालूम ऐसा होता है कि जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानता वही सब से अच्छा हिन्दी का काम कर सकता है। उन के जो सचिव हैं वह हिन्दी जानने वाले नहीं हैं, उन के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वह हिन्दी जानने वाले नहीं हैं और उनके वहां का डिप्टी सेक्रेटरी हिन्दी जानने वाला नहीं है, क्या इस तरीक़े से यह हिन्दी का काम पूरा होगा? मौलाना साहब ख़ुद जितनी हिन्दी जानते हैं, वह ज़ाहिर है। मैं ने देखा कि मौलाना साहब को उन की स्पीच जो शोधन करने के लिये जाती है वह फ़ारसी लिपि में भेजी जाती है, जब कि हमारे संविधान में साफ़ उल्लेख है कि नागरी लिपि का प्रयोग होगा, मगर उन के लिये ख़ास तौर पर और कुछ दूसरे लोगों के लिये भी ख़ास तौर पर

फ़ारसी लिपि में उन की स्पीचें भेजी जाती हैं। मेरे पास जब मेरी स्पीच शोधन के लिये आई तो मुझे यह देख कर ताज्जुब हुआ कि उस में मौलाना साहब का जितना हिस्सा था वह फ़ारसी लिपि में लिखा हुआ था। मैं नहीं जानता कि यह कहां तक कांस्टीट्यूशन के मुआफिक़ है, लेकिन वाक़या यह है कि वह इतने रोज़ से हमारे शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन वह अभी तक नागरी लिपि नहीं सीख सके हैं। इसलिये मेरा कहना है कि हिन्दी का काम ऐसे लोगों के ज़रिये से होगा जो खुद हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं। मौलाना साहब ने मेरे लिये कहा था कि मैं ने कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव नहीं दिया। मैं ने उस समय कहा था और इस समय भी कहता हूं कि आप ऊंची किताबें लिखवाइये, और आठ, दस हज़ार रुपया एक एक किताब पर खर्च कीजिये। मैं ने दूसरा सुझाव यह दिया था कि आप इसके लिये एक आयोग बना दीजिये जो इस काम को करे और आज इस अवसर पर फिर मैं उसी बात को दुहराता हूं।

श्री काचिरोयर (कुडलूर) : इस विधेयक में आयव्ययक प्रस्तावों की पृष्ठभूमि तो यह है कि देश के लोगों का कल्याण हो और उनका जीवन सुखमय बनाया जाय जबकि वास्तविकता यह है कि गरीबों पर नये कर लगा दिये गये हैं और अमीरों पर कोई भी इस का प्रभाव नहीं पड़ा है। सुपारी, कपड़ा तथा साबुन आदि आवश्यकता की वस्तुओं पर कर लगाने का अर्थ है गरीबों की आय में कमी करना।

माननीय वित्त मंत्री का कथन है कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक कपड़ा खरीदेगा उस को उतना ही अधिक कर देना पड़ेगा, इस का अर्थ यह नहीं कि इस का भार गरीबों पर ही पड़ता है। इस के उत्तर में मेरा निवेदन है कि भारत जैसे अविकसित देशों में कर तो क्रय-शक्ति तथा कर दे सकने की क्षमता के आधार पर लगने चाहियें, क्रय की गई मात्रा के आधार पर नहीं। इस सम्बन्ध में जो कुछ रियायतें दी भी गई हैं उनसे उद्योगों का भले ही कुछ लाभ हो किन्तु उपभोक्ता को तो कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। माननीय मंत्री की धारणा यह है कि इस समय खाद्य तथा अन्य सभी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण देश की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ हो गई है। भले ही किसी सीमा तक उनकी धारणा कुछ सही हो किन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। साधारण मनुष्य के जीवन-स्तर में क्या कुछ उन्नति हुई है? बेकार लोगों को काम मिला है? क्या क्रय-शक्ति में वृद्धि हुई है? इन सब का उत्तर नकारात्मक ही है। तो फिर भला कर लगाने से क्या लाभ हुआ? सम्भवतः उनका यह विचार हो कि नये कर लगा देने से इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। किन्तु वास्तव में हुआ इस के ठीक विपरीत है अर्थात् इन वस्तुओं का मूल्य निश्चय ही बढ़ गया है।

मेरी यह समझ में नहीं आता कि जब उनका स्वयं ही यह कथन है कि देश की सर्वांगीण उन्नति के लिये त्याग करना पड़ेगा और यह त्याग यथासम्भव समान होना चाहिये। एक ओर वह ऐसा कहते हैं और उधर गरीबों पर नये-नये कर लगाते जा रहे हैं। क्या इसी का नाम त्याग की समानता है? जब लोगों की आवश्यकताएं तक पूरी नहीं होंगी तो वे स्वेच्छापूर्वक त्याग किस प्रकार कर सकते हैं? इस के अतिरिक्त राजस्व में २६.०६ करोड़ की कमी है और इन करों से ११.८५ करोड़ पये की आय का अनुमान लगाया गया है। वास्तव में देखा जाय तो कर लगाने का मुख्य उद्देश्य विद्यमान असमानताओं को दूर कर के कर-प्रणाली का अभिनवीकरण करना है, आयव्ययक में घाटा दिखाना नहीं। अतः कर लगाने का यह उचित अवसर नहीं है। वित्त मंत्री को आय बढ़ाने के

[श्री काचिरोयर]

लिये किसी अन्य उपाय का सहारा लेना चाहिये था। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदनों में कुछ बचत के उपाय बताये हैं यथा कुछ स्थानों को, जो व्यर्थ के हैं, समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

दक्षिण की बहुत उपेक्षा अब तक की गई है। जैसा कि स्वयं माननीय वित्त मंत्री ने द्वितीय सदन में कहा था कि ऐसे क्षेत्रों की ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विशेष ध्यान रखा जायगा। दक्षिण में इगनाइट की खानों की ओर यदि केन्द्रीय सरकार ध्यान दे तो बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। इस सम्बन्ध में 'राज्य के औद्योगीकरण' नामक लेख का सारांश यह था कि हम देश के औद्योगीकरण तथा व्यवसायीकरण की ओर चल पड़े हैं। अतः देश के विभिन्न खनिज पदार्थों जैसे मैगनेटाइट, मैगनेसाइट तथा बाक्साइट आदि का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयत्न करें तथा विद्युत-शक्ति के सहारे इन का विकास करें जिस से देश की उन्नति इस क्षेत्र में हो सके। मैगनेसाइट का अधिक उपयोग हमारे यहां विद्युत शक्ति की कमी के कारण नहीं हो पाता है, और वह विदेशों को भेज दिया जाता है। अतः अब इस का उपयोग यहीं किया जाना चाहिये। यह वायुयान आदि बनाने में काम आता है। लिगनाइट परियोजना के पूर्ण हो जाने से निश्चय ही देश का औद्योगिक विकास हो सकेगा और ब्राउन कोल विद्युत उत्पन्न करने के काम में लाया जा सकता है।

अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाने से पूर्व इस ओर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है तथा गोदावरी, कृष्णा एवं उत्तरी पेन्नार इन तीनों नदियों की सम्मिलित योजना पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि साम्यवादी दृष्टिकोण को छोड़ कर और सभी प्रकार से यह चर्चा अत्यन्त शान्तिपूण रही है। सम्पूर्ण रूप से माननीय सदस्यों ने गुप्त अथवा प्रकट रूप से अपने सिद्धान्तों को एक ओर छोड़ते हुए सदन में प्रस्तुत किये गये विधेयक में सरकार की विचारधारा में अपना सहयोग देने की भावना ही प्रदर्शित की है।

वित्त मंत्री के लिये यह सब से अधिक परेशान करने वाले विवादों में से एक है। उठाई गई सभी बातों का उत्तर देने के लिये मुझे कम से कम तीन घंटे लग जायेंगे। मझे हिन्दी और उर्दू के सम्बन्ध में उठाये गये तर्कों को छोड़कर अन्य बातों पर बहुत कुछ कहना है।

मैं सभी महत्वपूर्ण मामलों का निबटारा करना केबिनेट के ऊपर छोड़ता हूं। मैं भी उन में से एक हो सकता हूं। वास्तव में यह रुखों, विचारधाराओं अथवा दार्शनिकता का उतना प्रश्न नहीं है जितना कि ठोस तथ्यों में कुछ विचारों को लागू करने का है, जो हमारे सम्मुख हैं।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के लिये, अपने उन तथ्यों के निर्देश करने का यह अच्छा उपाय है, जिन से वे सन्तुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस से सरकार को उन बातों पर विचार करने का अवसर मिलता है। इस में विरोधी दल की माननीया सदस्या की यथोचित प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, विदेशी विनियोगों के वास्तविक स्वरूप, विदेशी तथा देशी उद्योगपतियों के लम्बे मुनाफे तथा मशीनीकरण की बिना सोची समझी मुसीबतें व तकलीफें आदि आ जाती हैं।

'मैं समझता हूं कि हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है स्थिति की वास्तविकता को पहचानना और तत्पश्चात् हमें विचार-धारा तथा

दार्शनिकता आदि के सम्बन्ध में विशेष रूप से घबड़ाये बिना ही इस सीमित समस्या को हल करने का यत्न करना चाहिये ।

तथ्यों के सम्बन्ध में मैं कुछ चीजों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किन्तु दोष निकालने की भावना से नहीं वरन् सदन के सम्मुख तथ्य उपस्थित करने की दृष्टि से ही ऐसा करना चाहता हूं ।

उदाहरणस्वरूप, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सम्मिलित समृद्धिसूचक परियोजना में स्टानवाक से किये गये करार में कुछ गुप्त खण्ड भी हैं । मैं यह कह सकता हूं कि इस करार में कोई भी गुप्त खण्ड नहीं है । वह इस मामले विशेष को समाप्त कर देता है । यह उस का एक उदाहरण मात्र है ।

तत्पश्चात् श्री टी० एन० सिंह का विश्वास था कि जब कि किसी एक ज़िले के लोग वहां एक चिनाई वाला बांध चाहते थे, जिसे कंकरीट के बांध में परिवर्तित करना था––यह एक दूसरा ठोस उदाहरण है, जो अधिक महंगा है, क्योंकि विदेशी वित्तीय सहायता चिनाई वाले बांध के लिये नहीं मिल पाती । मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने ऐसा कहा है अथवा उनका ऐसा विश्वास है ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस-पूर्व) : मैं ने यह कहा था कि जहां कहीं चिनाई वाले बांध से काम चल सकता है और वह सस्ता भी है, केवल इसलिए कि विदेशी सहायता मिल रही है, हम कंकरीट का बांध बनवाने के लिये सहमत हो जाते हैं, यह ठीक नहीं ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह उसी के विषय में है, इसलिये नहीं कि वह हो नहीं सकेगा, वरन् यह अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि हमें विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है हमें कुछ मशीनें तथा अन्य चीज़ें भी मिल रही हैं । मुझे विश्वास है कि यह बात उत्तर प्रदेश के रिहांड बांध के सम्बन्ध में कही गई है । नाम बता देना अधिक अच्छा है, अन्यथा परिस्थितियों के सम्बन्ध में चर्चा नहीं की जा सकती है ।

श्री टी० एन० सिंह : आप सही कहते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : इस की प्राक्कलित लागत ३३ करोड़ पया है । पैदा की जाने वाली विद्युत-शक्ति २४०,००० किलोवाट होगी । १९५३–५४ में विदेशी वित्तीय सहायता सामग्री के लिये ८५ लाख डालर तथा टेक्निकल सम्मति के लिये २५ लाख डालर दी गई थी । विशेषज्ञों में इस सम्बन्ध में मत-विभिन्नता है । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने यह सम्मति दी थी कि यह बांध चिनाई का बांध हो सकता है, और उनके मतानुसार इससे लाभ यह होता है कि यह कार्य विदेशी सहायता के बिना किया जा सकता था, और यद्यपि इस प्रकार लागत कम नहीं आयेगी किन्तु स्थानीय लोगों को इस से काफी काम मिल जायगा । यू० पी० के इन्जीनियरों ने यह सम्मति स्वीकार नहीं की । उनका कहना है कि इतना ऊंचा अर्थात् लगभग ५०० फुट का ऊंचा चिनाई का बांध अभी तक कहीं बनवा कर देखा नहीं गया है । मैं यह नहीं कह सकता कि इन दोनों में से किस का कथन सत्य है, किन्तु बात यह है कि यह विदेशी सहायता में सम्मिलित की गई पांच योजनाओं में से एक है और इसे चम्बल, कोयना आदि के साथ केन्द्रीय सहायता की योजना में भी सम्मिलित कर लिया गया है ।

यदि विदेशी सहायता इसे न दी गई होती, तो किसी और परियोजना को दी गई होती, किन्तु केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को सामान्य शर्तों पर वित्तीय सहायता अवश्य

[श्री सी० डी० देशमुख]

दी गई होती । अतः वित्तीय सहायता का मामला एक संगत बात नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : हमें उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया है कि इस बात के कारण उन्हें सीमेंट कंक्रीट निर्माण शुरू करना चाहिए ।

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे विचार में उत्तर प्रदेश सरकार ने या तो स्थिति को ठीक समझा नहीं या माननीय सदस्य को ठीक जानकारी नहीं दी ।

बात यह है कि विदेशी सहायता केन्द्रीय सरकार प्राप्त करती है । जब यह किसी राज्य सरकार को दी जाती है, तो केन्द्रीय सरकार से उतनी राशि पये के रूप में प्राप्त की जाती है । यदि राज्य सरकार के पास रुपया न हो, तो उस राज्य सरकार को एक ऋण दिया जाता है, ताकि यह विदेशी सामान खरीद सके । अतः जहां तक राज्य सरकार के लेखे का सम्बन्ध है, इस बात से कोई अन्तर नहीं पड़ता कि विदेशी सहायता कौन सी परियोजना के लिए प्रयोग की जाती है । सब विदेशी सहायता केन्द्रीय सरकार प्राप्त करती है कोई राज्य सरकार या अन्य पक्ष प्राप्त नहीं करता । इसलिए इस मामले का वास्तव में कोई महत्व नहीं ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पूर्व): किन्तु यह अन्तिम निर्णय किस ने किया था कि बांध ईटों की बजाय कंक्रीट का बनाया जाये ?

श्री सी० डी० देशमुख : बांध बनाने के लिये जो ऋण लिया जायेगा, उसे चुकाने के लिए सरकार उत्तरदायी है । आप ऋण लेने वाली सरकार को कोई विशेष निर्णय करने पर बाधित नहीं कर सकते ।

अगली बात यह है कि सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए, मैं आलोचना या असंतोष का, जो कि जनता प्रकट करती है, विरोध नहीं करता । वास्तव में मुझे हर्ष है कि जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है । मेरे विचार में जनता के रुख में जो परिवर्तन हुआ है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और यह ठीक है कि जनता उन कार्यों पर जो कि किये जा चुके हैं, सरकार को बधाई देने की बजाय उन बातों की ओर ध्यान दिलाये जो कि ग़लत हो रहे हैं या जो पर्याप्त ढंग से नहीं हो रही हैं ।

अब मैं इस सामान्य प्रश्न को लेता हूं कि यह योजना पर्याप्त है या नहीं । इस योजना को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में, जितना मैं असंतुष्ट हूं उतना और कोई नहीं हो सकता और मैं योजना आयोग के प्रतिनिधि के रूप में ऐसा कहता हूं । हम जानते हैं कि हमारी राह में बहुत बाधायें हैं । हमें इस बात का भी ध्यान है कि अगली योजना ऐसी होनी चाहिए, जिस से कि जीवन-स्तर ऊंचा करने में अधिक प्रगति की जा सके । हमारी यह योजना एक पहली कोशिश थी और हमें आयोजन के तरीके पूरी तरह विदित नहीं थे । दूसरी बात यह है कि हम ने आयोजन तब शुरू किया जब कि कुछ समय पहले ही बीत चुका था । आप को स्मरण होगा कि योजना आयोग अप्रैल १९५० में स्थापित किया था और यह योजना का पहला वर्ष था । हमें अपना काम समझने, विचार करने और योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में दो वर्ष लगे । अब योजना का केवल तीसरा वर्ष समाप्त होने को है ।

माननीय सदस्यों ने प्रो० बेटलहाइम के व्याख्यानों की ओर निर्देश किया है । निस्सन्देह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उन का बहुत ऊंचा दर्जा है । मैं ने इस विषय पर अन्य लेखकों के लेख भी पढ़े हैं । उन्हों ने बतलाया है कि प्रजातंत्र में अधिक अच्छा आयोजन कैसे किया जा सकता है । पिछले चार दिनों में

जो चर्चा हुई है, उस से मैं ने यह बड़ा सबक सीखा है कि सब दल यह चाहते हैं कि हमारी अगली योजना ऐसी हो जिस से कि हम अपने संसाधनों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। मेरे विचार में इस विषय पर योजना आयोग सदस्यों के साथ विचार विमर्श करने का स्वागत करेगा। ये सदस्य सब दलों के हो सकते हैं। संभव है कि एक बहुत अधिक विशाल योजना तैयार की जाये। वित्त या संरक्षणों के सम्बन्ध में इस के क्या अभिप्राय होंगे, इस का निश्चय करना हमारा काम है। सरकार को फिर यह भी देखना होगा कि क्या ये संरक्षण देना उस के राजनैतिक सामर्थ्य के अन्दर है। इस के बाद चर्चा के द्वारा हम ऐसी योजना बना सकेंगे, जो कि हमारे साधनों के अनुरूप हो। अतः मैं उपाध्यक्ष महोदय की इस अपील का समर्थन करता हूं कि अगली योजना बनाने में सब दलों को सहयोग देना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो इस कार्य के लिए उन्हें अपनी विचार-धाराओं को भी, जिन से उन के सहयोग देने में बाधा पड़ती हो, भुला देनी चाहिए।

मैं ने जो विवरण परिचालित किये हैं, उन का अध्ययन करने में डा० लंका सुन्दरम् को कुछ तथ्य सम्बन्धी कठिनाइयां पेश आई हैं। गत वर्ष योजना आयोग की प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट में संसाधनों के जो प्राक्कलन दिये गये थे, उन की तुलना उन्होंने हाल में संसद् सदस्यों में परिचालित किये गये तीन विवरणों में दिये गये प्राक्कलनों से की है। मुख्य प्रश्न यह था कि इन दो प्राक्कलनों में अन्तर क्यों है? मेरे लिए प्रत्येक बात का उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है *। किन्तु मोटे तौर पर मैं यह बतलाना चाहूंगा कि प्रकृति सम्बन्धी रिपोर्ट में दिये गये आंकड़े १९५३–५४ के आयव्ययक प्राक्कलनों पर आधारित थे किन्तु ये तीन विवरण १९५३–५४ के संशोधित प्राक्कलनों को ध्यान में रख कर तैयार किये गये हैं; और यह भी ध्यान रखा गया है कि जहां तक राज्य सरकारों के ऋण लेने के कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, पूंजी बाज़ार में काफ़ी सुधार हुआ है।

योजना की प्राथमिकताओं और ढंग के सम्बन्ध में विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं। उदाहरणतया उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है कि अब भी ५० प्रतिशत व्यय छोटी परियोजनाओं पर किया जाये। स्थिति यह है कि योजना की कुल राशि में से जो कि लगभग २२०० करोड़ रुपये है, १२५० करोड़ रुपये अर्थात् ५० प्रतिशत से कुछ अधिक बड़ी परियोजनाओं पर व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस में बहु प्रयोजनीय परियोजनाएं, रेलवे, नौवहन, बड़े पैमाने के उद्योग, अखिल भारतीय डाक्टरी संस्था, खड़गपुर टेकनोलौजिकल संस्था और राज्य सरकारों की अधिकांश सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी योजनाएं सम्मिलित हैं। अतः यह समझा जा सकता है कि शेष राशि स्थानीय प्रकार की जल्दी फल देने वाली योजनाओं के लिए है। दूसरे शब्दों में हम वही कर रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष महोदय चाहते हैं।

श्री के० के० देसाई ने यह सुझाव दिया है कि भविष्य में औद्योगिक क्षेत्र में जो भी विकास हो, वह सरकारी उद्यम द्वारा किया जाये। इस मामले में भी हमें यह देखना है कि कौन सी चीज़ संभव है। संभव है कि संसाधन तत्काल हमारे पास न हों और संभव है कि कुछ उपभोक्ता उद्योग गैर सरकारी उद्योग-पतियों के हाथ में अच्छे रहेंगे। चूंकि सुधार और विकास का क्षेत्र बहुत विशाल है, इसलिये हमें पहले से ही कोई निश्चित नीति अपना लेने की आवश्यकता नहीं है। लोक-सभा को विदित है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तथा औद्योगिक विकास निगम स्थापित करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण मूल उद्योग शुरू करना होगा। दूसरे शब्दों में

*६ मई, १९५४ को पत्र सदन पटल पर रखे दिये गये।

[श्री सी० डी० देशमुख]

हमारा वही कुछ करने का विचार है, जो श्री के० के० देसाई चाहते हैं। किन्तु बड़े बड़े मूल उद्योग राज्य को इसलिए नहीं शुरू करने चाहिएं कि निजी उद्योगपति संभवतः उन का कुशलता से प्रबन्ध न कर सकें, अपितु इसलिए कि संभवतः, उन्हें इन में पर्याप्त आकर्षण न प्रतीत हो। उस का निश्चय भी वर्तमान परिस्थितियों को आंकने पर निर्भर करता है। हम यह समझते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जब निजी उद्योगपतियों के लिए लाभ के अन्य साधन विद्यमान हैं, वे इन मूल उद्योगों को जिन्हें कि हम, अर्थात् योजना आयोग अत्यावश्यक समझता है, स्थापित करने और देर तक विकसित करने के लिए तैयार न हों, तो हमारे इस कार्य को संभालने में कोई हानि नहीं है। कुछ सदस्यों की इस योजना तथा उस की कार्यान्विति के बारे में बड़ी विचित्र धारणायें हैं। विरोधी दल की माननीया महिला सदस्या ने यह कहा है कि सरकार ने देश के लाभ के लिये अब तक एक भी योजना पूरी नहीं की है। उन्हों ने कहा कि चीन ने दो वर्ष में ही बड़ी बड़ी योजनायें पूरी की हैं। उन्हों ने कहा कि इसीलिये मैं इस वित्त विधेयक का अत्यधिक विरोध करती हूं। किन्तु मैं उन्हें यह बता दूं कि योजना की प्रगति पर जो रिपोर्ट जनवरी १९५४ को प्रकाशित हुई थी उस में यह बात दी हुई है कि पंच वर्षीय योजना के तात्कालिक उद्देश्य पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिये गये हैं। उस में खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी उत्पादन, सिंचाई, विद्युत, सामुदायिक परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा परिवहन और संचार का विशेष उल्लेख है। इस योजना में कुछ बड़ी तथा बहुत सी छोटी योजनायें सम्मिलित हैं जिन के सम्बन्ध में पूरे देश में काम किया जा रहा है। मेरा उन से कोई विवाद नहीं है जो यह कहते हैं कि यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि जो धन हम खर्च कर रहे हैं हमें उस का मूल्य मिलना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब प्रगति रिपोर्ट दो स्तम्भों में विभाजित हो जिन में एक में तो वित्तीय आंकड़े हों तथा दूसरे में आनुपातिक लक्ष्य दिये हों। विस्तृत ब्योरे से हमें यह पता लगता है कि किन किन कामों के लिये कितना कितना व्यय किया गया है। इसलिये जब हम यह कहते हैं कि किसी इमारत के विस्तृत ब्योरे में २ लाख रुपये खर्च होंगे तो इस का मतलब यह होता है कि उस में इतने हजार ईंटें, इतने टन सीमेंट, इतनी इमारती लकड़ी लगेगी और उस के इतनी जगह तथा इतने कमरे होंगे। जब उस में २ लाख रुपये खर्च हो जाते हैं तो हम समझते हैं कि हमें उस का मूल्य मिल गया है। जहां लक्ष्य की परिभाषा नहीं की जा सकती वहीं कठिनाइयां पैदा होती हैं और इसीलिये मैं सामान्य बात को मान लेता हूं। वित्त मंत्रालय के लिये इस को मान लेना ही श्रेयस्कर है। हम नहीं चाहते कि धन खर्च किया जाय किन्तु बहुत सा काम बाकी रह गया है जिसे योजना की अगली अवधि में करना पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय महिला सदस्या ने अपनी बात को कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही कहा है क्योंकि उन्हों ने कहा था कि सरकार ने देश के लाभ के लिये अभी तक कोई भी योजना पूरी नहीं की है।

श्री मेघनाद साहा ने कहा है कि पहिली योजना में औद्योगीकरण पर बहुत अधिक ज़ोर दिया जाना चाहिये था। बहुत से सदस्यों ने कहा कि कृषि तथा छोटे पैमाने के उद्योगों पर बहुत अधिक धन खर्च किया जाना चाहिये था। निष्पक्ष रूप से आलोचना करने वाला कोई भी व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि योजना आयोग तथा सरकार ने कृषि की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। योजना के

२५ प्रतिशत भाग का सम्बंध कृषि से है । इसी के सम्बन्ध में श्री खण्डूभाई देसाई ने कुल व्यय के आंकड़े, ५,३०० करोड़ रुपये बताये थे। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के अनुसार छोटे पैमाने के उद्योगों या छोटे उपक्रमों के व्यय के आंकड़े ८०० करोड़ रुपये हैं । शेष ४,२०० करोड़ रुपये कृषि सम्बन्धी उत्पादन के बारे में हैं। इसी से यह सिद्ध हो जाता है कि छोटे पैमाने के उद्योगों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है ।

इन मामलों का अध्ययन किया जा रहा है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये एक पृथक् बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। बड़े उद्योगों के बारे में भी यह मिथ्या धारणा है कि हम विदेशों से साबुन मंगा रहे हैं । विदेशों से साबुन मंगाने पर प्रतिबन्ध हैं किन्तु शृंगार प्रसाधनों में साबुन की बनी कुछ चीजें आती हैं। इस का देश में ८७,००० टन उत्पादन होता है और शृंगार प्रसाधनों में आने वाली साबुन की मात्रा १००० टन है ।

प्रो० साहा ने सोडा भस्म के बारे में कई बार प्रश्न उठाया है और उन्हों ने कुछ आंकड़े भी उद्धृत किये हैं। किन्तु वह इस बात को भूल जाते हैं कि देशी उद्योग को संरक्षण देने के लिये हम ने ४० प्रतिशत अधिमानीय संरक्षणात्मक शुल्क तथा ५० प्रतिशत प्रमाप शुल्क लगा रखा है । सम्बद्ध मंत्रालय ने इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार किया है और यह कहना ठीक नहीं है कि सोडा भस्म को हम किसी भी देश से ले सकते हैं तथा प्रतिस्पर्धी मूल्य पर ले सकते हैं । भारी रसायनों के मामले में बहुत से फर्म आपस में मिल गये हैं और इन के दामों को बनाये रखने के लिये प्रतिस्पर्धा को दूर रखा जाता है । यदि आयात करने वाले तथा उपभोक्ता दाम देने के लिये तैयार हों तो सरकार किसी भी देश से इन का आयात करने की अनुमति देने के लिये तय्यार है । जो लाइसेंस दिये गये हैं उन से किसी भी देश से ये मंगाये जा सकते हैं । आई० सी० आई० के अतिरिक्त अन्य आयातकर्ताओं को इंग्लैण्ड के मुकाबले में किसी और देश से सोडा भस्म सस्ता नहीं मिल सका। अन्य देशों से केवल अभाव के समय ही महंगे दामों पर यह मंगाया गया है ।

श्री मेघनाद साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): क्या सरकार ने प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर किसी अन्य देश से सोडा भस्म मंगाने का प्रयत्न किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सरकार यह समझती है कि यही सब से सस्ता दाम है जिस पर हम सोडा भस्म मंगा सकते हैं, क्योंकि जिन व्यापारियों को लाइसेंस दिये गये हैं उन में से अधिकांशतः इस से सस्ता सोडा भस्म नहीं मंगा सकते । यदि माननीय सदस्य हमें यह बतायें कि सोडा भस्म कहीं और से हमें मिल सकता है तो हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : मैं यह जानना चाहता हूं कि इंग्लैण्ड में दाम किस प्रकार कम हैं तथा अन्य देशों में किस प्रकार अधिक हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : अपने उद्धरण में इंग्लैण्ड के व्यापारी अपने दाम कम बताते हैं और हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं ।

श्री मेघनाद साहा : इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज़ अपने देश में सोडा भस्म १३० रुपये से १६० रुपये के हिसाब से बेचती है, किन्तु जब कोई भारतीय व्यापारी खरीदना चाहता है तो इंग्लैण्ड में वह उन से २५० रुपये लेती है ।

श्री सी० डी० देशमुख : यह ठीक है; किन्तु हम क्या करें ? यदि हम कई फर्मों के आपस में मिल जाने तथा दामों को वैसा ही रखने तथा प्रतिस्पर्धा को दूर रखने के प्रयत्न

[श्री सी० डी० देशमुख]

के कारण इस में असफल रहते हैं तो हमें अपने देश में ही सोडा भस्म बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । यह आधार भूत उद्योगों में आ जायगा जिस की ओर औद्योगिक विकास निगम का ध्यान है ।

प्रो० साहा ने यह आरोप लगाया है कि कांच उद्योग को सस्ता सोडा भस्म पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है । कांच उद्योग में भारी सोडा भस्म कभी कभी प्रयुक्त किया जाता है । इसे देशी उद्योगों के लिये एकत्रित किया जाता है । कांच उद्योग के लिये जिस प्रकार का भारी सोडा भस्म प्रयुक्त किया जाता है उस के लिये निर्बाध रूप से लाइसेंस दिया जाता है । भारी सोडा भस्म केवल प्राकृतिक सोडा से ही प्राप्त होता है और वह मागधी से मिलता है । उन्हों ने कई बार यह कहा कि विदेशों के मूल्यों की तुलना में हमारा मूल्य कम नहीं है । यह तो होगा ही और हमें आयात शुल्क लगा कर देशी उद्योग को संरक्षण देना है । कांच उद्योग अपने आधे उत्पादन सामर्थ्य से काम कर रहा है और इस का कारण सोडा भस्म की उपलब्धता की कमी नहीं है अपितु इस की चीजों की पर्याप्त मांग नहीं है । देश में प्रति वर्ष कांच का सामान ८ से १० करोड़ रुपये का बनता है और प्रति वर्ष १ करोड़ रुपये का ऐसा कांच का सामान मंगाया जाता है जो हमारे देश में नहीं बनता ।

सरकार देश में सोडा भस्म के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कई योजनाओं पर विचार कर रही है और इस के निमित्त उपयुक्त स्थान चुनने के लिये एक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है । ये फैक्टरियां पूरे देश में बनाई जायेंगी । इसलिये सरकार सौराष्ट्र में सोडा भस्म बनाने का एक और संयत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वहां इस के दो संयंत्र हैं और दोनों संयंत्रों के उत्पादन सामर्थ्य में वृद्धि करने का विचार है । सौराष्ट्र के सोडा भस्म बनाने वाले संयंत्रों के बारे में कठिनाई यह है कि सोडा भस्म ले जाने के लिये उपलब्ध वैगनों की संख्या पर्याप्त नहीं है और वहां तीसरा संयंत्र स्थापित कर के स्थिति को और अधिक पेचीदा बनाने से कोई लाभ नहीं । सोडा भस्म के निर्माण के लिए तीन प्राकृतिक उत्पादों की आवश्यकता होती है--चूना, नमक तथा कोयला । दुर्भाग्यवश भारत में यह तीनों वस्तुएं एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं, और यदि इन में से कोई दो एक जगह मिल भी जाएं तो तीसरी दूर कहीं से मंगवानी होती है । ऐसी अवस्था में, सम्भवतः हम सोडा भस्म का निर्माण इतना सस्ता नहीं कर सकेंगे जितना सस्ता विदेशों में होता है । तो भी सरकार सोडा भस्म की फैक्टरियों की स्थापना तथा इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अवश्य ही उद्यत हैं ।

अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और वह करारोपण का विषय है । एक प्रासंगिक सुझाव दिया गया है कि हमें लाभांश को परिसीमित करने का प्रयत्न करना चाहिए । हमारे पास इस विषय में एक विधान था जो ३१ मार्च, १९५०, को समाप्त हो गया था । उस समय यह समझा जाता था कि इस प्रकार के विधान से बाज़ार भाव गिर रहे हैं और यह कि मुद्रास्फीति रुक चुकी है अतः निजी उपक्रम चलाने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । इन विषयों पर समय समय पर पुनर्विचार हो सकता है, अतः मुझे ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है । सम्भवतः करारोपण जांच समिति भी इस विषय पर कुछ ध्यान दे रही है । सामान्यतः यह बात माननी होगी कि मितव्ययता तथा अधिक से अधिक लाभ को फिर से उसी काम में लगा देना बहुत

वांछनीय बातें हैं और सभी अच्छी फर्में ऐसा ही करती हैं। जब कभी सरकार उद्योगों की सहायता करती है तो वह इस बात का ध्यान रखती है कि किसी उद्योग विशेष को जो अतिरिक्त संसाधन प्राप्त हों वे पूंजी व्यय के लिए उपयुक्त हों। सरकारी सहायता मांगने वाले उद्योगों की सूची बढ़ती चली जा रही है। इस्पात और सीमेंट जो दो मूल उद्योग हैं के मूल्य निर्धारित करते समय हम ने इस बात को ध्यान में रखा था।

मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करारोपण के जटिल विषय पर अधिक विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता हूं। हर बार यही होता है कि मैं सदन के सम्मुख कुछ आंकड़े रखता हूं तो उस के जवाब में कुछ माननीय सदस्य मेरे सम्मुख कुछ अन्य आंकड़े रख देते हैं। इन सभी आंकड़ों की छानबीन करनी होती है। अतः मुझे अपना उत्तर देने के लिए किसी अन्य अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं धनी लोगों पर कारारोपण के विचार को सदैव के लिए अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं ने तो केवल यही कहा है कि हमें आयव्ययक को योजना के कार्यक्रम का एक अंश मात्र समझना चाहिए। हमें यह प्रत्याशा है कि इस योजना के पश्चात् दूसरी योजना भी आएगी, अतः हमें उस समय राजस्व के विस्तृत उद्गमों की आवश्यकता होगी। पिछले आयव्ययक और वर्तमान आयव्ययक के बीच के समय में हम ने सम्पदा शुल्क बना कर धनी लोगों पर भारी आघात किया है। (**एक माननीय सदस्य** : ओह !) मैं ऐसा समझता हूं। कहा गया है कि इस से प्रत्याक्षित आयु बढ़ गई है, पांच साल में २७ से ३२ वर्ष हो गई है। किन्तु हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के सुधरने से ऐसी क्रियाएं घट जायेंगी।

छूटों की घोषणा करने में मैं ने एक असामान्य कार्यवाही की है। डा० लंका सुन्दरम् को इस बारे में कुछ शिकायत थी। मैं द्विविधा में था। सम्भवतः मुझे रुकना चाहिए था और माननीय सदस्यों को अपने संशोधन प्रस्तुत करने देना चाहिए था।

डा० लंका सुन्दरम् : नहीं, नहीं....

श्री सी० डी० देशमुख : और उन्हें इस सहायता का श्रेय देना चाहिए था......

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं ज़रा सी अन्तर्बाधा कर सकता हूं ? मुझे कदापि यह शिकायत नहीं थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस से प्रसन्नता है; अब मेरे लिए अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करना आसान हो गया है। इन सभी बातों को सुनने और उन पर विचार करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हो सकता है कि हम अनजाने में कितने ही निचले वर्ग के लोगों को हानि पहुंचा रहे हों। मैं ने देखा कि करारोपण क्षेत्र में बहुत सी छोटी तथा कुटीर स्तर की फैक्टरियां भी आ गई हैं, अतः मैं ने उन्हें शीघ्रातिशीघ्र राहत देने का निश्चय कर लिया। इस में केवल एक कठिनाई थी और वह यह कि सम्भवतः वे अपने संशोधन प्रस्तुत न कर सकेंगे। हम ने कार्यपालिका की स्थिति में यह कार्य किया है। यदि वे इस से संतुष्ट नहीं हैं तो वे मूलभूत संशोधनों की सूचना दे सकते हैं।

मुझे विभिन्न स्थानों से तार तथा पत्र प्राप्त हुए हैं जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। रेशम तथा नकली रेशम मिल्ज़ एसोसियेशन के प्रधान ने नकली रेशम उद्योग सम्बन्धी उत्पादन-शुल्क में की गई कमी के लिए आभार प्रकट किया है। उन्होंने इस शुल्क के पूर्णतया हटाए जाने की प्रार्थना भी की है।

एक और दूसरा पत्र दक्षिण भारत साबन निर्माता संघ का है जिसमें साबुन उद्योग को दी गई रियायत के लिये बहुत आभार प्रदर्शित किया गया है और कहा गया है कि इससे भारत

[श्री सी० डी० देशमुख]

भर के छोटे छोटे साबुन निर्माताओं को बड़ा सहारा मिलेगा। शुल्क हटाने के बारे में इसमें कोई प्रार्थना नहीं की गई है।

अब मैं इस करारोपण सम्बन्धी अन्य बातों पर आता हूं। श्री सारंगधर दास ने कहा कि गरीबों को प्रभावित करने वाले करों जैसे जूते, कृत्रिम रेशम और सीमेंट पर, में कमी करने के लिये मुझे करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। जूते, कृत्रिम रेशम, सीमेंट आदि नई वस्तुओं पर कर लगाने से ४.७५ करोड़ की प्राप्ति का प्राक्कलन किया गया है। अहमदाबाद में सन् १९४६ में १८२० परिवारों के आय-व्यय के आंकड़े संकलित किये गये थे। तब से अब तक स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त जांच के परिणामस्वरूप इन वस्तुओं पर उनकी आय का निम्नलिखित भाग व्यय होता है :

सीमेंट	४ प्रति शत
जूते	१३२ प्रति शत
नहाने का साबन ...	करीब करीब नहीं के बराबर
धोने का साबुन ...	१६० प्रतिशत
कृत्रिम रेशम के कपड़े	लगभग २ प्रतिशत

इसलिये मैं समझता हूं कि कुल भार अधिक कदापि नहीं होगा। श्री सारंगधर दास तथा अन्य सदस्यों ने सामान्य लोगों के उपयोग की वस्तुओं जैसे रबड़ के जूते, साबुन इत्यादि पर कर लगाने से उनकी संभावित कठिनाइयों का जिक्र किया। इस सम्बन्ध में वही बात दोहरा सकता हूं जो मैंने २२ मार्च, १९५४ को सामान्य चर्चा के दौरान में कही थी। भारत जैसे वृहत देश में हम जितने राजस्व की आवश्यकता है वह सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर कर लगाये बिना नहीं उगाहा जा सकता, किन्तु इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन करों का भार इतना अधिक न हो जिसे कि गरीब परिवार सहन न कर सके। हम इस आधारभूत सत्य को ध्यान में रखना चाहिये कि भारत एक गरीब देश है। इसलिये भविष्य में हम आयों को अमीरों से गरीबों पर लाने का जो भी प्रयत्न करें, देश के विकास का भार अनिवार्य रूप से गरीब पर ही पड़ना है। अमीरों पर पहले से ही कर मौजूद है। समय के साथ-साथ हम यह देखेंगे कि उन पर और क्या कर लगाया जा सकता है। इस प्रश्न पर हम करारोपण जांच समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हम यह कहें कि गरीबों से कर के रूप में एक पैसा भी नहीं लिया जायेगा तो आपके साधन इतने न्यून रह जायेंगे कि आप देश के विकास के लिये साधन जटाने में बहुत पिछड़ जायेंगे। माननीय सदस्य इस कथन का चाहे जो भी अर्थ लगायें, वास्तविकता यही है। सामान्य व्यक्ति को भी यह अनभव करना चाहिये कि वह भारत के विकास में साझीदार है।

श्री बंसल ने सुझाव दिया कि कृत्रिम रेशम पर उत्पादन शुल्क लगाने के बजाय रेशमी सूत के आयात पर कर लगाया जाय। इसका दोष यह है कि २४ करघों तक के छोटे कारखानों को, जो इस समय उत्पादन कर से मुक्त हैं, कच्चा माल अधिक मंहगा पड़ने लगेगा। दूसरी चीज़ यह है कि हमारे देश में कृत्रिम रेशम के, सूत का उत्पादन न बढ़ने की आशा है और यह आशा की जाती है कि इस सम्बन्ध में हम अपनी ७५ प्रतिशत आवश्यकतायें अपने यहां के निर्माण से ही पूरा कर सकेंगे। इसलिये इस पर आयात-कर से प्राप्ति क्रमशः कम होती चली जायेगी।

एक अन्य सदस्य ने, करारोपण के ढांचे को बहुत सरल समझते हुये, यह सुझाव दिया

कि शराब, गांजा, अफीम, सिगरेट और वनस्पति पर कर लगाया जाय। शराब, भांग आदि नशीली चीजों राज्यों के अन्तर्गत आती हैं और अधिकतर राज्य पहले से ही उन पर कर लगाये हुये हैं। हमें उनके क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिये ।

जहां तक सिगरेटों का प्रश्न है, इन पर पहले से ही काफी उत्पादन-कर लगा हुआ है और समय-समय पर हमारे पास प्रतिनिधान आते रहते हैं कि यह अपनी चरम सीमा को भी पार कर गया है। सिगरेट का जिक्र आने पर मैं बीड़ी की चर्चा कर दूं, यद्यपि यह करारोपण के सम्बन्ध में नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से बिल्कुल सहमत हूं कि बीड़ी उद्योग का यंत्रीकरण नहीं होना चाहिये, इससे बेकारी में वृद्धि होगी। दुर्भाग्यवश, जिन मशीनों को प्रयुक्त करने का इरादा किया जा रहा है वे देश में निर्मित मशीनें ही हैं जिसका अर्थ है कि हम उनका आयात बन्द करके इस सम्बन्ध में कदम नहीं बढ़ा सकते। फिर भी, हम इस मामले में चिन्तित हैं और इस पर राज्य सरकारों के साथ विचार करने का हमारा इरादा है।

एक शिकायत की गई थी कि हम उसी किस्म की तम्बाकू पर विभिन्न संग्रहालयों में भिन्न भिन्न कर लगा रहे हैं। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने संग्रहालयों को सैधान्तिक दृष्टिकोण न बरतने का निदेश दिया है। उन्हें यह निदेश दिया गया है कि करारोपण सम्बन्धित क्षेत्र में तम्बाकू के वास्तविक प्रयोग के आधार पर हो। किन्तु कर-निर्धारण की कसौटी का प्रश्न करारोपण जांच समिति के विचाराधीन है और इस मामले पर उनके सुझाव के अनुसार और विचार किया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि तम्बाकू पर कर-निर्धारण के मामले में राजस्थान के कुछ जिलों को जो रियायत दी गई है वह अन्य जिलों में भी लागू की जाये। यह रियायत इसलिये दी गई थी कि पहले लगाया गया कर अधिक समझा गया था। यह विशिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में ही था और इसका कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि इसे वहां के अन्य जिलों में भी लागू करके सामान्यीकृत कर दिया जाये।

अब मैं आयव्ययक सम्बन्धी एक-दो मामलों पर आता हूं। डा० लंकासुन्दरम् ने कहा कि आयव्ययक में कुछ असंगततायें थीं और उन्हें इसका उत्तर नहीं दिया गया है। २२ मार्च को सामान्य आयव्ययक का उत्तर देते समय मुझे उनके द्वारा उठायी गई बातों का विस्तृत उत्तर देनें की आशा थी, किन्तु तब मझे समय नहीं मिल सका *। सन् १९५२–५३ के नये ऋण के आयव्ययक के स्पष्टीकरण ज्ञापन के पृष्ठ ५३ पर दिये गये और आयव्ययक के और उसी वर्ष के आयव्ययक के आंकड़ों (जो स्पष्टीकरण ज्ञापन के पृष्ठ ५८ पर दिये हुये हैं) के मध्य १३ करोड़ रुपयों के अन्तर का विशेष रूप से जिक्र किया गया था। संक्षेप में इसका उत्तर यह है कि सन् १९५२ में दो स्पष्टीकरण ज्ञापन थे और दो आयव्ययक थे। एक अन्तरिम आयव्ययक था और दूसरा नियमित आयव्ययक और दोनों के बीच के काल में परिवर्तन हुये जो कि बाद वाले ज्ञापन में सम्मिलित कर दिये गये।

फिर एक प्रश्न यह पूछा गया था कि राज्यीय उपक्रमों के सम्बन्ध में मेरा क्या करने का विचार है। प्रवर समित से आने पर समवाय विधेयक पर जब हम विचार करेंगे तब हम बतलायेंगे कि हमारा वस्तुतः क्या करने का विचार है। यदि हम यह समझेंगे कि इन उपक्रमों के बारे में एक पृथक विधेयक लाने की आवश्यकता है तो हम एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

इनके अतिरिक्त आर्थिक नीति के सम्बन्ध में आलोचनायें की गई थीं और मुझ से जहां

*६ मई, १९५४ को पत्र सदन पटल पर रख दिये गये।

[श्री सी० डी० देशमुख]

तक हो सकेगा, मेरे पास जितना समय है उसमें उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

फिर बहुत से तथ्यात्मक विवरण हैं, जिन्हें मैं नहीं ले सकूंगा, पर वे वस्तुतः बड़े गम्भीर मामले हैं । इन के विषय में मैं यहीं कहूंगा कि रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त की गई एक समिति देहाती ऋण व्यवस्था तथा भावी देहाती वित्त व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार कर रही है और उसने इन मामलों पर पूरा पूरा विचार किया है । सन् १९३१ में केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति के बाद मेरी समझ से अब पहली बार इस समस्या की व्यापक जांच हो रही है, और इस वर्ष जून तक उसका प्रतिवेदन रिज़र्व बैंक और सरकार के हाथों में आ जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : पुरुषोत्तम समिति नहीं थी ?

श्री सी० डी० देशमुख : उसका नाम देहाती बैंकिंग जांच समिति था, पर उसने अधिकांशतः रिज़र्व बैंक के साथ भाग ख राज्यों के कोषों के सम्बन्ध क्या हों, और इंपीरियल बैंक अपनी शाखायें कहां खोले, आदि बातों पर विचार किया था । चलते-चलते इंपीरियल बैंक के भविष्य की भी बात पर ध्यान दिया गया था, जिसका आपने भी निर्देश किया था । उन बातों पर रिज़र्व बैंक पृथक विचार कर रहा है और यदि यह समिति भी व्यापारिक बैंकों के अलावा किसी और प्रणाली द्वारा बैंक संगठन के विस्तार का निर्देश करे, तो मुझे अचंभा न होगा । इस बारे में वह इंपीरियल बैंक के भविष्य और स्वरूप के बारे में भी सुझाव या सिफारिश कर सकती है । अतः कुछ निश्चित कार्यवाही करने से पहले हमें इन सिफारिशों की प्रतीक्षा करनी चाहिये और फिर हमारे पास विधान कार्य इतना अधिक है कि अगले पांच छः महीने कोई विधेयक बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

इस आर्थिक नीति के बारे में लाभांश के अंशों को कम करने की बात उठायी गई थी । यह भी एक प्राविधिक बात है । श्री के० के० देशाई द्वारा की गई शिकायत का मेरे पास पर्याप्त उत्तर है और मेरी समझ से सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं एक टिप्पणी पुनः सदन पटल पर रख दूं ।

फिर मेरी समझ से श्री तुलसीदास ने मूल्य नीति की बात पूछी थी । मुझे इस प्रश्न का उत्तर मुश्किल दीखता है । मूल्य नीति ऐसी नहीं होती कि पहले से निश्चय किया जा सके । वह सभी आर्थिक दशाओं का प्रतिबिम्ब स्वरूप होती है । हमें मूल्य-स्तर पर ही निरन्तर ध्यान रखना पड़ता है । इस पर एकाकी विचार नहीं किया जा सकता । विस्तृत नियंत्रणों वाली शासन-व्यवस्था में ही इस पर एक पृथक मद के रूप में विचार किया जा सकता है, वे अब कम से कम कर दिये गये हैं, क्योंकि इस सदन के तथा बाहर जनसाधारण के निर्णय के अनुसार उन्हें उपयुक्त बनाने वाली परिस्थितियां अब नहीं रही हैं । वस्तुतः ब्रिटेन आदि अन्य देशों में भी प्रत्यक्ष नियंत्रणों में कमी करने या उन्हें हटा देने की ही नीति अपनाई जा रही है । अतः ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में मूल्यों के स्तर और ढांचे पर सरकारी प्रभाव मुख्यतः सर्वांगीण धन तथा राजकोषीय नीति, विभेदीकृत करारोपण, और आयात-निर्यात के रूप में ही पड़ सकता है । और मैं सदन को यही आश्वासन दूंगा कि इन पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

फिर यह प्रश्न था कि क्या घाटे वाली अर्थ व्यवस्था गम्भीर रूप से मद्रास्फीतिकारी होगी । मेरी समझ से डा० कृष्णास्वामी ने इसका उल्लेख किया था । श्री बंसल भी यह जानना चाहते थे कि हम इस बात का विचार कर रहे हैं या नहीं । फिर श्री डेनियल हैमि-

ल्टन के धन का उल्लेख किया गया था, पर वह उनका अपना धन था और उसकी तुलना घाटे वाली अर्थव्यवस्था से नहीं की जा सकती। दो बातें बिल्कुल भिन्न हैं। पर उस प्रश्न का उत्तर उस मूल स्थिति से है, जहां से हम इसे शुरू करें। यदि ऊंचे दाम और अभावों वाले मुद्रास्फीति-कारक दबाव चल रहे हैं, तो घाटे वाली अर्थव्यवस्था उस रोग को बढ़ा ही देगी, पर जैसा मैंने आयव्ययक भाषण पर बाद में बताया, आज वैसी स्थिति नहीं है।

थोक मूल्यों की देशना आज ३९२ और ३९७ के बीच है—यह मेरी समझ में सब से ताजी संख्या है—और यह कोरिया युद्ध के समय से कुछ कम है। मुद्रा की उपलब्धता लगभग १८०० करोड़ रुपये है, और वह भी १९४९ के अंत के स्तर पर है। इस बीच में खाद्य उत्पादन, कच्चे मालों का उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बहुत कुछ बढ़ गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने क्रय शक्ति के अभाव की शिकायत की है। मैंने मुद्रा की उपलब्धता में कमी के बारे में श्री नम्बियार द्वारा उस दिन कही गई बात को ध्यान में रखा है। उन्होंने बताया था कि विगत दो वर्षों में २०९.७३ करोड़ रुपये की कमी हुई है, वस्तुतः वे मार्च १९५३ में समाप्त होने वाले योजना के पहले दो वर्ष हैं, और उस पत्रिका में भी, जिससे उन्होंने उद्धरण दिया था, यही कहा गया है। पर अब मार्च १९५४ चल रहा है और इस बीच मुद्रा की उपलब्धता लगभग ३० करोड़ रुपये बढ़ गई है, यद्यपि वह मार्च १९५१ की अपेक्षा लगभग १३० करोड़ रुपये कम है। और यह लगभग हमारे पौंड पावने की कमी के समकक्ष है। वस्तुतः हुआ यह है कि हमने अपने पौंड पावने का उपयोग करते हुये विदेश से माल मंगाया है और उस पौंड को खरीदने में लोगों ने रुपये दिये हैं, और उस क्रयशक्ति की कमी में यह बात एक कारण रही है। अतः सब मिला कर मैं कहूंगा कि स्थिति काफी दृढ़ और सुरक्षापूर्ण है।

परन्तु, घाटे वाली अर्थव्यवस्था के इस प्रश्न के अलावा, मेरी समझ में यह कहा जा सकता है कि मद्रा की उपलब्धता में वृद्धि के लक्षण अभी प्रकट नहीं हुए हैं तथा और यह वृद्धि वांछनीय होगी, और केवल यह अनमान पर लगाया जा सकता है कि इसके प्रतिफल क्या होंगे। मैं दूसरे सदन में कही गई अपनी इसी बात को दुहराऊंगा कि मेरे द्वारा अनुमानित २५० करोड़ रुपये के घाटे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग १०० करोड़ रुपये अर्थव्यवस्था में मंदी को ठीक करेंगे, शायद लगभग ४५ करोड़ भुगतान-संतुलन की कमी को पूरा करेंगे और शेष ७५ करोड़ रुपये विशुद्धतः मुद्रा प्रसार में सहायक होंगे, परन्तु यह इतनी राशि नहीं, जिसे हम सफलतापूर्वक निपटा न सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सभा बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४ के सवा आठ बजें तक के लिए स्थगित हुई।

GIPD—HS—106 PSD—15-10-54—285